लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation ... Parliament Library
18-9-92

(Third Session)

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 105 (2)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II. contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16, बुधवार, 7 दिसम्बर, 1977/16 अग्रहायण, 1899 (शक)
No. 16, *Wednesday, December* 7, 1977/*Agrahayana* 16, 1899 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	1–15
तारांकित प्रश्न संख्या 306 से 313	Starred Questions Nos. 306 to 313	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	15–120
तारांकित प्रश्न संख्या 305 और 314 से 325	Starred Questions Nos. 305 and 314 to 325	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2869, 2870, 2872 से 2902, 2904 से 2988, 2990 से 3003 3005 से 3035, 3037 से 3065, 3067 और 3068	Unstarred Questions Nos. 2869, 2870, 2872 to 2902, 2904 to 2988, 2990 to 3003, 3005 to 3035, 3037 to 3065, 3067 and 3068	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	120–123
लोक लेखा समिति— पहला प्रतिवेदन	Public Accounts Committee— First Report	123
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolutions—	123
नौवा प्रतिवेदन	Ninth Report	
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	123
पहला प्रतिवेदन	First Report	
रेल कर्मचारियों की मांगों सम्बन्धी याचिका	Petition *re.* Demands of Railwaymen	123–124
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में—	Re. Questions of privilege—	124–126
(1) श्री मधु लिमये द्वारा 16 नवम्बर, 1977 को अध्यक्ष के बारे में की गई टिप्पणी	(i) Remarks by Shri Madhu Limaye about The Speaker on 16th November, 1977.	124

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
(2) आपात स्थिति की घोषणा के बारे में शाह आयोग की जांच	(ii) Shah Commission's Inquiry about Proclamation of Emergency	125
(3) गृह मंत्री द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में तोड़फोड़ के मामलों के बारे में दिया गया वक्तव्य	(iii) Home Minister's Statement on AIR and TV about Sabotage cases	125–126
(4) 24 नवम्बर, 1977 को कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिया गया कथित भ्रामक वक्तव्य	(iv) Alleged mis-statement by Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation on 24-11-77	126
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under rule 377—	126–128
(1) बिहार की कुछ निजी क्षेत्र की कोयला खानों द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन	(i) Flouting of Safety rules in certain Private Coal Mines of Bihar	126–127
(2) रेल कर्मचारियों की शिकायतें	(ii) Grievances of Railwaymen	127
(3) सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी में हड़ताल	(iii) Strike in Scindia Steam Navigation Company	127–128
(4) विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों और कालेजों का बंद होना	(iv) Closure of Universities and College due to students' unrest	128
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक—	Payment of Bonus (Amendment) Bill—	129–137
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider–	
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	129–130
श्रीमती अहिल्या पी० रांगणेकर	Shrimati Ahilaya P. Rangnekar	130–131
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri Prasannbhai Mehta	131–132
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan	132
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	132–133
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	133–134
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	134–135
श्री चित्त बसु	Shir Chitta Basu	135
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal	135
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	135
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur	135–136
श्री रविन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	136–137

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कार्यवाही के बारे में प्रस्ताव—	Motion re: Steps for removal of economic backwardness of four districts of Eastern Uttar Pradesh—	137–148
श्री यादवेंद्र दत्त	Shri Yadavendra Dutta	137–139
श्री एम० वी० कृष्णप्पा	Shri M. V. Krishnappa	139
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur	139–140
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	140
श्री राम सागर	Shri Ram Sagar	140–141
श्री राम धारी शास्त्री	Shri Ram Dhari Shastri	141
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	141–142
श्री रुद्र सेन चौधरी	Shri Rudra Sen Chaudhury	142
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	142–144
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	144–145
पंडित डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	145
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai	145–146
श्री राम नरेश कुशवाहा	Shri Ram Naresh Kushwaha	147
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	148
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour discussion—	148–151
देश में बाढ़ की स्थिति—	Flood situation in the country—	
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri Prasannbhai Mehta	148–149
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	149
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	150–151

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 7 दिसम्बर, 1977/16 अग्रहायण, 1899 (शक)
Wednesday, December 7, 1977/Agrahayana 16, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Supply of Power to Farmers in States

*306. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether the country is facing power crisis at the moment and the farmers of many States like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan are incurring heavy losses on this account; and

(b) if so, the facts in this regard?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। इस वर्ष, सितम्बर से नवम्बर के दौरान ग्यारह राज्यों में बिजली की कमियां रही ।

इन कमियों के ब्यौरे और इनके फलस्वरूप इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में की गयी बिजली की कटौतियों/लगाए गए प्रतिबन्धों का उल्लेख उपाबन्ध में कीया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1289/77**]

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में बिजली पर लगी कटौतियां/प्रतिबन्ध सितम्बर/अक्तूबर, 1977 में उठा लिए गए थे ।

यद्यपि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई पर कुछ प्रतिबन्ध हैं, परन्तु वर्तमान रबी की फसल के लिए बिजली की कमी के बारे में किसी भी राज्य से कोई सूचना नहीं मिली है ।

Dr. Laxminarayan Pandeya: The hon. Minister has stated in the statement that power cuts were restored in the States of Punjab and Rajasthan. But power cuts and restrictions are still continued in the States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. It is affecting the Rabi crops considerably. I would like to know the steps taken in this direction in view of the facts that power shortage has always been causing loss to the farmers in one way or other particularly when their crops are grown up. I would also like to know the percentage of increase in the hydel, thermal and nuclear power from the last April to November, 1977 to meet the shortage of power which has become a permanent feature.

श्री पी० रामचन्द्रन : इन महीनों में कृषि के क्षेत्र में बिजली की अपेक्षाकृत कम खपत हुई है । कृषि क्षेत्र की ओर से इस बारे में अभी कोई शिकायतें नहीं मिला हैं । कठिनाई तब होती है जब बिजली की सभी को आवश्यकता होती है उस समय बिजली उपलब्ध नहीं । इसी समस्या का मुकाबला करने के लिये हमने रोटौती प्रणाली या ग्रुप प्रणाली आरम्भ की है । कृषि क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र को भी बिजली सप्लाई की जाती है ।

Dr. Laxminaraya Pandeya: The hon. Minister has stated that power cuts have been decreased and that there is no difficulty so far. But I would like to bring it to your notice that in Madhya Pradesh 25 per cent power cut still continue to exist and the farmers are experiencing heavy loss thereby. The hon. Minister had decided that the persons having private farms and industries had to generate power by their own power generators. But those persons did not comply with this instruction and tried to get power from State Electricity Boards. Thus the purpose of making power surplus and making it available to our farmers was defeated. What are the reasons for not doing this ? May I know the steps being taken by the Government to ensure that industries generate their own power, the power thus made surplus is made available to the farmers ?

श्री पी० रामचन्द्रन : महोदय, जहां तक उद्योगों की अपनी रक्षित यूनिटों का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि जब उद्योगों को इसकी आवश्यकता होती है, वे अपनी बिजली पैदा करते है तथा उसका उपयोग वे स्वयं करते हैं। उस मामले की जांच करना राज्य सरकार का कार्य है । अतः उद्योग के पास उनकी रक्षित बिजली यूनिटें है तथा वे अपनी बिजली उत्पन्न करते है । जब तक राज्य सरकार और राज्य बिजली बोर्ड उस मामले में कुछ नहीं करते हम इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कर सकते । जहां तक हमें जानकारी है बिजली की कमी के कारण कृषि क्षेत्र को आरम्भिक कुछ घंटों के अतिरिक्त कोई हानि नहीं हो रही है ।

Dr. Laxminarayan Pandeya: I wanted to know the percentage of increase in power from April to November.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

Shri Bharat Bhushan: According to the information supplied by the hon. Minister. there is no shortage of power, but my information is that electricity is not available for 12 hours in a day in the rural areas of Uttar Pradesh. There is regular rostering of seven hours and peak-hour rostering of five hours, making 12 hours of non-availability of electric supply. I represent that area of Uttar Pradesh which has undergone 'green revolution', but due to non-availability of power to small paddy units for 12 hours, the farmer

is neither able to sell his commodity nor carry out sowing operations. I want to know what steps the Hon. Minister propose to take for implementing his pronouncement in such a situation ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो शिकायत कर रहे हैं, आप उनकी जांच कर सकते है ।

श्री पी० रामचन्द्रन : बिजली के बारे में उत्तर प्रदेश में कुछ कठिनाई है । उत्तर प्रदेश में भी, चाहे औद्योगिक और अन्य क्षेत्रो में कितनी भी बिजली-कटौती हुई हो, किसानों को दो-चार घन्टो की थोड़ी अवधि को छोड़कर बिजली सप्लाई की जाती है । इसके अतिरिक्त किसानों को बिजली दी जाती है । हाल में कुछ यूनिटें चालू की गई है । मार्च 1978 के अंत तक हमें आशा है उत्तर प्रदेश में भी बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार हो जायेगा ।

श्री के० मालप्पा : विवरण में यह कहा गया है कि कर्नाटक में अब तक विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों को 10 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक बिजली की कटौती की गई । आवश्यक सेवाओं, निर्माणाधीन बिजली और सिंचाई परियोजनाओं तथा सिंचाई पम्प सैटों के मामले में बिजली की कटौती नहीं की गई । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक सरकार ने तापीय अथवा पन बिजली परियोजनाओं की बिजली की कटौती लागू न करने के बारे में अनुरोध किया है, यदि हां, तो वे परियोजनाएं क्या हैं। दूसरे क्या तदर्थ प्रबन्ध बिजली की कटौती को दूर करने के लिये किया जाता है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है वहां बिजली की कठिनाई है । इसीलिये केरल से कुछ बिजली ली जाती है तथा कुछ तमिलनाडु से ली जाती है और कर्नाटक को सप्लाई की जाती है । 1979 में शरावती परियोजना चालू होने तक कर्नाटक में बिजली की कमी रह सकती है । इसके अतिरिक्त तापीय बिजली घरों के लिये हाल में कुछ परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उन पर विचार किया जा रहा है । वे हास्पेट और रायचूर के आसपास हैं । तापीय बिजली घर की स्थापना हो रही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय के वक्तव्य में स्थिति की गम्भीरता को अत्यंत कम करके दिखाया गया है । पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में बिजली का गम्भीर संकट है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या गैस टरबाइन के बारे में यह सच है कि नौकरशाह के दो ग्रुप हैं और उद्योगतन्त्रवादियो में भारी मतभेद हैं ? वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि उनका नेतृत्व राजनीतिज्ञ कर रहे हैं और इसी कारण गैस टरबाइन की खरीद में विलम्ब हो रही है । क्या यह भी सच है कि ब्रिटिश इंजीनियरों का एक दल 10 दिन पूर्व जी०ई०सी० से कुछ त्रुटियां दूर करने आया था और हमारे विचार से 120 मेगावाट निर्मित क्षमता के विरुद्ध केवल 15 मेगावाट निर्धारित की गई थी ? उनके चन्द्रपुरा और संथलदीप के, जिनका नियंत्रण दामोदर घाटी निगम द्वारा होता है, दौरे के दौरान जहां तक चन्द्रपुरा का सम्बन्ध है दामोदर घाटी निगम का कोई वरिष्ठ अधिकारी अथवा इंजीनियर स्थल पर उपस्थित नहीं था। कृपया यह भी बताये कि फरक्का में तापीय बिजली घर किस स्थिति में है। परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मुझे उद्योगतन्त्रवादियों अथवा प्रशासकों के बीच किसी ग्रुप की जानकारी नहीं है । गैस टरबाइन के आयात का प्रश्न सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और इस बारे में यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा । जहां तक ब्रिटिश इंजीनियरों के

दौरे का सम्बन्ध है मुझे इस बारे में इस समय कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इस प्रश्न से मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं । जहां तक फरक्का तापीय बिजली घर में बिजली की स्थिति का प्रश्न है, मैंने शायद इस बारे में पहले ही बता दिया था । यह विचाराधीन है । जब तकनीकी-आर्थिक प्रक्रिया पूरी हो जायेगी तो इसे मंत्रिमंडल में निवेश सम्बन्धी निर्णय के लिये प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री पी० रामचन्द्रन : इसमें कुछ महीने और लगेंगे ।

Shri Ramanand Tiwari: There has been draught in Bihar in thousands of acres of land has been affected due to shortage of power. I want to know the reasons for not supplying power continuously for five hours to Bihar if there is no shortage of power there. Inspite of repeating requests from me and other Members of Legislative Assembly there is still shortage of power in Bihar and the crops are drying as a result thereto. I want to know the action Government propose to take in this connection ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक बिहार राज्य का सम्बन्ध है, वहां पर्याप्त अधिस्थापित क्षमता विद्यमान है । कुछ यूनिटों के पुराने हो जाने के कारण बिजली की उपलब्धता बहुत कम है और इसके अतिरिक्त बिहार में समय समय पर बिजली की कटौती की जा रही है इसके बावजूद हमें बिजली बोर्ड अथवा सरकार से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं और इसलिये हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अधिक संख्या में रोजगार देने के बारे में ऊंचे लक्ष्य

*307. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किये हैं और उसका इस वर्ष व्यक्तियों को अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इस योजना में तरजीह दी गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 1290/77 ।]**

श्री जी० वाई० कृष्णन् : यहां यह बताया जा चुका है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग ने पत्थर कटाई घिसाई और पालिश करने को हाल ही में मान्यता दी है। पत्थर कटाई को मान्यता दिये जाने के बावजूद सात विशिष्ट ग्रामोद्योग अर्थात् अनाज और दालों का परिष्करण, ग्रामीण-तेल, ग्रामीण-चमड़ा, ग्रामीण मिट्टी के वर्तन, लोहार, बढ़ई, अखाद्य तेलों और साबून और गन्ना गुड़ और खांडसारी के विकास पर विशेष जोर नहीं दिया है ।

पत्थर कटाई को इसमें शामिल न करने के क्या कारण है ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : विवरण में यह बताया गया है कि कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है । इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि बड़े और छोटे उद्योग-पतियों ने कर बचाने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत योजनाएं और परियोजनाएं आरम्भ की हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : ऐसा मामला मेरी जानकारी में लाया गया है ।

श्री वी० अरुणाचलम : 50 हजार लोगों को नौकरी देने की योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु में खादी बोर्ड में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था लेकिन उन्हें अभी तक किसी स्थान पर खपाया नहीं गया है । क्या सरकार इन प्रशिक्षकों को भविष्य में खपाने के लिये अनुदेश देगी ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : इस मामले में आगे कार्यवाही करना राज्य बोर्ड का काम है । मैं आयोग से इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करूंगा । मैं राज्य बोर्ड से भी इस मामले पर कार्यवाही करने का अनुरोध करूंगा ।

Shri L. L. Kapoor : I want to know from the hon. Minister whether the scheme under Khadi and Village Industries include setting up of Training Centres in every village for providing training to village artisans and when these centres are going to be set up ?

Shri George Fernandes : The work of khadi and village Industries in the whole country is looked after by Khadi Commission but the field work is looked after through the State Boards. 700 institutions in the country are such which works on national level and we are making efforts that State Boards may impart training and that these 700 institutions may work through an institution. Efforts are being made to expand these institutions and we hope that there will be no difficulty in bringing the districts of the country under them.

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि कुछ लघु उद्योगों और कुछ बड़े निर्माण एककों ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत अपने एककों को छोटे एककों का रूप दे दिया है और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत पंजीकरण के लिये आवेदन किया था जिससे उन्हें केन्द्रीय उत्पादन कर में छूट मिल सके? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : मुझे छोटे उद्योगपतियों द्वारा की गई ऐसी गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं है । यदि उनको मेरी जानकारी में लाया गया, तो हम इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे ... **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । आप ऐसे मामले इनकी जानकारी में ला सकते हैं ; आप उन्हें इस बारें में लिख सकते हैं और वह इस मामले की जांच करेंगे ।

Shri Mahi Lal: I want to know whether the hon. Minister is aware that the employees of Khadi Commission are on strike against their officers and there is a great bungling in it ? I also want to know whether the Hon. Minister is aware that a shop in Connaught Place run by Khadi Commission is selling Mill made cloth ?

Shri George Fernandes : I am not aware that a strike is going there and that the mill made cloth is being sold there does not appeal me. However if that complaint is against some particular store, it may be looked into.

श्री हितेन्द्र देसाई : मैं कर्मचारियों की नियुक्तियों का राज्यवार ब्यौरा जानना चाहूंगा और मैं यह भी जानना चाहूंगा कि खादी तथा ग्रामोद्योग में नियुक्त कर्मचारियों की दैनिक आय क्या है ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : एक प्रकार की तथा दूसरे प्रकार की खादी के लिये और एक प्रकार के करघे तथा दूसरे प्रकार के करघे के लिये दैनिक आय भिन्न-भिन्न है । यह प्रतिदिन 2.50 रुपये से 10.00 रुपये के बीच है । ग्रामोद्योग में भी यह 2.50 रुपये से 10 रुपये के बीच है ।

मीसा का वैकल्पिक विधान

* 308. **डा० हेनरी आस्टिन† :**
श्री हुकुमचन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मीसा के स्थान पर एक कम कठोर वैकल्पिक विधान बनाने के बारे में सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो नए मीसा विधान का मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को कहा जाएगा कि हाल में जारी किए गए अध्यादेशों के स्थान पर नए कानून बनाएं;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्यों ने संघ सरकार को लिखा है कि मीसा के न होने की स्थिति में उन राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा किन राज्यों ने कहा है और उन्हें क्या उपाय सुझाए गये हैं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मंडल) : (क) और (ख) : मीसा के निरसन और अन्य सम्बन्धित मामले 28 मार्च, 1977 को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के रुप में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के भाषण में प्रतिपादित नीति को ध्यान में रखते हुए विचाराधान है और सरकार चालु सत्र में आवश्यक विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ।

(ग) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान ।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० हेनरी आस्टिन : हाल ही के सप्ताहों में समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए हैं और इस बात को जोरदार अफवाह है कि सरकार अथवा गृह मंत्रालय का विचार 'मीसा' के समान कोई दूसरा कानून बनाने का है । हाल ही में मध्य प्रदेश और शायद जम्मू-काश्मीर में भी घटी घटनाओं के कारण इन समाचारों को बल मिला है और लोग इसमें विश्वास करने लगे हैं। जम्मू और काश्मीर के अध्यादेश के अनुसार लोगों को बिना मुकदमा चलाये निरन्तर दो वर्ष की अवधि तक बन्द रखा जा सकता है और उन्हें छोड़ने के बाद दो वर्ष के लिये फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है । मध्य प्रदेश की स्थिति सर्व विदित है और वह यह कि बिजली कर्मचारियों की वैध हड़ताल को दबाने के लिये लघु 'मीसा' लागू किया गया है और यूनियन के नेताओं को जेलों में डाल दिया गया है । समाचारों में छपी खबरों से इस बात का पता चलता है कि विभिन्न राज्यों में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था का मुकाबला करने के लिये मीसा के उपबन्ध वाले इस मीसा जैसे नये कानून को लागू किया जा रहा है । इससे देश में आतंक फैल रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह कहा है कि एक आयोग इस बारे में जांच कर रहा है और क्या जब तक आयोग का प्रतिवेदन नहीं आ जाता आपका विचार एक नये प्रकार का कानून लागू करने का

है । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या गृह मंत्री इस बात का स्पष्ट आश्वासन देंगे कि ऐसा कानून लागू करने का कोई विचार नहीं है और 'मीसा' को समाप्त किया जा रहा है ।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : इस बारे में एक बहुत स्पष्ट उत्तर दिया जा चुका है । मेरे विचार से माननीय सदस्य ने कोई नया प्रश्न नहीं किया है । यह कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है । वह चर्चा उठाना चाहते हैं तो अलग बात है । मेरे विचार से उत्तर के लिये कोई प्रश्न नहीं बनता (**अन्तर्बाधाएं**)

डा० हनरी आस्टिन : यदि हम चर्चा उठाना चाहे तो हम जानते हैं कि उसका क्या प्रक्रिया है । मेरा प्रयास यही है कि आप से यह आश्वासन लिया जाये कि सरकार की ऐसा करने का कोई विचार नहीं है । मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बारे में आश्वासन दे रहे हैं । मैं यह समझता हूं कि आश्वासन दे दिया गया है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या गृह मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश और काश्मीर में विद्यमान स्थिति को समाप्त करने के लिये कार्यवाही करेगा और राज्य सरकारों उन अध्यादेशों को, जो आज के युग की भावना के विरुद्ध है, वापिस लेने का निदेश देगा ।

श्री चरण सिंह : मैं माननीय सदस्य से यही कहूंगा कि इससे कोई प्रश्न नहीं उठता । फिर भी राज्य सरकारों को ऐसी कोई सलाह देने का मेरा विचार नहीं है । वे अपने नियमों के अन्तर्गत अध्यादेश जारी कर सकती है । उन्हें ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार है । कुछ राज्यों में कुछ समय से पहले ही निवारक निरोध अधिनियम विद्यमान है । अतः राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिये संविधान में संशोधन करना होगा ।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे अपने राज्यों में मीसा लागू कर सकते है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उत्तर भारत के सभी राज्यों में लागू होगा या केवल उन राज्यों में जहां जनता पार्टी का राज्य है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, उन्होंने बताया है कि राज्यों को अपने कानून लागू करने का संवैधानिक अधिकार है और इसलिए वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । उन्होंने यह बताया है ।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मेरा प्रश्न है कि क्या यह सभी राज्यों में लागू होगा ।

श्री वयालार रवि : यह केवल नितांत कानूनी विषय नहीं है परन्तु राजनीतिक विषय भी है मंत्री महोदय ने पिछले सप्ताह मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया था कि वह भारत रक्षा नियम के समान एक नया कानून लागू करने पर विचार कर रहे हैं । इस उत्तर को देखते हुए क्या वह यह स्पष्ट आश्वासन देंगे कि केन्द्र अथवा राज्यों में 'मीसा' अथवा लघु मीसा' लागू करने की नीति को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा ?

श्री चरण सिंह : मैंने पहिले ही बताया है कि उपराष्ट्रपति के सभा के समय दिए गए अभिभाषण के अनुसरण में हमने इन मामलों में कानून की जांच की है और हम कुछ अस्थायी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जैसे ही सरकार अंतिम निर्णय ले लेती, हम चालू अधिवेशन के दौरान सभा के समय कुछ विकासी उपाय लायेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I congratulate the hon. Minister for he stated that the Central Government would not introduce MISA. But fundamental rights are not absolute rights. They can also be curtailed. Taking into consideration the saboteuring cases, infiltration cases and other mischiefs in which some parties are interested, will the Hon. Minister bring in some other legislation so that the suspected political parties engaged in such activities may be banned.

Secondly what is the reaction of the Kashmir Government regarding the letter in which he wrote to the Kashmir Government that the Central Government does not favour such things ?

Shri Charan Singh : The question of Ordinance of Kashmir was raised here and it was decided to have debate for two hours on some day. The day has yet not been fixed but it has been decided to have debate for two hours on that subject.

Regarding the alternative or repeal of the MISA or bringing in some other kind of legislation, I have already stated that the Hon. Members should wait. The Government is bringing forward its measure during this session.

श्री के० लक्कप्पा : मंत्री महोदय सही उत्तर देने में डगमगा रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी में ही इस संबंध में परस्पर विरोधाभास है । जनता पार्टी का एक भाग लघु मीसा बनाए रखने का समर्थन कर रहा है जबकि दूसरा भाग इसको समाप्त करना चाहता है । चन्द्रशेखर ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखे अपने पत्र में उनसे मीसा वापिस लेने को कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री के० लक्कप्पा : प्रश्न यह है कि क्या पार्टी में परस्पर विरोध है . . .

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है ।

श्री के० लक्कप्पा : इसलिए वे राज्य सरकारों को लघु सीमा की अनुमति दे रहे हैं । मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच नहीं है कि लघु मीसा को बनाए रखने के बारे में आपकी सरकार में विभिन्न मत हैं और इसलिए आप मध्य प्रदेश और जम्मू और काश्मीर में लघु मीसा लागू रहने को अनुमति दे रहे हैं और इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। देश में लागू सभी काले कानूनों को समाप्त करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसका उत्तर पहिले ही दे दिया है । उन्हें दूसरे भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री के० लक्कप्पा : जी, नहीं, उन्होंने उत्तर नहीं दिया है । यह सुसंगत प्रश्न है । सरकार का इस बारे में विभिन्न विचार हैं । वह 'नहीं' कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

श्री के० लक्कप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं सरकार से प्रश्न पूछता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने दो प्रश्न पूछे हैं एक नीति के बारे में है जिसका उन्होंने उत्तर दे दिया है । दूसरा दल में इस बारे में विभिन्न मत के संबंध में है जिसका प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है ।

श्री के० लक्कप्पा : मेरा प्रश्न सरकार में विभिन्न मत के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सरकार में विभिन्न मत नहीं हो सकते हैं ।

श्री के० लक्कप्पा : मैं सरकार में विभिन्न मत के बारे में पूछ रहा हूं । उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है । **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Laxmi Narayan Nayak: The hon. Minister has just stated that the State Governments are free to enact their laws. But I would like to say that the Janata Party and we have opposed MISA, whether it is for longer period or shorter period. Will the Hon. Minister ask the M.P. Government to repeal it? Do I hope such?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहिले ही उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री के० लक्कप्पा : उसका उत्तर प्रधान मंत्री देने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि जहां तक राज्य सरकारों का प्रश्न है, यह उनका संवैधानिक अधिकार है ।

श्री के० लक्कप्पा : आप इसका उत्तर क्यों दे रहे हैं । इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए । सरकार का इस बारे में क्या विचार है। इसका उत्तर वह दें । मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि वह इसका उत्तर दें ।

Shri Laxmi Narayan Nayak: The Hon. Minister has stated that the State Governments are autonomous. But the State Governments function under the Central Government. If the State Governments are doing something wrong then the Central Government can give its advice. So my question is will the Home Minister give advice that the MISA which has been introduced there should be repealed.

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जोर से बोलने का तात्पर्य बहस करने से नहीं होता है । गृह मंत्री ने पहिले ही बताया है कि मीसा का प्रयोग नहीं किया जायेगा । परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि केन्द्र के अलावा राज्य देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हिंसक कार्य तथा ऐसी अन्य बातों के लिए जिम्मेदार तत्वों को नजरबन्द करने हेतु कानून नहीं बना सकते हैं ।

उत्तर बंगाल में रमन पनबिजली परियोजना

*309. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल की रमन पनबिजली परियोजना का मूलभूत ढांचा तैयार हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि अस्थाई सड़कों व आवासीय भवनों के निर्माण और निर्माण के लिए बिजली-व्यवस्था जैसे अवसंरचनात्मक कार्य हाथ में ले लिए गए हैं। इन अवसंरचनात्मक कार्यों में एक भाग रमन जल-विद्युत परियोजना चरण-दो के लिए भी है । इस परियोजना को अप्रैल, 1977 में स्वीकृति दी गई थी और वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 12.5–12.5 मेगावाट की प्रथम दो यूनिटें 1982-83 में तथा 12.5–12.5 मेगावाट की शेष दो यूनिटें 1983-84 के दौरान चालू किए जाने की आशा है ।

श्री अमर राय प्रधान : मुझे मंत्री महोदय के उत्तर से निराशा हुई है । मैं कह सकता हूं कि वहां सड़क निर्माण के कार्य को छोड़कर अन्य अवसंरचनात्मक कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुए हैं। उत्तर बंगाल एक उपेक्षित और पिछड़ा क्षेत्र है बिजली संकट के कारण यह काला अथवा अंधेरा क्षेत्र हो गया है । विशेषकर वर्षा के दिनों में संपूर्ण जलढाका पन बिजली परियोजना बंद हो जाती है । राजनीतिक दबाव के कारण डलरकोला ताप संयंत्र को त्याग दिया गया है । उत्तर बंगाल के लोगों के लिए एकमात्र आशा रमन परियोजना है । इन परिस्थितियो में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है और इस परियोजना पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है? (**व्यवधान**)

श्री पी० रामचन्द्रन : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए । इस परियोजना पर 2419 लाख रुपये का खर्च आएगा । इसमें बिजली के कार्य के लिए 995 लाख रुपये शामिल हैं और शेष राशि सिविल कार्य और ऊपरी खर्चों में व्यय की जाएगी । योजना आयोग ने चालू वर्ष के लिए 278 लाख रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया है । अस्थायी सड़कों तथा आवासीय भवनों का निर्माण कार्य और निर्माण के लिए बिजली की व्यवस्था करने का काम हाथ में ले लिया गया है ।

श्री अमर राय प्रधान : इस परियोजना पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ? अस्थायी सड़कों का निर्माण कब पूरा होगा और भवनों का अवसंरचनात्मक कार्य तथा अन्य दूसरे कार्य कब आरम्भ होंगे ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जैसा कि मैंने पहिले ही बताया है कि संपूर्ण यूनिट को 1982-83 और 1983-84 तक चालू करने की सम्भावना है । इस बीच राज्य बिजली बोर्ड ने अवसंरचनात्मक कार्य हाथ में ले लिया है । वे इसे कार्यक्रम के अनुसार कर रहे हैं ।

श्री चित्त बसु : क्या यह सच नहीं है कि अवसंरचनात्मक कार्य कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं किया जा सका और न पूरा किया जा सकता है क्योंकि धन उपलब्ध नहीं है और अपेक्षित राशि नहीं दी गई है ? इसको देखते हुए क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि इस परियोजना को कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए अपेक्षित धन उपलब्ध किया जायेगा ताकि अवसंरचनात्मक कार्य कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा सके ?

श्री पी० रामचन्द्रन : यह राज्य सरकार और राज्य विद्युत बोर्ड का कार्य है कि वे धन की कमी होने की स्थिति में योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार से कहें । अब तक ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है और उन्होंने हमें सूचित नहीं किया है कि धन की कमी है ।

श्री सौगत राय : जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है उत्तर बंगाल एक पिछड़ा क्षेत्र है और रमन पा बिजली परियोजना केवल एक छोटी परियोजना है जो कि एक छोटे क्षेत्र को बिजली देगी । उत्तर बंगाल को बिजली का समस्या हल करने के लिए बृहत ताप विद्युत केन्द्र की आवश्यकता है । क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह ताप विद्युत केन्द्र कब से चालू हो जाएगा ?

श्री पी० रामचन्द्रन : फरक्का के लिए परियोजना प्रतिवेदन को तैयार किया जा रहा है और इसे पूंजी निवेश स्वीकृति बोर्ड के समक्ष रखा जाना है । स्वीकृति मिलने के बाद कार्य आरम्भ करने के लिए मंजूरी दी जाएगी और यह कार्य राष्ट्रीय ताप बिजली निगम करेगा । जैसा कि मैंने पहिले बताया है, यह स्वीकृति अगले दो या तीन महीनों में दी जाएगी । इसके बाद परियोजना पर कार्य आरम्भ होगा ।

श्री के० बी० चेतरी : उत्तर बंगाल में बिजली की कमी के कारण वहां किसी भी परियोजना को आरम्भ नहीं किया जा रहा है । इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के लोग अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहे हैं । परियोजनाओं को तत्काल पूरा करने अथवा निर्धारित समय के भीतर उनको पूरा करने से संपूर्ण उत्तर बंगाल के लोगों को बड़ी सहायता मिलेगी । मैं जानना चाहता हूं कि मशीनरी आयात करने और अन्य देशों से टेंडर आमंत्रित करने के संबंध में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच कुछ विवाद होने के कारण परियोजनाओं के कार्य में विलम्ब हो गया है । दूसरा, चूंकि प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं मैं उनका ध्यान इस प्रश्न की ओर आकर्षित करूंगा कि क्या यह सच है कि दार्जीलिंग के पहाड़ी क्षेत्र के लिए तीन पांच वर्षीय योजनाओं में 800 लाख रुपयों का आबंटन किया गया था । उसमें से अब तक 659 लाख रुपये ही दिए गए हैं । शेष राशि अभी दी जानी है और क्योंकि इसके कारण दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र में सब विकास कार्य रुक गया है । क्या प्रधान मंत्री इस मामले को देखेंगे और शेष राशि देने में तत्काल तत्परता बरतेंगे ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक बिजली का संबंध है यह सच है कि विभिन्न कारणों तथा उत्तर बंगाल और बंगाल के अन्य भागों के बीच विद्युत लाइनों का समुचित संबंध के अभाव में उत्तर बंगाल में बिजली की कमी है । हमने राज्य बिजली बोर्ड को पहिले ही विद्युत लाइनों का संपर्क स्थापित करने के लिए कहा है ताकि उत्तर बंगाल को भी बिजली की सप्लाई की जा सके । जहां तक इस विशेष परियोजना का प्रश्न है, सभी समस्याएं हल कर ली गई हैं और हम राज्य विद्युत् बोर्ड से कुछ स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । जैसे ही उनसे स्पष्टीकरण मिल जाएगा, मशीन आयात करने का प्रयास किया जायेगा ।

Priority to Backward Adivasi Areas for setting up Cottage Industries

*310. **Shri Rameshwar Patidar :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether backward Adivasi areas would be given priority by Government in the scheme for setting up cottage industries there; and

(b) if so, the outlines of the scheme ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) Yes, Sir.

(b) A Working Group on Khadi & Village Industries has been constituted recently which will recommend the strategy, policies and programmes for development of Khadi and Village Industries with particular emphasis on areas having a large Adivasi population. The Working Group is expected to finalize the Report by 15-3-1978.

Shri Rameshwar Patidar : Is there any plan to send such Working Group to Madhya Pradesh ?

Shri George Fernandes : The Working Group will go to the areas, which are most backward in the whole country and when adivasis have special problems. It will submit its report after going into all those problems.

Shri Mohammed Shafi Qureshi : The Scheme of opening Carpet Centres is very good but the difficulty is that Master Craftsmen are not available for imparting training. Will he see that Carpet Centres are opened in such areas where Master Craftsmen are available in good number ?

Shri George Fernandes : We will keep this in mind.

Shri Jagdish Prasad Mathur: The adivasis predominently live in Jungles where there are such forests resources available which can be used in running industry. But the contractors take them away. There are lac, timbers and other things which can be used for running traditional industries. Keeping this in mind whether the Government have formulated any scheme ?

Shri George Fernandes: Actually it has been stressed in the Preliminary Report which we received from the Working Group that while looking into the problems of adivasis only those avocations should be taken into consideration which they are pursuing traditionally. In so far as the production of other commodities in forests is concerned, the same is being done through Village and Industry's Commission.

Shrimati Chandravati: Will the Minister of Industry be pleased to state whether there is any plan to open any Technical School for know-how of skilled labour at the places where cottage industries are to be set up ?

Shri George Fernandes: Arrangements for setting up Training Centres in different regions have already been made.

Setting up of Training Centres for imparting training in Carpet Weaving

*311. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have since accorded approval to the proposal for setting up training Centres for imparting training in carpet weaving; and

(b) if so, the names of places where the training Centres will be opened and the time by which they will start functioning ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Yes, Sir. Sanction was accorded on 22nd September, 1977.

(b) The training Centres are to be set up in the States of Uttar Pradesh; Jammu & Kashmir; Rajasthan; Andhra Pradesh; Bihar; Himachal Pradesh; Haryana and Punjab. 90 Centres have already started functioning and the remaining 220 Centres are expected to be commissioned by the end of December.

Shri Daya Ram Shakya : I had asked the names of places where Training Centres are proposed to be set up but hon'ble Minister has given names of regions only. I would like to know the places in Uttar Pradesh and Bihar where these centres have been set up and proposed to be set up ?

Second thing is this that this industry earns a lot of foreign exchange and it provides employment to many persons. Keeping in view all these things whether arrangements have been made to provide any financial assistance to the trainees ?

Shri George Fernandes : 145 training centres are being set up in Uttar Pradesh. They will be set up mostly in the areas where weaving of carpets is a traditional profession. In case hon'ble Members want to know the names of 145 places, he should give separate notice for it.

Shri Daya Ram Shakya: This industry provides employment to many persons and earns foreign exchange as well. So whether any arrangement will be made to give financial assistance to the trainees during the Training period and also for setting up industries?

Shri George Fernandes: Mr. Speaker, Sir, Trainees are paid a sum of Rs. 60/- per month during the training period.

श्री विनोदभाई बी० शेठ : गुजरात में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां से "जोरिया" उन ब्रिटेन की निर्यात की जाती है ? क्या गुजरात में, विशेषकर जामनगर क्षेत्र में गलीचा उद्योग चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : इस समय गुजरात में कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है । यदि गुजरात में ऐसे कोई क्षेत्र है, जहां ये केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं तो हम उसपर विचार करेंगे ।

Shri Lalji Bhai: May I know the name of the State in which they propose to open training centres at maximum number of places?

Shri George Fernandes: Maximum number of centres will be opened in U.P. and the number of centres will be 145. Besides this 130 in Jammu and Kashmir, 10 in Rajasthan and five each in Andhra Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Haryana and Punjab. All these new centres will be opened in 1977-78. At present the number of centres is 117 in U.P., 75 in Jammu and Kashmir, 4 each in Rajasthan and Andhra Pradesh, 1 each in Bihar and Maharashtra, 3 in Himachal Pradesh, 2 in Haryana, 3 in Punjab, 1 each in Sikkim and Arunachal Pradesh.

Shri Y. P. Shastri: The name of Madhya Pradesh is not there in this list. The work of weaving carpets is done in Rewa, Jabalpur, Tikamgarh etc. in Madhya Pradesh. Will the hon'ble Minister arrange to open training centres in the aforesaid districts of Madhya Pradesh?

Shri George Fernandes: We shall open these centres in all such States immediately where they are required. We shall do our best. The question of providing funds or any other thing will not come in the way of opening such centres.

Survey of Areas under Coal Bearing Act

*312. **Shri R. L. P. Verma:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether no survey has so far been made of the area acquired particularly Karnapura Zone Area, under Section 7 of Coal Bearing Act;

(b) whether any action is being taken under Section 9 without completing action under Section 7 of the Act; and

(c) if so, who are responsible for these irregularities?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कोयला धारी क्षेत्र अधिनियम की धारा 7 के अधीन कर्नपुर अंचल तथा अन्यत्र किए गए सभी अधिग्रहण, एरिया के समुचित सर्वेक्षण और कानूनी व्यवस्थाओं को पूरा करने के बाद किए गए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri R. L. P. Verma: Mr. Speaker, Sir, the land acquired in Karanpura Zone Area has been acquired directly whereas according to Coal Bearing Act, 1957, a notification to that effect should have been published in the official Gazette, objection should have been invited, but section 7 has been ignored and the land has been acquired under section 9 directly.

It has been provided under section 4 and 7 that the vacant space created as a result of exploitation of coal should be filled in immediately by sand taken out from the basin of Damodar river. But after acquiring the land, the contractors are not allowed to fill the vacant space with sand from the basin of Damodar river. It has also been provided under the law that if coal is not exploited for three years then it has to be notified again. It is now more than three years but in spite of it fresh notification has not been issued. Neither it has been acquired again nor contractors have been allowed to take sand so that they could fill the mines with the same. In case vacant space is not filled with sand, sometimes accidents can occur. The contractors bring sand from Damodar river illegally and fill the vacant space as a result of which the officers get illegal gratification. I would like to know from the Government whether steps will be taken to punish the officers found guilty of such charges ?

श्री पी० रामचन्द्रन : महोदय, जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है, कानून के सभी उपबन्धों का पालन किया गया है । यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें है और यदि उन्हें हमारे पास भेजा जाये, तो हम निश्चय ही सख्त कार्यवाही करेंगे । परन्तु जहां तक कानून के उपबन्धों का सम्बन्ध है, उन सब का पालन किया गया है ।

Shri R. L. P. Verma : I would like to know from the hon'ble Minister whether any notification was issued for the acquisition of basin of Damodar river and if so, the date thereof and when the basin was acquired and which competent authority issued notification to that effect

श्री पी० रामचन्द्र : मुझे इसके लिये अलग सूचना भेजी जानी चाहिये ।

फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर

*313. **श्री एस० आर० रेड्डी :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के विकास पर कितनी लागत आयेगी, और

(ख) इसके कब तक तैयार होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर की अनुमानित लागत (ईंधन की लागत को छोड़कर) 58.72 करोड़ रुपये है, जिसमें 27.86 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा शामिल है ।

(ख) इस रिएक्टर के वर्ष 1980 के मध्य तक चालू हो जाने की आशा है ।

श्री एस० आर० रेड्डी : फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर में विदेशी मुद्रा भाग के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें प्रौद्योगिक तथा विदेशी मशीनें दोनों ही सम्मिलित हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : उसमें दोनों सम्मिलित हैं ।

श्री एस० आर० रेड्डी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है । रिऐक्टर स्वदेशी होगा । क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा भी लगेगी अतः यह किस सीमा तक स्वदेशी होगा ? क्या प्रतिशतता होगी ?

श्री मोरारजी देसाई : यह बात तो मैं नहीं बता सकता परन्तु जितना भी अधिकतम संभव होगा किया जायेगा ?

डा० सुब्रामणियम स्वामी : भारी जल की कमी तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि इसे प्राप्त करने में हमें बहुत कठिनाई होती है, क्या सरकार मोल्टन राव फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर की प्रकार का, जिसमें भारी जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई नये फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर के बारे में विचार कर रही है अथवा विचार करेगी ? क्या सरकार ऐसा रिऐक्टर स्थापित करने पर विचार कर रही है अथवा करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : यदि माननीय सदस्य इस प्रकार कोई सुझाव दे तो मैं आभारी हूंगा ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : प्रधान मंत्री को पता है कि हमारे देश में थोरियम की मात्रा बहुत सीमित है और आशा यह की जाती है कि फास्ट ब्रीडर रियेक्टर में थोरिया के बड़े संसाधनों का प्रयोग हो रहा है । वर्तमान फास्ट ब्रीडर रियेक्टर परीक्षण के आधार पर कार्य कर रहा है । आपको पता है कि पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस में बहुत से फास्ट ब्रीडर रियेक्टर चल रहे हैं । अतः मैं प्रधान मंत्री से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या देश में स्थायी फास्ट ब्रीडर रियेक्टर पावर स्टेशन का निर्माण आरम्भ किया जायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उस फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर के बारे में जानना चाहते हैं जो हमारे यहां है ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : थोरियम प्रयोग करने वाले फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर ! क्या मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराऊं । मैं जानना चाहता हूं ...

श्री मोरारजी देसाई : हम फ्रांस के तकनीकी शिष्टमंडलों से परामर्श कर रहे हैं ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मैं प्रशिक्षणात्मक ऊर्जा केन्द्रों के स्थान पर स्थाई ऊर्जा केन्द्र के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री मोरारजी देसाई : जब परीक्षण सफल हो जाये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Grant of Pension to Freedom Fighters

*305. **Shri Keshavrao Dhondge**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in Marathwada division of Maharashtra, many people laid down their lives and were ruined by suffering loss of life and property while fighting with Razakars during the war of independence waged against the former Nizam Government;

(b) whether this struggle against Nizam Government has been recognised as a freedom struggle by Central Government;

(c) the number of such freedom fighters and martyrs whose relatives have so far been given financial assistance by Central Government and if no assistance has been given, the reasons therefor; and

(d) the details of the recommendations made to Central Government by the State Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The struggle against the Nizam and the Razakars, so far as it related to the merger of the Hyderabad State with the Union of India is treated as a part of Freedom Struggle.

(c) & (d) : Pension has been sanctioned in 985 cases as recommended by the State Government.

इन्टर नेशनल बिजनेस मशीन्स द्वारा भारत में अपना कार्य बन्द किया जाना

*314. **डा० वसन्त कुमार पन्डित :** क्या **इलेक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटर नेशनल बिजनेस मशीन्स कारपोरेशन (आई० बी० एम०) ने वर्ष 1977 के अन्त तक भारत में अपना कार्य बन्द कर देने की अपनी योजना के बारे में केन्द्रीय सरकार की अनौपचारिक रुप से सूचित कर दिया है ;

(ख) सरकार ने आई०बी०एम० के समक्ष अपना कार्य जारी रखने के लिए क्या शर्तें रखी हैं ;

(ग) आई०बी०एम० कितने उपयोग कर्ताओं को सेवा कर रहा है तथा उसने कितने भारतीय कर्मचारियों को काम पर लगाया है ; और

(घ) सरकार द्वारा समझौते संबंधी प्रस्ताव के बारे में की जा रही बातचीत में कितनी प्रगति हुई है ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मैसर्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने केन्द्रीय सरकार को औपचारिक रूप से सूचित किया है कि मई, 1978 के अंत तक उनका विचार अपने कार्य को भारत में क्रमिक रुप से बंद करने का है ।

(ख) शर्तें यह है कि वे अपनी वर्तमान शाखा को भारतीय कम्पनी में बदलकर और उसमें लगी विदेशी साम्यापूंजी (ईक्वीटी) को 40 प्रतिशत के स्तर तक लाकर अपने कार्यसंचालन को पुनर्व्यवस्थित करें ताकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का अनुपालन हो सके ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत में मैसर्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स जिन ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती हैं उनकी संख्या तथा उक्त कपनी में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

1. ग्राहक गण :

(i) डेटा प्रोसेसिंग :

किराए पर दिए गए उपकरण . . .	750
खरीदे गए उपकरण	168

(ii) डेटा केन्द्र

लगभग 350

2. कर्मचारी :

लगभग 800

(घ) समझौते के किसी भी प्रस्ताव पर कभी भी कोई बातचीत नहीं हुई । केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुवा जिनके आधार पर इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन्स कंपनी को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुरुप कार्य संचालन करना था ।

चण्डीगढ़ स्थित सी० एस० आई० ओ० के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

*315. **श्री भगत राम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चण्डीगढ स्थित सेन्ट्रल साइंटिफिक इन्सट्रयूमैन्टस आर्गनाइजेशन के श्रमिकों में गंभीर अशांति है और कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में मई, 1977 से आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) क्या कर्मचारियों ने 23 जून से 7 अगस्त तक पैंतालीस दिनों की क्रमिक भूख हड़ताल भी की थी और पुनः आन्दोलन आरंभ करने की धमकी दी है क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगों को बातचीत के माध्यम से न सुलझाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कर्मचारियों की उचित मागों को सुलझाकर नया आन्दोलन टालने और सी० एस० आई० ओ० में सामान्य स्थिति लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ के श्रमिकों में कोई गंभीर अशांती नहीं है। फिर भी, संगठन के कुछ निम्न श्रेणीयों के कर्मचारी विभन्न कारणों से आन्दोलन कर रहे हैं ।

(ख) कुछ कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल की थी और तथा कथित सी०एस०आई०ओ० कर्मचारी यूनियन ने हाल ही में पुनः नया आन्दोलन चलाने की धमकी दी है ।

(ग) और (घ) : कर्मचारियों की कुछ मांगों को मानने के आदेश हाल ही में भेजे गये हैं । सी० एस०आइ०ओ० चण्डीगढ को सलाह दी जा रही है वह कर्मचारियों की अन्य मागों पर भी विचार करे।

Capital of Birla Group

*316. **Shri Arjun Singh Bhadoria**: Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the capital of Birla group in 1970; and

(b) the extent to which capital of Birla group has increased from 1970 to date ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) and (b) : Assuming the registration under Section 26 of the Monopolies & Restrictive Trade Practices Act, 1969, as the basis for the grouping, as on 30th September, 1977, 69 undertakings appear to belong to Birla group. The total value of their assets

reflecting the capital employed was Rs. 411.16 crores in 1969 and Rs. 858.81 crores in 1975. The assets of the undertakings have thus increased by Rs. 447.65 crores from 1969 to 1975. Information regarding the assets after 1975 is not available.

हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापना हेतु कच्चे माल के लिए सर्वेक्षण

*317. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापना हेतु उपयोगी कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में पूर्ण सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ।

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग स्थापित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाण्डिज) :(क) और (ख): हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए लाभप्रद कच्ची सामग्री की उपलब्धता का सम्पूर्ण सर्वेक्षण करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु राज्य सरकार ने लघू उद्योग विस्तार संस्थान, हैदर बाद (भारत सरकार के एक उपक्रम) के मार्ग दर्शन में सभी जिलों के औद्योगिक विकास के लिए उनकी विभव क्षमता का अन्दाज लगाने के लिए सर्वेक्षण किया है । राज्य सरकार के पास एक परिपूर्ण भूतत्व विभाग है जो राज्य में खनिज स्रोतों का पता लगाता है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार एक सीमेन्ट संयन्त्र, एक अखबारी कागज संयन्त्र और भेषजीय दवाइयों का उत्पादन करने के लिए एक संयन्त्र लगाने के लिए बात चीत कर रही है जो स्थानीय भेषजीय जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकेगा । राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी नीति घोषित की है जिसमें स्थानीय स्रोतों पर आधारित उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

Army Training College at Naugaon in Madhya Pradesh

*318. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether an Army Training College was located at Naugaon in Bundelkhand region of Madhya Pradesh;

(b) whether the college was shifted to another place on the plea of lack of accommodation; and

(c) if so, whether the Ministry propose to consider shifting the college again to Naugaon after ascertaining that there is no dearth of accommodation there ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b): The Army Cadet College located at Nowgong was shifted to Pune in 1964 as the accommodation at Nowgong could take only 300 cadets where as it was decided in 1964 to expand the capacity of the College to 650 Cadets.

(c) The College has since been shifted to Dehra Dun in July 1977 to form a Wing of the I.M.A. to provide better training facilities, accommodation and supervision to the cadets. As a result of this move, there would be a saving of about Rs. 11 lakhs annually in recurring expenditure.

केरल में साइलेन्ट वेली परियोजना और पन बिजली परियोजनाएं

*319. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में साइलेंट वेली परियोजना को मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) केरल में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन और कितनी पन बिजली परियोजनाएं हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) 2448 लाख रुपए की अनुमानित लागत को साइलेंट वेली परियोजना योजना आयोग द्वारा मूलत: फरवरी, 1973 में स्वीकृत की गई थी । तदुपरान्त केरल सरकार ने परियोजना के क्षेत्र और डिजाइन के संबंध में कुछ परिवर्तन सुझाए थे । परियोजना का संशोधित अनुमान राज्य प्राधिकारियों से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अक्तूबर, 1977 में प्राप्त हुआ है । विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने भी स्थल स्थिति संबंधी कुछ मामले उठाए हैं जिनको जाँच संशोधित परियोजना अनुमानों के साथ-साथ की जा रही है ।

(ख) पहले से ही निर्माणाधीन इदिक्को चरण-तीन, इदामलयार और कक्कड जल-विद्युत परियोजनाओं के अलावा केरल राज्य प्राधिकारियों ने निम्नलिखित दो स्कीमों के संबंध में परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी हैं :—

(1) केरल-पण्डियार-पुन्नपुझा जल विद्युत स्कीम ।

(2) कुट्टियाडी संवर्धन (बहूद्देश्यीय) स्कीम ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा का माध्यम

*320. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेषरूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आदि के लिए प्रश्न पत्रों के उत्तर का माध्यम अंग्रेजी है ;

(ख) क्या विशेष रुप से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाओं में 16 वर्ष से 17 1/2 वर्ष के आयु के छात्र बैठते हैं और किसानों तथा गरीब लोगों के पब्लिक स्कूलों से भिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में उतनी अच्छी प्रकार नहीं दे सकते जितना पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र दे सकते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार विशेष रुप से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा के लिए हिन्दी को माध्यम के रुप में अपनाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस भेदभाव वाली प्रवृत्ति और अवसरों को असमानता को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1291/77]

साहूकारों द्वारा आदिम जातियों के लोगों तथा आदिवासियों का शोषण

*321. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिम जातियों के लोगों तथा आदिवासियों को साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : आदिम जातियों के शोषण को रोकने को बहुत उच्च प्राथमिकता दी गई है । साहूकारों के शोषण से आदिम जातियों को बचाने के लिए राज्यों में विभिन्न विधायी उपाय हैं । इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और केरल के अधिकांश आदिम जाति क्षेत्रों में आदिम जातियों के लिए ऋण के वैकल्पिक स्त्रोत की व्यवस्था करने के लिए बड़े आकार की बहु उद्देशीय समितियां गठित की गई है । ऐसे उपाय भी किये गये हैं ताकि आदिम जातियों ब्याज योजना के विभिन्न दरों के अधीन 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर कमर्शियल बैंकों से आसान ऋणों का लाभ उठा सकें ।

Setting up of 'Sal' Based Factory in Mandla (Madhya Pradesh)

*322. **Shri Shyamlal Dhurve:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether a proposal is being considered to set up a factory in Mandla district (Madhya Pradesh) a backward Adivasi region, based on the 'Sal' wood available in the forests there ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for not formulating such a scheme so far ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) to (c) : There is no proposal for setting up a factory based on 'Sal' wood in Mandla District in Madhya Pradesh. However, the Madhya Pradesh State Industries Corporation is setting up a sal seed extraction plant with an annual capacity of 20 metric tonnes at a cost of Rs. 30 lakhs as a joint sector project in Mandla District of Madhya Pradesh.

माइक्रो सर्किट वाले उपकरणों का निर्माण

*323. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइक्रो सर्किट वाले उपकरणों के बारे में अनुसंधान और उनके निर्माण में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के लिए विदेशों से प्रोद्योगिकी का आयात करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां, माइक्रो सर्किटों से युक्त उपकरणों तथा उपस्करों के विकास तथा उत्पादन दोनों में ही प्रगति हुई है ।

(ख) सन् 1971 से भारत इलेक्ट्रोनिकी लिमिटेड ने विभिन्न प्रकार के मोटी फिल्म हाइब्रिड माइक्रो सर्किट माडलों का विकास किया है । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता की एक योजना के अंतर्गत इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने भी अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के लिए इसी प्रकार के माड्यूलों का उत्पादन किया है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता के अंतर्गत चलाई गई एक अल्प परियोजना के अंतर्गत टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान ने अति उच्च आवृत्ति वाले तथा परम उच्च आवृत्ति वाले ऐसे एम्पलीफायर माड्यूलों का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है जो पतली फिल्म से सम्बद्ध, प्रोद्योगिकी पर आधारित हैं। कभी कभी "माइक्रोसर्किट" शब्द का प्रयोग मोनोलिथिक एकीकृत परिपथ (आई०सी०) के लिए भी किया जाता है। हमारे देश में कुछ किस्म के मोनोलिथिक एकीकृत परिपथों का उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथों (एल०एस०आई०) के निर्माण के लिए सेमी-कंडक्टर उद्योग समूह की स्थापना को मूर्तरुप दे रहा है । एकीकृत परिपथों तथा बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथों पर आधारित उपकरणों तथा उपस्करों का निर्माण भारत में हो हो रहा है।

(ग) हाइब्रिड सूक्ष्म परिपथों का निर्माण मुख्यत: उपस्करों के निर्माण में लगी ऐसी कम्पनियों द्वारा अपनी ही फैक्ट्रियों में किया जाता है जो संचार प्रणालियां अथवा उपकरण तैयार करती हैं। अत: इस क्षेत्र में सामान्य तरीके से प्रोद्योगिकी हासिल करना सम्भव नहीं है तथा सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि उपस्करों के निर्माता अपनी विशिष्ट किस्म की निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कारखाने में ही इसका विकास करें। किंतु, यदि लाइसेंस के अंतर्गत किसी अन्त्य उपकरण/प्रणाली का निर्माण किया जाना है तो उस उपस्कर/प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले हाइब्रिड माइक्रो सर्किट माड्यूलों का उत्पादन भी लाइसेंस के अंतर्गत किया जा सकता है ।

फाइबर मिलाने के कारण खादी के मूल्यों में वृद्धि

*324. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी को ऐसे रेशों के साथ मिलाये जाने की अनुमति दी गई है जिनके बनाने में विदेशी जानकारी और कुछ आयातित पदार्थ आवश्यक होते है ?

(ख) यदि हाँ, तो पोलिखादी बनाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस मिश्रित खादी का मूल्य दुगने से भी ज्यादा होने वाला है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस उद्योग को परम्परागत पद्धतियों द्वारा चलाकर पूर्णतया हिन्दुस्तानी बने रहने देने पर विचार करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस): (क) से (घ): मानव निर्मित रेशे जैसे पोलीएस्टर के मिश्रण को अनुमत करके 'खादी' शब्द का क्षेत्र विस्तृत किया जाये इससे विपणन क्षमता बढ़ेगी और उपभोक्ता की बदलती हुई मांगों की पूर्ति होगी, खादी तथा ग्रामोद्योग से प्राप्त इस आशय का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। खादी के हाथ से बनाये रेशे के मिश्रण से सम्बन्धित योजना अभी प्रयोग स्तर पर ही है अतएव उसके आर्थिक पक्ष का हिसाब नहीं लगाया गया है । फिर भी, यह आशा की जाती है कि हाथ की कताई, बुनाई के रूप में पोलीयेस्टर की खादी अपनी आधारभूत विशेषता नहीं छोड़ेगी तथा मिल के बने पोलिएस्टर के कपड़े के मुकाबिले उसके मूल्य भी उचित ही होंगे ।

आदिम जाति लोगों से ली गई भूमि का उनको वापिस लौटाया जाना

*325. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिम जाति लोगों की मुख्य समस्या उनसे ली गई भूमि को उनको वापिस लौटाना है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में आदिम जाति लोगों की भूमि उनको वापस लौटाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) उन राज्यों से जिनके पास आदिम जाति उप योजनाएं हैं, आदिम जाति लोगों के हित के संरक्षण की दृष्टि से भूमि संबंधी अपने वर्तमान कानूनों का पुनरीक्षण करने के लिए कहा गया है। अधिकतर राज्यों ने इस कार्य को पूरा कर दिया है। परियोजना प्रशासकों को भूमि हस्तान्तरण और भूमि लौटाने की समस्या को प्रथम प्राथमिकता देनी है ;

(ग) उपलब्ध सूचना से प्रतीत होता है कि लगभग 11,110.46 हैक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के राज्यों में आदिम जाति के लोगों को लौटा दी गयी है।

मिजोरम में विस्थापित हुए व्यक्तियों को मुआवजा

2869. **डा० आर० रोथुअम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में हुए दंगों के बाद से उन असैनिक नागरिकों अथवा परिवारों को अब तक दिये गये मुआवजे की धनराशि के बारे में तथ्य तथा आंकड़े क्या हैं, जिनकी जाने गई है तथा सम्पत्ति, बागान और मकानों को क्षति पहुंची है (ग्रुपिंग के परिणामस्वरुप ग्रामों के जलाये जाने अथवा उजड़ जाने के कारण); और

(ख) मुआवजे के रुप में दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा और स्वरूप क्या है और मिजोरम में अब तक परिवार-वार अथवा ग्राम-वार दी गई केन्द्रीय सहायता का अनुमानित मूल्य कितना है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : 1966 के दंगों के बाद भूमिगत अभित्रास तथा उत्पीड़न से ग्रामीणों को सुरक्षा संरक्षण प्रदान करने के विचार से मिजोरम में गांव के समूहीकरण की योजना हाथ में ली गई थी। छोटे ग्रामों का पुनः सामूहीकरण उचित स्थानों पर किया गया था और वह लोग, जिन्हें अपने ग्राम छोड़ने पड़े थे, नये स्थानों पर पुनः बसाये गए थे। सी०जी०आई० शिटो, परिवहन, खाद्यान्न आदि के रूप में पुनर्वास सहायता प्रभावित ग्रामीणो को दी गयी थी। अतः मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

पटसन निर्माताओं को न्यूनतम बोनस के भुगतान से छूट दिया जाना

2870. **श्री वयालार रवी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन निर्माताओं ने मांग की है कि उन्हें न्यूनतम बोनस को भुगतान करने से छूट दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) : बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अधीन बोनस भुगतान से छूट की मंजूरी केवल राज्य सरकारों द्वारा ही दी जा सकती है ।

Statistics of Fluctuations in the retail price of cloth

2872. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state the statistics in regard to the fluctuations in the retail price of articles of daily use such as cotton, silken, woollen, nylon, rayon cloth etc. particularly the retail prices of coarse dhoties, sarees and coarse blankets during the last five years ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): Two tables giving statistics on the prices of different kinds of textiles for the last three years as published by the Textiles Committee, are given below:

TABLE 1

Estimated Average Prices of Textiles of Individual Fibre Fabrics at the All India Level during 1974, 1975 and 1976

(Price per Metre in Rupees)

Sl. No.	Fibre	1974	1975	1976
1	Cotton	4.70	5.02	4.91
2	Pure Silk	21.91	36.20	36.36
3	Art Silk	7.48	8.59	11.07
4	Woollen	24.44	26.41	37.73
5	Nylon, Polyester and other Synthetics	15.39	17.21	16.35 19.11
6	Polyester—cotton	17.98	22.17	24.92
7	Polyester—wool	32.93	67.00	64.67
8	Other Mixed	9.42	10.89	11.62

TABLE 2

Estimated Average Price of Cotton Dhoties and Sarees at All India Level during 1974, 1975 and 1976

(Price per piece in Rupees)

Sl. No.	Variety	1974	1975	1976
1	Dhoti—Cotton (Mill-made & Powerloom)	17.64	18.27	16.10
2	Dhoti—Cotton(Handloom)	14.16	13.47	12.58
3	Dhoti—All types of Cotton	17.13	17.25	15.71
4	Saree (5 metres)—Cotton (Mill-made & Powerloom)	26.51	29.63	27.14
5	Saree (5 metres)—Cotton—handloom	26.94	24.72	23.73
6	Saree (5 metres)—All types of cotton	26.52	28.48	26.57

2. No such information with regard to blankets is available.

Demarcation of areas of production in order to restrict the monopolies in Dhoties and Sarees

2873. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether the Janata Government is committed to their promise made in their election manifesto for demarcation of areas of production in order to restrict the monopolies;

(b) if so, whether Government have so far taken any decision to reserve industries to different sectors;

(c) whether Government accept it in principle that the production of Dhoties and Sarees be reserved for handloom, powerloom and khadi industries; and

(d) if so, when an action would be taken in this direction ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) & (b) : The revised Industrial Policy is being formulated and would be brought before the House shortly. The Policy will take these aspects into account.

(c) & (d): Production of Dhoties and Sarees of certain constructions and specifications is already reserved for the Handloom and Khadi sectors. There is no line of production reserved exclusively for the Powerloom sector. A Working Group on Textiles has been constituted to formulate proposals for the Sixth Plan programme for the different sectors of the textile industry. The Group is expected to go into the present scheme of reservation and to suggest modifications if any.

लवण कर अथवा लवण उपकर के रूप मे एकत्र की गई राशि

2874. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लवण कर के रुप में अथवा लवण उपकर के नाम पर वार्षिक कितनी राशि एकत्र की जा रही है;

(ख) उसे एकत्र करने के लिए कितने व्यक्ति नियोजित किये जाते है और ऐसी व्यवस्था पर कितना खर्च होता है ; और

(ग) शेष राशि का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) विगत तीन वर्षों में इकट्ठे किए गये नमक उपकर की राशि निम्न प्रकार है :—

(रुपये में)

वर्ष		उपकर	विविध प्राप्तियां	योग
1974–75	रु०	1,23,16,260	18,83,742	1,42,00,002
1975–76		1,16,57,765	18,27,174	1,34,84,939
1976–77		1,12,78,896	20,01,474	1,32,80,370

(ख) और (ग) : नमक उपकर इकट्ठा करने के लिये अलग से कोई कर्मचारी नहीं रखे गये हैं। नमक विभाग के कर्मचारियों के प्रमुख कर्तव्यों में नमक उद्योग का विकास करना, नमक का वितरण, रिसर्च स्टेशनों की स्थापना तथा रख रखाव, नमूने के नमक फार्म की देखभाल तथा नमक उद्योग में लगे मजदूरों के कल्याण कार्य का संवर्धन शामिल है। विभागीय कर्मचारी भी नमक उपकर इकट्ठा करने में सहायता करते हैं। इस समय नमक विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या 998 है। 1976-77 की अवधि में नमक विभाग पर हुआ कुल खर्च 93,07,000 रुपये रहा है।

गोवा, दमण और दीव में लागू होने वाले पोर्तुगाली कानूनों के निरसन के लिए विधि आयोग की सिफारिशें

2875. **श्री एडुआरडो फैलोरो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा, दमन और दीव सरकार द्वारा नियुक्त विधि आयोग ने यह सिफारिश कब की थी कि जिन पुर्तगाली कानूनों का तत्काल निरसन व्यवहार्य अथवा उचित न समझा जाय उन्हें छोड़कर शेष सभी कानूनों का निरसन कर दिया जाये ;

(ख) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है जबकि ऐसी सिफारिशें जुलाई, 1977 तक की गई थीं; और

(ग) 27 जुलाई, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4958 का उत्तर दिये जाने के बाद से उक्त दिशा में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) 30 अप्रैल, 1971।

(ख) तथा (ग) : गोवा, दमन व दीव सरकार ने संसदीय विधान के लिए विधेयक का प्रारुप भेजा था। विधेयक के मसौदे की परीक्षा की गई थी और गोवा, दमन व दीव सरकार से कुछ कमियों को दूर करने के लिए विधेयक के प्रारूप में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था। विधेयक का संशोधित प्रारूप मार्च, 1976 में प्राप्त हुआ था। विधेयक के संशोधित प्रारूप में 65 केन्द्रीय कानूनों को लागू करने और इसी प्रकार के पुर्तगाली कानूनों के निरसन की व्यवस्था थी। चूंकि यह उनके विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं था, अत: उस सरकार को नवम्बर, 1976 में क्षेत्र में लागू सभी पुर्तगाली कानूनों की संवीक्षा करने की सलाह दी गई थी और केवल ऐसे कानूनों को जिनका तुरन्त निरसन व्यवहार्य तथा उचित नहीं था लागू रखने का प्रस्ताव किया गया था। चूंकि पुर्तगाली कानून वर्गीकृत नहीं हैं। अत: उन कानूनों को पता लगाने की क्रिया में जिन्हें लागू रखना है काफी समय लगेगा। फिर भी गोवा, दमन व दीव सरकार मामले में शीघ्र कार्यवाही कर रही है।

सहयोग के साथ भारत में बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशों द्वारा अनुरोध

2876. **श्री स्कारिया थामस :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाहर के कुछ देशों ने सहयोग के प्रस्ताव के साथ भारत में बड़े उद्यागों की स्थापना के लिए सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव किये है ; और

(ग) क्या सरकार ने उनके प्रस्तावों पर विचार किया है और यदि हां तो सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस): (क) से (ग) : पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों की हाल ही की यात्रा के दौरान मुझे, भारत में विदेशी निवेश सम्बन्धी सरकार की सामान्य नीति के बारे में बताने का मौका मिला था । मैंने इस बात पर बल दिया था कि भारत प्राथमिकता वाले उत्पादनों तथा उच्च प्राद्योगिकी वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित की शर्तों और उपबन्धों पर ही विदेशी निवेश स्वीकार करेगा । सामान्यत: इस स्पष्टीकरण की सराहना की गई । विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में विदेशी कंपनियों की प्रतिक्रियाओं का अंदाजा कुछ समय में लगाया जा सकेगा ।

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की वसली में हुई प्रगति

2877. **श्री ज्योतिर्मय बसू** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम द्वारा चालू मौसम में की जा रही कच्चे पटसन की वसूली के कार्य में अत्यधिक धीमी गति से प्रगति हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निराशाजनक कार्यकरण के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (ग) : चूंकि न्यूनतम सांविधिक मूल्यों की तुलना में चालू मौसम में कच्ची जूट के मूल्य काफी उंचे स्तर पर चल रहे हैं भारतीय जूट निगम ने 2-12-1977 तक 180 किलोग्राम की कुल 57,475 गांठों की वसूली की है ।

समुद्र जल से यूरेनियम निकालना

2878. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रायोगिक आधार पर समुद्र जल से यूरेनियम निकालने का प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और सरकार का इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यक्रम है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

Sluice Gate from Bibapur to Kothodia

2879. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of Shipping **and Transport** be pleased to state :

(a) the number of sluice gates from Bibapur to Kothodia on the national highway 31 from which rain and flood water is drained out;

(b) whether Government are aware that it is not possible to cultivate hundreds of acres of land in Telghi and Kothodia in the absence of arrangements for draining out water at many of these places as a result of which the land remains fallow and farmers suffer great loss; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in the regard ?

The Minister of State in charge of the Ministry of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) to (c) : There are no culverts with or without sluices on the Bibapur (Bihpur)—Kothodia (Katareah) length of the National Highway No. 31. This length runs through a narrow and flat strip of land between the rivers Ganga on the south and Kosi on the north. During heavy floods the lands on the respective side remain waterlogged and when the floods in the

two rivers synchronize, which is not infrequent, the lands remain water-logged on both the sides. Culverts with or without sluices on this road-length would not prevent this water-logging. As it is, there has been no complaint from any quarter about this National Highway-length obstructing drainages or delaying cultivation.

अक्तूबर, 1977 में विद्युत सप्लाई की स्थिति

2880. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1977 में क्षेत्रवार और राज्यवार विद्युत सप्लाई की प्रत्याशित और वास्तविक स्थिति क्या थी; और

(ख) उसकी वितरण पद्धति में क्या पाबन्दी बरती गई ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) अक्तूबर, 1977 में राज्यवार और क्षेत्रवार बिजली सप्लाई की यथा प्रत्याशित तथा वास्तविक स्थिति उपाबन्ध में दी गई है ।

(ख) राज्यों में विद्युत् वितरण पद्धति में कोई पाबन्दियां या प्रतिबन्ध नहीं थे । यद्यपि पारेषण क्षमता में कमी के कारण, बिजली की अधिकता वाले राज्यों से कमी वाले पड़ोसी राज्यों को बिजली की सप्लाई में कुछ बाधाएं रही हैं । तथापि, इस प्रयोजन के लिए अधिक से अधिक अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय लाइनों का निर्माण करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

विवरण

बिजली सप्लाय की राज्यवार तथा क्षेत्रवार स्थिती--अक्तूबर, 1977--प्रत्याशित तथा वास्तविक

क्षेत्र/राज्य	प्रत्याशित		वास्तविक सप्लाय मिलियन यूनिट प्रतिदिन	
	आवश्यकता मिलियन यूनिट प्रतिदिन	सप्लाई मिलियन यूनिट प्रतिदिन		
1	2	3	4	
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	8.00	7.70	6.70	
हिमाचल प्रदेश	0.80	0.80	0.75	कोई कमी नहीं
जम्मू व कश्मीर	1.55	1.14	1.40	
पंजाब	10.60	10.28	10.10	
राजस्थान	8.80	6.50	7.50	कोई कमी नहीं
उत्तर प्रदेश	33.60	30.44	26.00	
दिल्ली	5.50	5.50	5.20	कोई कमी नहीं
चण्डीगढ़	0.45	0.45	0.45	कोई कमी नहीं
नगल उर्वरक	4.20	2.35	2.37	
जोड़	73.50	65.16	60.47	

विवरण–जारी

1	2	3	4
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात . .	20.57	20.57	21.60 कोई कमी नहीं
मध्य प्रदेश . .	14.80	12.02	12.90
महाराष्ट्र . .	48.60	41.60	40.20
गोवा . .	0.80	0.55	0.59
जोड़ .	84.77	74.74	75.29
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश . .	13.48	13.48	13.80 कोई कमी नहीं
कर्नाटक . .	21.42	13.45	13.10
केरल . . .	8.00	8.00	7.70 कोई कमी नहीं
तमिलनाडु . .	26.45	26.45	22.40 कोई कमी नहीं
पांडिचेरी सहित			
जोड़ .	69.35	61.38	57.00
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार . .	10.00	8.75	6.50 कुछ अवधि को छोड़कर कोई कमी नहीं रही।
पश्चिम बंगाल . .	16.14	14.50	13.40
दामोदर घाटी निगम			
(1) पश्चिम बंगाल का भाग	5.00	3.14	11.40
(2) बिहार का भाग .	9.50	9.50	
उड़ीसा . .	7.80	7.80	7.20 कोई कमी नहीं रही।
जोड़ .	48.44	43.69	38.50
उत्तर पूर्वी क्षेत्र . .	3.30	2.50	2.30

हथकरघा कपड़े के जमा भंडार को निकालने के लिए केरल को 80 लाख रुपए का ऋण

2881. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा कपड़े के जमा भंडार को निकालने के लिए 1975 में केरल सरकार को केन्द्रीय सरकार ने 80 लाख रुपये का ऋण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उसे इस देय ऋण का भुगतान करने से छुट दी जाये और इस ऋण को 'स्पष्टतया अनुदान' में बदला जाये; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) भारत सरकार ने केरल सरकार को 30 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया था। अन्य राज्यों को भी ऐसी ही शर्तों पर ऋण स्वीकृत किए गए थे। सभी ऋण थोड़ी अवधि के थे तथा इनका ब्याज सहित भुगतान दो वार्षिक किश्तों में किया जाना था;

(ख) जी, हाँ।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के बारें में यह निर्णय लिया गया था कि यह सहायता अनुदान के रूप में नहीं होगी बल्कि यह अल्प अवधि के ऋण के रूप में होगी यही निर्णय केरल पर भी लागू किया गया था ।

Handloom Cloth purchased by the All India Handloom Fabric Marketing Co-operative Society and Handicrafts and Handloom Export Corporation

2882. **Shri Govindram Miri:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the statewise details of the handloom cloth purchased by the All India Handloom Fabric Marketing Cooperative Society and Handicrafts and Handloom Export Corporation during the last five years;

(b) whether the representatives of those States from which products have not been purchased in adequate quantity by the said organisations have submitted a representation to the Central Government in this regard; and

(c) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) State-wise information regarding the purchase of handloom fabrics by the All India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society Ltd. during the last five years is given in the statement attached [**Placed in Library. See No. L.T.-1292/77**]. In so far as information regarding Handicrafts and Handlooms Export Corporation is concerned, the same is being collected and will be placed before the House.

(b) No such representation has been received. However, one of the resolutions and recommendations of the Conference of Ministers incharge of handlooms Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Pondicherry, Tamil Nadu and Andhra Pradesh held at Hyderabad on 17th & 18th November, 1977 relates to the need for stepping up the purchases of handloom materials from these States, especially from the Cooperative Sector.

(c) A Committee has been constituted to undertake a study, among other things, of the purchase and sales policy of the All India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society Ltd. with a view to substantially augmenting its sales turnover.

सम्बलपुर, उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन

2883. **श्री गणनाथ प्रधान** : : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रजराजनगर, सम्भलपुर, उड़ीसा में वहां उपलब्ध कच्चे माल को ध्यान में रखते हुए एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन शुरू करने और सिंचाई प्रयोजनों के लिए बांध के पानी को उपयोग में लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है, सर्वेक्षण परियोजना रिपोर्ट क्या है और इसके लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिंधी समुदाय के शिष्टमण्डल द्वारा ज्ञापन

2884. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री सिंधी समुदाय के शिष्टमंडल के ज्ञापन के बारे 22 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1375 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून, 1977 में सिन्धी समुदाय के शिष्टमंडल द्वारा प्रधान मंत्री को बम्बई में प्रस्तुत ज्ञापन में की गई मांगों के बारे में अब कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ग) : ज्ञापन में सूचीबद्ध सभी मांगों पर सरकार द्वारा सावधानी से विचार किया गया है, परन्तु उन्हें स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया। करन्सी नोटों पर मुद्रण के लिए सिंधी भाषा की लिपि के प्रयोग किये जाने का प्रश्न न्यायाधीन है। सिंधी को उचित महत्व तथा प्रोत्साहन देना सरकार की नीति है। संरक्षणों की सम्मत योजना के अधीन भाषाई अल्प संख्यकों को उपलब्ध सुविधाएं सिंधी बोलने वालों की भी उपलब्ध है।

Bogus Freedom Fighters Pensioners

2885. **Shrimati Parvathi Krishnan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a plan to detect/apprehend bogus freedom fighters who are receiving pension;

(b) if so, the details thereof;

(c) the State-wise number of bogus freedom fighters apprehended so far; and

(d) the action taken by Government against them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) and (b) : There is no official fool-proof machinery for detecting bogus freedom fighters who are receiving pension. Government have, therefore, to depend largely upon public co-operation in this matter. The need for giving wide publicity to the sanctioned cases has accordingly been emphasized on the State Governments, and they have been requested to instruct Collectors, Directors of Publicity and other field staff to arrange to give maximum publicity to the sanctioned cases so that the people of the area may point out the names of those persons who have been sanctioned pension wrongly. In some cases where complaints involving large numbers have been received, enquiry committees have been set up by the concerned State Governments.

(c) A statement showing the State-wise number of bogus cases in which pensions have been cancelled, is attached.

(d) Recovery of payments drawn has been ordered in all cases where pension has been cancelled. Criminal prosecution is left to the State Governments to be undertaken in the light of facts and evidence available in each case.

STATEMENT

Statement showing the number of bogus cases where pension has been stopped as on 30-11-1977

Sl. No.	State/Union Territories	Number of bogus cases in which pension has been stopped
1	2	3
1	Andhra Pradesh	12
2	Assam	4
3	Bihar	15
4	Chandigarh	—
5	Delhi	19
6	Gujarat	3
7	Haryana	5
8	Himachal Pradesh	3
9	Jammu & Kashmir	—
10	Karnataka	11
11	Kerala	55
12	Maharashtra	9
13	Madhya Pradesh	20
14	Orissa	7
15	Punjab	5
16	Pondicherry	30
17	Rajasthan	4
18	Tamil Nadu	76
19	Uttar Pradesh	45
20	West Bengal	46
21	Manipur	—
22	Meghalaya	11
23	Goa	—
24	Tripura	11
	Total	391

इण्डियन, एक्सप्लोसिब्स लिमिटेड में विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन

2886. **श्री वसन्त साठे :**
डा० वसन्त कुमार पण्डित :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एक्सप्लोसिब्स लिमिटेड में हड़ताल होने तथा कर्मचारियों द्वारा धीमे काम करने का तरीका अपनाने के कारण वहां विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन सामान्य उपादन से कम होकर एक तिहाई रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन सामान्य करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) : इन्डियन एक्सप्लोसिब्स लि० गोमिया (बिहार)के कारखाने के कर्मचारियों ने 20 सितम्बर और 26 अक्तूबर, 1977 के बीच हड़ताल की थी जिसके परिणामस्वरूप 3300 मी० टन विस्फोटक सामग्री के उत्पादन की हानि हुई थी । हड़ताल के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी 2 नवम्बर से 16 नवम्बर, 1977 तक कर्मचारी धीमे-काम करो का रवैय्या अपनाये रहे जिसका फल यह हुआ कि कुल मिलाकर लगभग 1200 मी० टन के उत्पादन की और हानि हुई । बताया गया है कि कारखाने में 17 नवम्बर, 1977 से सामान्य रूप में उत्पादन हो रहा है ।

मेघालय में सीमा पार कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपराध करना

2887. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डकैती, पशु-चुराने की घटनाओं और मेघालय में सीमा पार कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अन्य अपराध किये जाने के कारण मेघालय-बंगला देश अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों का जीवन दूभर हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क) सरकार को जानकारी है कि मेघालय-बंगला देश सीमा पर रहने वाले लोग सीमा पार अपराधों के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित होते हैं ।

(ख) सीमा पार अपराध कम करने के विचार से, राज्य सरकार और सीमा सुरक्षा बल इस सीमा पर लगातार निगरानी रखे हुए है और अनेक पुलिस थाने, गश्ती चौकियां और निगरानी चौकियां खोल दी गई है ।

U.P.S.C. Examinations

2888. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether Government propose to advise Union Public Service Commission that during the various competitive examinations and interviews, the candidates should be asked questions relating to social and economic general knowledge of the rural areas?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : Government do not normally advise the UPSC regarding the nature of questions to be asked during the various competitive examinations and interviews. However the Commission are already conscious of the need to devise their selection methods in such a way that candidates coming from rural areas are not placed at a disadvantage.

दिल्ली परिवहन निगम का बस रूट सं० 330

2889. **श्री लालू उरांव :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली परिपहन निगम की बस सेवा दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में सामान्य रुप से और विशेष रूप से रूट सं० 330 पर बहुत ही कम है और विशेष रुप से रुट सं० 330 पर बसें कभी भी नियमित रुप से नहीं चलतीं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सेवा में सुधार करने के लिए इस बारे में क्या उपाय किए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम): (क) दिल्ली के जमुना पार क्षेत्र में 68 बस रुटों का जाल बिछा हुआ है जिसमें 5 मिनी बस रुट और 2 रात्रि सेवाएं शामिल हैं। रुट सं० 330 के बड़े भाग में अन्य रुटों की कई समानान्तर सेवाएं भी आती है। रुट नं० 330 पर सेवाओं को परिचालनात्मक कुशलता संतोषजनक समझी गयी है क्योंकि पिछले 3 महीनों के दौरान इसका परिचालनात्मक अनुपात 90% के आसपास रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में आई० टी० डी० पी० के लिये नियतन

2890. **श्री श्री बाटचा डिगल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य के फुलबनी जिले में आई०टी०डी०पी० को उपयोग के लिये कितनी राशि दी गई ;

(ख) विगत तीन वर्षों में फुलबनी जिले में कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) क्या कुछ राशि लौटाई गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) : फुलबनी जिले में दो आई०टी०डी०पी० कार्य कर रही हैं अर्थात फुलबनी तथा जी० उदयगिरी। पहली वर्ष 1975–76 में तथा दूसरी वर्ष 1976–77 में आरम्भ की गई थीं ।

वर्ष 1975–76 और 1976–77 में इन आई०टी०डी०पी० को दी गई राशि और उपयोग में लाई गई तथा लौटाई गई राशि के सम्बन्ध में सूचना अनुलग्नक में दी है ।

कमी का कारण जैसा राज्य सरकार से सुनिश्चित किया गया है मुख्यतः उचित भूमि अभिलेखों का अभाव है जिसके परिणामस्वरुप विभिन्न योजनाओं मे ऋणकी मंजूरी में विलम्ब हुआ और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में भी विशेषकर उनमें जिनका संबंध स्थानान्तरण (शिफ्टिंग) कृषि से है ।

विवरण

आई०टी०डी०पी० का नाम		दी गई राशि	उपयोग की गई राशि	लौटाई गई राशि
1975–76	फुलबनी . . .	3.37	2.76	0.61
	जी० उदयगिरी . .	—	—	—
1976–77	फुलबनी . . .	10.91	3.75	7.16
	जी० उदयगिरी . .	8.17	3.53	4.64

"सिटी लाइट्स" "नोबल एज्युकेशन" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

2891. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर, 1977 में "सिटी लाइट्स" शीर्षक के अन्तर्गत "नोबल एज्युकेशन" के बारे में उल्लिखित समस्याओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार गृह मंत्रालय के दिसम्बर, 1976 के पत्र संख्या डी/642/76-एस०सी०टी० का संशोधन करने का है जिससे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे विद्यार्थियों को, जिनके माता-पिता 1951 के पश्चात् दिल्ली में रहे, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रमाणपत्र का पात्र बनाया जा सके और शिक्षा सुविधाओं तथा रियायतों का लाभ उठाने के बारे में उनकी कठिनाईयां दूर हो सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने उल्लिखित लेख देखा है। संविधान (अनुसूचित जातियों) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत, दिल्ली के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट जातियों के सदस्यों को ही तथा इसमें निवास करने वालों को दिल्ली में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। शब्द "निवासी उसके राज्य/संघ शासित क्षेत्र के बारे में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के रूप में उसकी जति/जन जाति विनिर्दिष्ट करते हुए राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना की तारीख पर व्यक्ति के स्थायी निवास का उल्लेख करता है। चूंकी दिल्ली के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों को 20-9-1951 को अधिसूचित किया गया था, अत; कोई व्यक्ति जो उस तारीख के बाद दिल्ली में आता है उसे दिल्ली का अनुसूचित जाति नहीं माना जा सकता है।

रियायतें, राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर पर, केवल सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी जाती है। तथापि, अखिल भारतीय स्तर पर दी जानेवाली रियायतें किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए खुली हैं।

Schemes for Development in Ladakh

2892. **Shrimati Parvati Devi**: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether separate schemes have been formulated for the development of agriculture transport, communications and power in Ladakh; and

(b) whether Government propose to adopt a special policy in regard to the development of border hilly areas particularly of Ladakh during the next Five Year Plan?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) & (b): Separate development plans have been proposed for the Ladakh area since the Third Plan. Policies and programmes are currently being reviewed for the next Five Year Plan.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को संसद् सदस्यों से प्राप्त शिकायतें

2893. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए यह स्थायी आदेश है कि संसद सदस्यों द्वारा भेजी गई शिकायतों की जांच की जाए तथा उन्हें 21 दिनों के भीतर अंतिम उत्तर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो संसद-सदस्यों की ओर से गत 6 महीनों में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को कितने पत्र, शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुये, उनमें से कितनों की जांच की गई और कितनों का उत्तर दिया गया?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) हाल ही में कम्पनी के अध्यक्ष द्वारा एक आन्तरिक कार्यालय आदेश इस बात के लिए जारी किया गया था कि संसद सदस्यों से प्राप्त होने वाले पत्रों के पूरे उत्तर 21 दिन के भीतर दिए जाएं ।

(ख) कम्पनी के अध्यक्ष ने जून से नवम्बर, 1977 तक की अवधि में संसद सदस्यों से 38 पत्र प्राप्त किए। इन पत्रों में से 30 के पूरे उत्तर दे दिए गए हैं। शेष आठ पत्रों पर जो नवम्बर, 1977 में प्राप्त हुए कार्रवाई हो रही है। कम्पनी के अन्य अधिकारियों को सम्बोधित संसद सदस्यों के पत्रों के बारे में जानकारी संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाड़ी के देशों को हिन्दी फिल्मों का चोरी-छिपे निर्यात

2894. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन :**
श्री डी० डी० गवई :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी फिल्मों का खाड़ी के देशों और उससे आगे चोरी-छिपे निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) बम्बई हवाई-पत्तन सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एअर इंडिया के एक जहाज से दुबई जाने वाले तीन यात्रियों से एक हिन्दी फीचर फिल्म के पकड़े जाने के समाचार को भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के अध्यक्ष द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था। मंत्रालय ने मामले को राजस्व आसूचना निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय को जांच और आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया है ।

(ख) और (ग) : वांछित सूचना सम्बन्धित विभाग से एकत्रित की जा रही है और उसको यथा समय लोक सभा की मेज पर रख दिया जाएगा ।

भारत सड़क निर्माण निगम

2895. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सड़क निर्माण निगम की स्थापना का प्रस्ताव त्याग दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नौवहन उद्योग की लाभप्रदता में कमी होना

2896. **श्री शंकर सिंह जी बघेला** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन उद्योग को जिसको विश्वव्यापी मन्दी के कारण लाभप्रदता बहुत कम हो गयी है, चालू वर्ष के दौरान भारी कठिनाईयों का सामना करते रहना पड़ेगा क्योंकि उनको नकद प्राप्त होने वाली धनराशि पहले से कम होती जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) मौजूदा सूचना के अनुसार, ऐसा हो सकता है ।

(ख) यह मुख्यत: संबंधित कम्पनियों के लिए है कि वे अपनी कमाई को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए उपयुक्त साधन अपनाएं। परन्तु प्रत्येक मामले में गुणों के आधार पर नौवहन विकास निधि समिति योग्य नौवहन कंपनियों को विभिन्न प्रकार की सहायता देती रही है ।

"डिजीजिज कम फ्राम स्पेस," शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2897. **श्री अनन्त दवे** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 23 नवम्बर, 1977 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार को पढ़ा है कि विश्व के दो प्रख्यात खगोल-वेत्ताओं ने कहा है कि पृथ्वी पर बीमारियां तथा महामारियां वस्तुत: अन्तरिक्ष से आती हैं और उन्होने समताप मण्डल के सूक्ष्मजीवों पर निरन्तर निगाह रखने का आव्हान किया है जिससे कि भविष्य में पृथ्वी के बाहर से इन आक्रमणों से बचा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) यह समाचार एक ब्रिटिश जर्नल में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है । इस बारे में विविध सिद्धान्त हैं, जिनमें से बहुत सो को अभी प्रमाणित किया जाना है ।

न्यूनतम पूंजी-निवेश द्वारा क्षमताओं का विस्तार

2898. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उद्योगपतियों को सलाह दी है कि न्यूनतम पूंजी निवेश द्वारा तथा वर्तमान क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग करके अपनी क्षमतायें बढ़ायें ; और

(ख) इस पर उद्योगपतियों की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) : जी हां। हाल ही में बम्बई वाणिज्य मंडल को संबोधित करते हुए सीमेंट उद्योग में चल रही स्थितियों के विशेष संदर्भ में मैंने सीमेन्ट उद्योग को न्यूनतम पूंजीगत विनियोग से अपनी क्षमता बढ़ाने या विद्यमान क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी थी। इस वक्तव्य की अच्छी प्रतिक्रिया हुई है।

आकाशवाणी केन्द्रों के सलाहकार बोर्डों का पुनर्गठन

2899. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्तशासी निगम बताने का निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा?

(ग) क्या इस बीच देश में विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों के क्षेत्रीय सलाहकार बोर्डों का पुनर्गठन करने का विचार है; और

(घ) सलाहकार बोर्डों के पुनर्गठन कार्य के पूरे होने की कब तक संभावना है और यदि यह कार्य पूरा हो गया है तो विभिन्न सलाहकार बोर्डों में नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख): आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यकरण की जांच करने और उनके भावी ढांचे के बारे में सिफारिशें करने के लिए प्रख्यात पत्रकार श्री बी० जी० वर्गीज की अध्यक्षता में एक कार्य दल गठित किया गया है। कार्य दल से अपनी रिपोर्ट 16-2-78 तक देने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) : जी, हां। सलाहकार समितियों का पुनर्गठन विचाराधीन है।

Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in Delhi Administration

2900. **Shri Raj Keshar Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the category-wise and post-wise number of employees working in various offices and departments of Delhi Administration, office-wise and Department-wise.

(b) the category-wise and post-wise number of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, office-wise and department-wise out of them and their percentage;

(c) whether quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been filled in each Department/office in all the categories; and

(d) if not, the reasons therefor and the special steps taken or proposed to be taken to fill the reserved quota?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) to (d): Information is being collected and will be laid on the table of the House.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा विशेष वेतन लिया जाना

2901. **श्री एस० ननजेश गौडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या क्या है जिन्हें टाइम स्केल में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन मिलता है; और

(ग) ऐसे विशेष वेतन का यदि कोई औचित्य है तो वह क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) इस समय सेवा कर रहे भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों की संख्या 3513 है। इन आंकड़ों में उन अधिकारियों की संख्या शामिल नहीं है, जिन्हें गत छः महीनों के दौरान अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने या सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अपनी शक्तियों के अधीन उनको अधिवर्षता की तारीख के बाद 6 महीने की अवधि की सेवा में वृद्धि प्रदान कर दी गई है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) खासतौर से, कर्तव्यों की कठोर प्रकृति अथवा उत्तरदायित्व में किसी विशिष्ट वृद्धि अथवा कार्य करने के स्थान के अस्वास्थ्यकर होने को ध्यान में रखते हुए, विशेष वेतन प्रदान किया जाता है।

समुद्री जल से यूरेनियम का निर्माण

2902. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने समुद्री जल से यूरेनियम का निर्माण करने की प्रक्रिया बनाने में सफलता पाई है; और

(ख) यदी हाँ, तो देश में परमाणू शक्ती संयंत्रों की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह प्रक्रिया कब शुरू की जायेगी?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

Employees Knowing Hindi

2904. **Shri Ram Naresh Kushwaha**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Central Government employees who have been taught Hindi during the last three years and the number of those employees who still do not know Hindi;

(b) whether the employees recruited with English medium who joined service in 1947 are about to retire and have not learnt Hindi during their entire service period; and

(c) the number of years it would take in learning Hindi and making use of it in official work in this manner?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) During the last three years, 50,334 Central Government employees have passed various Hindi examinations conducted by the Central Government for its employees. 2,86,769 Central Government employees are yet to be trained in Hindi.

(b) No, Sir. Since 1952 when the Hindi Teaching Scheme was started, 3,56,384 non-Hindi-knowing employees, including a large number of those who joined service in 1947 and before have passed various examinations under the Scheme.

(c) The imparting of training in Hindi to the Central Government employees so that they may possess working knowledge of Hindi is a continuing process. Finding that many employees were not attending Hindi teaching classes and appearing at the examination at the end of the session, it was made compulsory in 1976 for the employees nominated for training to attend Hindi classes and to appear in the examination at the end of the session.

As regards the use of Hindi by the employees trained in Hindi, it may be stated that under section 3(1) of the Official Languages Act, 1963, option is available to the employees to use either Hindi or English for the official purposes of the Union. Only, the employees possessing a working knowledge of Hindi, may not ask for an English translation of any document in Hindi, except in the case of documents of legal or technical nature. Workshops are organised for removing their hesitation in the use of Hindi for the purposes of noting, drafting, etc. Also, all employees are encouraged to use Hindi, and an incentive scheme has been introduced under which cash awards are given to those who use Hindi in official work, according to the norms laid down in the scheme.

Further, offices where 80% of the staff possess working knowledge of Hindi shall be notified under rule 10(4) of the Official Languages (Use for Official Purposes) Rules, 1976, and out of these offices, some may be specified under rule 8(4), where employees possessing proficiency in Hindi, would be asked to do noting and drafting etc., in Hindi only.

प्रेस सेंसर व्यवस्था का विद्यमान होना और भूतपूर्व प्रधान मंत्री के जम्मू तथा कश्मीर के दौरे सम्बन्धी तथ्यों का प्रकाशित न किया जाना

2905. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि प्रेस सेंसर व्यवस्था अब भी विद्यमान है और यह बात इससे सिद्ध होती है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के जम्मू तथा कश्मीर के दौरे सम्बन्धी तथ्यों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी गई; और इस बारे में कुछ समाचार पत्रों में केवल कुछ बातों का उल्लेख किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात भी ध्यान में आई है कि इन समाचार पत्रों से कहा जा रहा है कि वे विपक्ष के बारे में ज्यादा प्रचार न करें; और

(ग) क्या पिछले तीन महीनों में केवल एक या दो बार रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण करने के लिए विपक्ष को आमंत्रित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सेंसर व्यवस्था लोक सभा के आम चुनाव की घोषणा के साथ साथ 18 जनवरी, 1977 को हटा ली गई थी। अब प्रेस पूर्णरूप से स्वतंत्र है और जो कुछ वह प्रकाशित करता है उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। इसलि प्रेस को विपक्ष के बारे में प्रचार न करने के लिए काई भी अनुदेश देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के प्रचारणों को छोड़कर, आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण करने के लिए व्यक्तियों को उनकी दलीय सम्बद्धता के आधार पर नहीं, अपितु विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए उन की उपयुक्तता के आधार पर आमंत्रित करते हैं। पिछले तीन महीनों में विरोधी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत से व्यक्तियों ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लिया है ।

'गरीबी हटाओ' योजना

2906. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी निश्चित अवधि में "गरीबी हटाओ" कार्य पूरा करने के लिए कोई नई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सरकार ने गरीबी और बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए विकास-नीति की समीक्षा करने और निवेश-प्राथमिकताओं को पुनर्व्यस्थित करने का निर्णय किया है। एक निश्चित समयावधि बेराजगारी और बहुत कुछ अल्परोजगार को दूर करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बनाई जाने वाली संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की रुपरेखा 1978-83 की योजना में दी जाएगी ।

कलकत्ता में हुआ अखिल भारतीय भाषायी सम्मेलन

2907. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 1 अक्तूबर, 1977 को कलकत्ता में हुये अखिल भारतीय भाषाई सम्मेलन को एक संदेश भेजा था;

(ख) क्या सम्मेलन में पास किये गये संकल्प में सरकार की "हिन्दीकरण" की वर्तमान नीति पर अधिक जोर देने के सम्बन्ध में गैर-हिन्दी भाषी लोगों की चिन्ता और आशंका व्यक्त की गई है;

(ग) क्या चौथी लोक सभा द्वारा स्वीकृत "राज भाषा" और "सम्पर्क भाषा" के बारे में नीति सम्बन्धी वक्तव्य का सरकार द्वारा भी अनुसरण किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निति सम्बन्धी उस वक्तव्य के आधार पर प्रधान मंत्री गैर हिन्दी भाषी लोगों के मन से आशंका दूर करने हेतु मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलायेंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार को अखिल भारतीय भाषाई सम्मेलन में पास किये गये संकल्पों के बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) इस समय इस प्रयोजन के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु सरकार सभी राज्यों का एक राजभाषा सम्मेलन शीघ्र बुलायेगी । सम्मेलन में राज्यों द्वारा उनकी राजभाषाओं के प्रयोग में उनके सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा ।

अगस्त, 1977 में प्रधान मंत्री द्वारा भारतीय वायु सेना के विमान का उपयोग किया जाना

2908. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अगस्त, 1977 को प्रधान मंत्री ने श्री जयप्रकाश नारायण से भेंट करने के लिए भारतीय वायु सेना के विमान का उपयोग किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विमान का कितने घंटे के लिए और कितने मील की उड़ान के लिए उपयोग किया गया और उस पर कितना खर्च हुआ और उक्त व्यय किसने वहन किया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं । प्रधान मंत्री 21 अगस्त, 1977 को सरकारी दौरे पर भारतीय वायु सेना के विमान द्वारा दिल्ली से बिहटा के लिए रवाना हुए और शीघ्र ही बिहटा से बिहार सरकार के विमान में पटना के लिए चले गए। पटना में प्रधान मंत्री ने कई औपचारिक समारोहों में भाग लिया । प्रधान मंत्री का यह एक सरकारी दौरा था और 21 और 23 अगस्त 1977 के बीच बिहार, मेघालय और असम के उनके सरकारी दौरे का एक अंग था । पटना में अपनी उपस्थित का लाभ उठाते हुए वे श्री जयप्रकाश नारायण से भी मिले ।

(ख) लागू नहीं होता ।

तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति

2909. **श्री ओ० वी० अलगेशन** : क्या गृह मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने सरकारी आयोग के निष्कर्षों के आधार पर तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री करुणानिधि और उनके साथियों पर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मांगी है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नौवहन के क्षेत्र में भारत को ब्रिटेन की सहायता

2910 **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने भारत के केन्द्रीय मंत्री को उनकी उस देश की हाल की यात्रा के दौरान बताया था कि ब्रिटेन द्वारा दी जाने वाली सहायता का वर्तमान स्तर तब तक कायम न रखा जा सकेगा जब तक कि सहायता पाने वाला देश सद्भावना को बरकरार नहीं रखता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी कहा कि जिस सौदे पर इस समय ब्रिटिश शिपयार्ड से छः मालवाहक जहाजों की खरीद के लिए बातचीत की जा रही है वह ब्रिटिश सहायता के उपयोग करने का एक परीक्षण होगा;

(ग) क्या यह सौदा स्वीकार न करने की मुख्य आपत्ति यह है कि भारत ने यह कहा है कि ब्रिटिश और जापानी शिपयार्डों के मूल्यों में भारी अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो ब्रिटेन की इस धमकी पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम): (क) से (घ): समुद्रपारीय व्यापार विकास मंत्री श्रीमती जूडिथ हार्ट के साथ 4-11-77 को मेरे विचार विमर्श के दौरान, श्रीमती हार्ट ने भारत को गत 2-3 वर्षों में दी गयी ब्रिटिश सहायता के कम उपयोग किए जाने के बारे में निसंदेह चिन्ता व्यक्त की और यह बताया कि भविष्य में सहायता की प्रमात्रा स्वाभाविक रुप से भारत को पहले उपलब्ध की गयी राशि के उपयोग पर निर्भर करेगी। इस संदर्भ में उन्होने यू० के० से जहाजों की खरीद का उल्लेख किया जिससे चालू वर्ष में सहायता की राशि का काफी उपयोग हो सकेगा। इस मामले में ब्रिटेन द्वारा धमकी दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटिश जहाजों की बताई गयी कीमतें जापानी शिपयार्डों से चालू कीमतों से काफी अधिक हैं। सरकार ब्रिटिश प्रस्ताव पर समस्त आर्थिक संदर्भ में विचार कर रही है।

एंडरसन समिति के प्रतिवेदन का प्रकाशन

2911. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "सेमीनार" के सितम्बर, 1977 के अंक में "इंडियाज नार्दर्न बार्डर" शीर्षक से प्रकाशित और श्री वेनीयल लतीफी द्वारा लिखित एक लेख की ओर दिलाया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस लेख में एंडरसन समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख है;

(घ) क्या सरकार उक्त प्रतिवेदन के प्रकाशन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने "सेमिनार" के सितम्बर 1977 के अंक में "इंडियाज नार्दर्न बार्डर" शीर्षक से प्रकाशित, श्री डेनियाल लतीफी का लेख देखा है।

(ख) सीमा के प्रश्न पर भारत और चीन के बीच मतभेद में भारत सरकार का दृष्टिकोण सर्व-विदित है।

भारत सरकार का विश्वास है कि भारत और चीन के सीमा के प्रश्न सहित सभी विवादास्पद मामलों को पंचशील के सिध्दान्तों के आधार पर शांतिपूर्ण दिव्पक्षीय बातचीत द्वारा और भारत के हितों राष्ट्रीय गौरव तथा सम्मान के अनुरूप हल किया जाना चाहिए।

हम इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं कि सीमा प्रश्न पर मतभेद होने से पंचशील के सिध्दान्तो तथा पारस्परिकता और आपसी हित के सिद्धान्तों के आधार पर चीन के साथ संबंध सुधारने में कोई अड़चन हो सकती है।

(ग) इसमें मेजर जनरल (अब) ले० जनरल हेंडरसन ब्रुक की रिपोर्ट का उल्लेख है।

(घ) और (ङ) : सरकार उक्त रिपोर्ट को प्रकाशित करने का कोई विचार नहीं रखती।

Confirmation of Class II and III Employees in Census Office, Uttar Pradesh

2912. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of those Class II and III employees in Census Office, Uttar Pradesh who have rendered a service of seven to eight years but have not been confirmed; and

(b) the action taken on their complaints regarding the payment of C.D.S. instalments?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) Two hundred and fifty five.

(b) The matter is under consideration.

भारतीय पटसन निगम द्वारा अब तक खरीदे गये कच्चे पटसन की मात्रा

2913. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम ने अब तक कुल कितनी मात्रा में कच्चा पटसन खरीदा है ;

(ख) पटसन खरीदने के लिए भारतीय पटसन निगम को कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ग) देहातों में पटसन के कितने क्रय केन्द्र खोले गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) 2-12-1977 तक भारतीय जूट निगम ने कच्चे पटसन की 180 किलोग्राम वाली 57,475 गांठें खरीदी है ।

(ख) 37 करोड़ रुपये ।

(ग) भारतीय जूट निगम ने जूट उत्पादक राज्यों में उनका खरीद का काम चलाने के लिए 100 विभागीय क्रय केन्द्र और 26 उप केन्द्र खोले हैं ।

रुई का उत्पादन

2914. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के उत्पादन के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत रुई निगम को अधिक धन की व्यवस्था करके इस बारे में राजस्थान राज्य को भी तरजीह दी है जिससे भारत रुई निगम राज्य की मण्डियों के अधिक मात्रा में रुई की खरीद कर सके ।

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि इस वर्ष रुई के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 250 रु० का समर्थन मूल्य बहुत कम है और इससे अगले वर्ष रुई का उत्पादन करने के लिए किसान हतोत्साहित होंगे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी, नहीं । प्रति हेक्टेयर पैदावार के अनुमान का सर्वेक्षण करने की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई थी ।

(ख) जो, नहीं ।

(ग) जो, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाणिज्यिक खरीद में भारतीय पटसन निगम को खुली छूट दिया जाना

2915. **श्री सौगत राय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम को इस वर्ष वाणिज्यिक खरीद में खुली छूट दी गई है; और

(ख) इस निर्णय का पटसन की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) : भारतीय जूट निगम को वाणिज्यिक खरीद करने की अनुमति 1 अक्टूबर 1977 से दी गई है । चूंकि पूरे चालू मौसम के दौरान कच्चे जूट का मूल्य न्यूनतम समर्थन स्तर से अधिक ही बना रहा है अतः मूल्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने के कारण बड़ी मात्रा में खरीद नहीं की जा सकी ।

जम्मू और काश्मीर के लिये सीमेंट का कोटा

2916. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने काश्मीर घाटी में अनन्तनाग, बारामूला और श्रीनगर जिलों के लिए सीमेंट का कोटा निर्धारित किया है;

(ख) क्या उक्त जिलों में सीमेंट राजसहायता दरों पर सप्लाई किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी मात्रा में सीमेन्ट सप्लाई किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ग) : भारत सरकार सीमेंट का जिलेवार कोटा निश्चित नहीं करती । प्रत्येक राज्य के लिए इकट्ठा कोटा निश्चित किया जाता है जिसमें से सम्बन्धित राज्य सरकार जिलावार आवंटन करती है ।

(ख) इन जिलों के प्रधान कार्यालयों को सीमेंट की पुर्ति करने के लिए परिवहन प्रभार पर जम्मू से जहां तक कि राज्य में रेल सेवा है वहां से निम्नलिखित दर पर सरकारी सहायता दी जाती है :—

अनन्तनाग	. . . . .	60–80 रु०	प्रति मी० टन
श्रीनगर	. . . . .	71–20 रु०	" " "
बारामूला	. . . . .	83.00 रु०	" " "

रूग्ण कपड़ा मिलों का प्रबन्ध

2917. **श्री पी० एस० रामलिंगम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम को भविष्य में रुग्ण मिलों का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में न लेने के लिए कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है और रुग्ण एककों के प्रबन्ध के लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) (क) और (ख) : चूंकि राष्ट्रीय निगम 105 सूती कपड़ा मिलों का प्रबन्ध करने की भारी जिम्मेदारी पहले ही उठा रहा है, इसलिये सरकार राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संकटग्रस्त और अधिक मिलों अथवा बंद पड़ी मिलों के प्रबन्ध को हाथ में लेने का समर्थन नहीं करती है। फिर भी चयनात्मक दृष्टिकोण से बंद पड़े आधारभूत रुप से जीव्य मिलों को फिर से खोलने के राज्य सरकारों के परामर्श से प्रयास किये जा रहे हैं। यदि स्वेच्छा से राज्य सरकार उन बंद पड़े आधारभूत जीव्य अथवा संकटग्रस्त मिलों के अधिग्रहण का यह प्रस्ताव लेकर सामने आती है कि वह वित्तीय तथा प्रबन्धकीय जिम्मेदारी लेगी तो केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मिल का प्रबंध हाथ में लेने के लिए उन्हें प्रशासकीय तथा कानूनी सहायता प्रदान करेगी।

हथकरघा उद्योग के लिये राष्ट्रीय नीति

2918. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ किस्मों के कपड़े का उत्पादन केवल हथकरघा क्षेत्र के लिये नियत करने का निर्णय लिया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकारी एजेंसियों के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के बारे में की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) सरकार ने उत्पादन की निम्नलिखित वस्तुओं को पहले से ही केवल हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित कर रखा है और समय-समय पर हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए नई वस्तुओं को शामिल कर लिया जाता है :—

(1) धोतियां (निर्दिष्ट चौड़ाई आदि की)
(2) लुंगी और गमछे।
(3) चादरें, बिछाने की चादरें, बेड कवर्स और पलंग पोश।
(4) लो रीड पिक क्लाथ।
(5) मेजपोश और नैपकिनें।
(6) डस्टर अथवा डस्टर का कपड़ा अथवा पोंछा लगाने (वाइपर) का कपड़ा या ग्लास क्लाथ।
(7) सादी बुनाई का कपड़ा 85 कोट और इससे कम के ताने बाने का तथा 160.60 सें० मी० चौड़ाई से अधिक का।
(8) साड़ियां (गोन आदि)
(9) तौलिए।
(10) मशरू क्लाथ।
(11) सूती क्रेप वस्त्र।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष, 1976–77 और, 1977–78 (अबतक) में राज्य सरकारों, निगमों और समितियों को हथकरघा उद्योग के लाभ की कतिपय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रमश: 13.28 करोड़ रुपये और करीब 12.02 करोड़ रुपये आदि की राशि ऋणों और अनुदानों के रुप में प्रदान की है। इसके अतिरिक्त 1977-78 के योजना बजट में बुनकर सेवा केन्द्रों और हथकरघा औद्योगिकी के भारतीय संस्थान के प्रशिक्षण और विकास पूरक कार्यक्रमों के लिए 6.2 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

कन्ट्रोल के कपड़े का निर्धारित मात्रा में उत्पादन करने के दायित्व का पुरा न किया जाना

2919. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बार-बार अपील किये जाने के बावजूद भी सूती कपड़ा मिल कन्ट्रोल के कपडे का निर्धारित मात्रा में उत्पादन करने के अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार आगे और क्या कार्यवाही करने का है ताकि मिलें कन्ट्रोल के कपड़े का निर्धारित मात्रा में उत्पादन करें ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) प्रत्येक तिमाही में तैयार किए जाने वाले 100 वर्ग मीटर के स्तर की तुलना में चालू वर्ष में पहली तीन तिमाहियों के दौरान नियंत्रित कपड़ें का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :—

जनवरी-मार्च 77	963.0	लाख वर्ग मोटर
अप्रैल-जून 77	843.5	,, ,, ,,
जुलाई-सितम्बर 77	811.6	,, ,, ,,

(अनन्तिम)

मिलों को बंद होने से बचाने के लिए वित्तीय दृष्टि से कमजोर मिलों को दी गई छूटों के कारण मुख्य रुप से उत्पादन में कमी हुई है । गैर-छूट वाली मिलों पर दायित्व को बढ़ाए बिना 1000 लाख वर्ग मोटर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने के लिए उन मिलों को जिन्होंने कम से कम पिछले 12 महीनों तक छूट का लाभ उठाना था, को भी 31 अक्तूबर, 1977 से शुरु होने वाली तिमाही में गैर-छूट वाली मिलों और 1000 लाख वर्ग मोटर के स्तर के बीच की कमी की सीमा का दायित्व सौंप दिया गया था ।

कोल इंडिया द्वारा विपणन कार्य सीधे अपने नियंत्रण में लिया जाना

2920. **श्री रोबिन सेन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया का विचार बड़े शहरी क्षेत्रों में विपणन कार्य सीधे अपने नियंत्रण में लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क), (ख) व (ग) : कोल इंडिया लि० का विचार बड़े शहरी क्षेत्रों में कोयले के सीधे विपणन को हाथ में लेने का नहीं है । फिर भी कोल इंडिया द्वारा इस समय स्व-परेषिती (सेल्फ कन्साइनी) आधार पर साफ्ट कोक, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों को भेजा जा रहा है ।

ग्रामीण औद्योगिकीकरण में निवेश के लिये 15-सूत्री मार्गदर्शी सिद्धान्त

2921. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण औद्योगीकरण में निवेश के लिये एक 15-सूत्री मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस दिशा में क्या कार्यक्रम शुरु किये जायेंगे, योजनाओं का वित्त-पोषण करने का तरीका क्या होगा तथा किन एजेन्सियों को यह कार्य सौंपा जायेगा ; और

(घ) प्रत्येक राज्य में चालू वर्ष के दौरान कितने क्षेत्र पर ये कार्यक्रम प्रभावी करने तथा स्वयं-गार के अवसर पैदा करने के लक्ष्य रखे गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जो, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

कच्चे पटसन की अपर्याप्त सप्लाई पाने वाली पटसन मिलों के नाम

2922. **श्री युवराज** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कुल कितनी पटसन मिलें हैं, वे कहां-कहां पर हैं और उनको कच्चा माल अपनी आवश्यकता से कितना कम मिलता है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : देश में 68 जूट मिलें हैं जो विभिन्न राज्यों में निम्न प्रकार हैं :

पश्चिम बंगाल	56
बिहार	3
आसाम	1
उत्तर प्रदेश	3
आन्ध्र प्रदेश	4
मध्य प्रदेश	1

वर्ष 1976-77 में अनुमानित उत्पादन 71 लाख गाठों का है उसकी तुलना में इन सभी मिलों द्वारा 68 लाख कच्चो (रा) जूट को गाठों का वास्तविक उपयोग किया गया ।

कपास के मूल्य

2923. **श्री आण्णासाहेब पी० शिन्दे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार इस आशय से क्या कार्यवाही करने का है कि कपास-उत्पादकों को कपास के विपणन के बारे में कोई कठिनाई न हो और कपास विपणन केन्द्रों में मूल्यों को बहुत अधिक नीचे न गिरने दिया जाये ; और

(ख) विगत वर्ष की तुलना में इस बार महत्वपूर्ण मण्डियों में कपास के वर्तमान मूल्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) : भारतीय सूत निगम ने महत्वपूर्ण बाजारों में प्रवेश कर लिया है तथा वह निजी व्यापारियों की स्पर्धा में खुली बोली लगाकर बाजार मूल्यों पर कपास की खरीद कर रहा है । महत्वपूर्ण बाजारों में निगम की उपस्थिति से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कीमतें बहुत अधिक नीचे न गिरें और उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले । तथापि, कपास-उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने हाल ही में कपास के वर्ष 1977-78 के मौसम हेतु कपास की प्रमुख किस्मों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है ।

पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण मंडियों में कपास का वर्तमान मूल्य स्तर इस प्रकार है :—

कपास की प्रति क्विन्टल दर

राज्य	केन्द्र	किस्म	पिछले वर्ष का मूल्य (रुपए)	चालू वर्ष का मूल्य (रुपए)
1	2	3	4	5
पंजाब	गोनेयाना	जे-34	411	399
पंजाब	अबोहर	जे-34	411	398
हरियाणा	फतेहाबाद	जे-34	430	380 से 436
हरियाणा	डाबावालो	जे-34	442	395 से 408
हरियाणा	सिरसा	जे-34	432	365 से 459
हरियाणा	फतेहाबाद	देशो	209	350 से 372
हरियाणा	डाबावलो	देशो	285	368
हरियाणा	सिरसा	देशो	282	357 से 375
राजस्थान	श्रोगंगा नगर	जे-34	411 से 435	300 से 414
राजस्थान	श्रोकरण पुर	जे-34	115 से 474	384 से 423
राजस्थान	पद्म पुर	320-एफ	416 से 428	390 से 414
राजस्थान	श्रोकरण पुर	320-एफ	435 से 458	427
महाराष्ट्र	—	ए० के०	230	398 से 425
महाराष्ट्र	—	वाई-1	241	433
महाराष्ट्र	—	एच-4	341	492 से 459
मध्य प्रदेश	बुरहान पुर	ए-51/9	385 से 577	445 से 459
मध्य प्रदेश	खण्डवा	ए-51/9	420 से 576	444 से 452

प्रतिभा पलायन

2924. श्री वी० एस० सईद मोहम्मद : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से प्रतिभा पलायन को रोकने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) भारत से प्रतिभा-पलायन को रोकने के लियें भारत सरकार निरंतर विचार कर रही है । सरकार द्वारा किये गये कुछ उपायों को संलग्न विवरण में बताया गया है ।

विवरण

वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और चिकित्सा कार्मिकों आदि को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिये किये गये उपायों का विवरण

(1) रोजगार के लिये उपलब्ध व्यक्तियों का विवरण देते हुए जनशक्ति मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है । इस बुलेटिन की लगभग तीन तीन हजार प्रतियां रोजगार प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनों को नि:शुल्क वितरित की जाती है ताकि उनको ऐसे व्यक्तियों का उपयोग करने में सुविधा हो सके ।

(2) भरती करने वाले निकायों तथा रोजगार देने वालों को परिषद को प्रेषित अधिसूचनाओं के प्रत्युत्तरों में योग्यता वाले प्रत्याशियों के नामों की सिफारिश की जाती है ।

(3) सी० एस० आई० आर० प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच भी करता है और उन विज्ञापनों के मुताबिक उपयुक्त योग्यता वाले पंजीकृत व्यक्तियों को विचारार्थ सिफारिश भी करता है ।

(4) सी० एस० आई० आर०, यू० जी० सी०, आई० सी० एम० आर० आदि द्वारा अनुसंधान छात्रवृतियां प्रदान की जाती हैं ।

(5) विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में अनुसंधान योजनाओं के लिये विभिन्न अभिकरणों द्वारा धन लगाया जाता है । इस प्रकार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं ।

(6) सी० एस० आई० आर० द्वारा संचालित वैज्ञानिकों के मूल की योजना में उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों, प्रोद्योगिकोविदों आदि को अस्थायी रोजगार प्रदान किया जाता है ।

(7) विशिष्ट योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकोविदों को जल्दी रोजगार में नियमित करने के लिये अधिसंख्यक पदों की योजना चल रही है ।

(8) बेरोजगार उद्यमी व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है ।

(9) वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रोद्योगिकोविदों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है । ऐसे नये कार्यों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक भी आवश्यकतानुसार कुल पूंजी प्रदान करते हैं ।

(10) वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रोद्योगिकोविदों द्वारा गठित औद्योगिक सहकारी विशिष्ट योजना को सरकारी अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है । इस अनुदान की राशि उद्योगपतियों द्वारा लगाई गई पूंजी से तीन गुनी अधिक होगी । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा भी जो सुविधायें प्रदान की जायेंगी वे इस प्रकार है : घर किरायां उपयुक्त मामलों, कुछ समय के लिये सेल्स टैक्स आदि की छूट देना, चूंगी, बिजली आदि विविध व्यवस्थायें प्रदान करना ।

(11) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी वेतनमान और कार्यक्रम स्थितियां, शैक्षिक क्षेत्र में अपने उच्च योग्यता प्राप्त विद्वानों को आकर्षित करने के लिये कई कदम उठाये गये हैं ।

(12) सी० एस० आई० आर० ने अनुसंधान सहयोजकवृत्ति के लिये एक योजना प्रारंभ की है जो प्रयोगशाला में लागू की जा सकती है जब कि निदेशक एक वरिष्ठ अनुसंधान कार्यकला विशेषज्ञतायुक्त की विशिष्ट परियोजना के लिये अल्प समय हेतु आवश्यकता अनुभव करे । एक सहयोजक; अपने कार्यकाल में विशिष्ट परियोजना में कार्य करेगा और जिसकी कार्य कुशलता और सक्षमता पर बाद में स्थाई रूप से प्रयोगशाला में नियुक्त करने के लिये विचार किया जा सकता है ।

5—370 LSS/(ND)77

People Living Below Poverty Line

2925. **Shri Y. P. Shastri:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state the names of districts in the country where income of even more than 60 per cent persons is below the poverty line and the measures proposed to be taken by Government during 1978-79 to increase the income of the people of these districts?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): Districtwise information on the distribution of incomes for the country as a whole is not available.

A number of programmes were initiated in the Fifth Five Year Plan for the development of backward and poverty-stricken areas, whose benefits were designed to reach the lowest income groups. These include the Drought Prone areas programme, the Tribal and Hill areas programme and the Small Farmers' Development Agencies. These will be continued and expanded in 1978-79, and other new programmes may also be initiated to help those below the poverty line.

आन्ध्र प्रदेश में मुंगलागिरि में टायर और ट्युब कारखाना स्थापित करना

2926. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में मुंगलागिरि में एक टायर और ट्यूब कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका प्राक्कलन और इसकी क्षमता क्या है ; और

(ग) इसे कब स्थापित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) केन्द्र सरकार का आंध्र प्रदेश में मुंगलागिरी में टायर तथा टयूबें बनाने के लिये कारखाना स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी आंध्र प्रदेश जिला गुंटूर मुंगलागिरि में मोटर गाड़ियों के टायर तथा टयूब बनाने के लिये एक नये उपक्रम की स्थापना करने के लिए 23 जुलाई 1975 को एक औद्योगिक लाइन्सेंस जारी किया गया था।

(ख) परियोजना की कुल लागत लगभग 30 करोड़ रुपये का अनुमान है; परियोजना की लाइन्ससीकृत क्षमता प्रतिवर्ष 4 लाख मोटरगाड़ियों के टायर तथा टयूबें बनाने की है।

(ग) कंपनी द्वारा तैयार की गयी परियोजना के कार्यान्वियन की तालिका के अनुसार कुल उत्पादन अप्रैल 1980 में प्रारम्भ होने की आशा है।

Number of Scheduled Castes Persons given Licences and Permits for Private Buses in Delhi

†2927. **Shri Ram Prasad Deshmukh:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the number of persons belonging to the Scheduled Castes granted licences and permits for private buses being run in Delhi; and

(b) whether Government have formulated any scheme to make reservations for the persons belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, on the pattern of reservations made for them in jobs, for the grant of licences or permits for operating buses and trucks with a view to improving their economic condition?

The Minister of State in Charge of the Ministry of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) Under the scheme "Allotment of 200 Mini Buses to the unemployed graduates of Delhi University", 30 buses were reserved for Scheduled Caste candidates. Out of a total of 91 buses allotted so far, 20 buses have been allotted to Scheduled Caste candidates. The permits were granted to D.T.C. which, in turn, is running the buses under its "A.O.C.C." Scheme. In another Scheme namely, "Employment Promotion Programme" 7 buses were allotted to Scheduled Caste candidates out of a total of 50. In respect of other permits, information is not readily available.

(b) A proposal to provide for reservation in favour of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in the matter of grant of public carrier permits, including national permits, was considered by the Transport Development Council on 24-9-1977. The Council recommended amendment of the M.V. Act so as to provide for reservation in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the same ratio as laid down by the State Governments concerned with regard to direct recruitment to public services in the State. The detailed implications of this recommendation and the steps necessary for its implementation are now being studied.

गैर-सरकारी नागरिकों के साथ अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तियों जैसा व्यवहार

2928. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गैर-सरकारी नागरिकों के साथ अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तियों जैसा व्यवहार करने की कसौटी क्या है ;

(ख) क्या 1976 में राज्यों को परिपत्र जारी करके कहा था कि कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों के साथ राज्यों के उनके दौरों के दौरान अत्यन्त विशिष्ट व्यक्ति जैसा व्यवहार किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) किसी गैर-सरकारी नागरिक के साथ अत्यन्त विशिष्ठ व्यक्तियों जैसा व्यवहार करने के लिए कोई कसौटी नहीं बनायी गयी है ।

(ख) किसी गैर-सरकारी नागरिक के साथ अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तियों जैसा व्यवहार करने के बारे में 1976 में राज्यों को कोई परिपत्र जारी नहीं किए गए थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल न्युज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड के सहायक एकक का न होना

2929. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल न्युज प्रिंट पेपर मिल्स सहायक लिमिटेड के एकक नहीं है;

(ख) क्या नेपानगर में नेपा मिल्स के अधिकारोयों के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण सहायक एकक स्थापित नहीं किये जा सके है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नेपा मिल्स के अधिकारोयों को ऐसे निदेश देने का है कि वे सहायक एककों को स्थापना में सहायता करें ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) इस समय नेपा मिल्स के लिए पांच सहायक एकक है । इनमें फिटकरी सोडोयम सिलोकेट, ग्रे कास्टिंगस आदि वस्तुएं आती है ।

(ख) और (ग) : नेपा-मिल्स मध्य प्रदेश शासन लघु उद्योग संवर्धन तथा सहायक उद्योग विकास स्कन्ध के सहयोग से नेपा मिल्स के लिए नेपानगर तथा उसके आसपास और सहायक एकक स्थापित

करने का प्रयास करता रही है। उद्यम कर्ताओं को तकनीकि जानकारी खाके नमूने तथा आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाता है। कार्य के परिक्षा के समय पार्टियों की उपस्थिति को प्रोत्साहित किया जाता है। यदि उनके द्वारा बनाये गये उत्पाद उपयुक्त पाये गये तो मूल्य निश्चित करने के बारे में भी उचित महत्व दिया जाता है ।

नई सीमेंट नीति का निर्धारण

2930. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु तथा दीर्घावधि उत्पादन मूल्य-निर्धारण और वितरण सम्बन्धी नई सीमेंट नीति निर्धारित करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या लघु सीमेंट संयंत्र के आयात के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां तो कुल कितना उत्पादन बढ़ाया जायेगा ; आयातित संयंत्र की लागत क्या होगी और उन्हें कहां-कहां स्थापित किया जायेगा तथा कच्चे माल का ब्यौरा क्या है, क्या "राक-डस्ट" का प्रयोग किया जाएगा अथवा "फ्लाई एश" का ; और

(ङ) सीमेंट में मूल्य वृद्धि तथा कथित काला बाजारी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) : सीमेंट उद्योग के संबंध में उत्पादन वितरण और मूल्य निर्धारण सभी पहलुओं का समावेश करते हुए एक व्यापक नीति बनाई जा रही है और जसे ही उसे अंतिम रूप दिया जायेगा उसके ब्यौरों की घोषणा कर दी जायेगी ।

(ग) और (घ) : जर्मनी संघीय गणराज्य में मिनी सीमेंट संयंत्रों की विकसित नयी प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जा रहा है। इन सीमेंट संयंत्रों का आयात करने के बारे में निर्णय तभी लिया जायेगा जब विशेषज्ञों का एक दल जर्मनी के संघीय गणराज्य का नये संयंत्रों का अध्ययन करने के लिये दौरा करेगा और इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक विवरण प्राप्त कर लेगा। साथ ही देश में विकसित प्रौद्योगिकी का मिनी सीमेंट संयंत्रों में उपयोग करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों पर भी विचार किया जा रहा है।

(ङ) सीमेंट नियंत्रण आदेश 1967 के अधीन रेल के गन्तव्य स्थान तक निःशुल्क मूल्य नियत करके सीमेंट के खुदरा मूल्यों पर नियन्त्रण किया जाता है। सरकार विद्यमान एककों द्वारा उत्पादन बढ़ाने अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित करने तथा सीमेंट के बेहतर उपयोग का परिरक्षण करने के लिये अनेक उपायों को भी कार्यान्वित कर रही है। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन सीमेंट को एक अत्यावश्यक वस्तु भी घोषित किया गया है तथा कदाचारों को रोकने के लिये उचित कार्यवाही करने हेतु इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को पर्याप्त अधिकार भी दे दिये गये है ।

दामोदर घाटी निगम में विद्युत उत्पादन

2931. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में प्रति महीने दामोदर घाटी निगम में कुल कितनी बिजली का उत्पादन हुआ; और

(ख) दामोदर घाटी निगम में उत्पादित विद्युत का वितरण किस प्रकार किया गया और किन-किन एजेंसियों के माध्यम से कितनी मात्रा में बिजली का वितरण किया गया ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Regional Offices of Registrar of Newspapers

2932. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the names of the places at which regional offices of the Registrar of Newspapers are situated at present as also the new places where regional offices are proposed to be set up in future?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : There are no regional offices of Registrar of Newspapers. However, there are three circulation offices at Bombay, Calcutta and Madras. There is no proposal at present to set up any regional offices.

रक्षा कर्मचारियों के कल्याण के लिए योजनाएं

2933. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 नवम्बर 1977 को सेना के कमान्डरों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या उसमें रक्षा कर्मचारियो के कल्याण के लिए किन्हीं योजनाओं पर चर्चा की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन नयी योजनाओं को कब क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : थल-सेना केन्द्रीय कल्याण निधि की महासमिति की एक बैठक में जिसके सदस्य सभी सेना कमांडर हैं, रक्षा कार्मिकों के कल्याण से संबंधित कुछ बातों पर साधारण रूप से चर्चा हुई थी । लेकिन बैठक में कोई योजना तैयार नहीं की गई ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता पत्तन न्यास अधिकारी

2934. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास के अधिकारियों ने हल्दिया के प्रमुख सिविल ठेकेदार मेसर्स एच० सी० सी० लिमिटेड को बाध्य किया कि मद्रास की मैसर्स बिन्नी एण्ड कम्पनी, जो कि 'लाक एन्ट्रन्स' के लिये 'माहानाइट' प्लेटों के पेटेन्टधारी हैं, को दिया क्रयादेश रद्द करके मैसर्स बर्ड एंड कम्पनी को क्रियादेश दे और बाद में घटिया स्तर की ओर भार में कम ऐसी प्लेटों की डिलीवरी स्वीकार कर ली जिन प्लेटों में मोलिबडेनम की मात्रा नहीं है जैसा कि अलीपुर टेस्ट हाउस में परीक्षण से सिद्ध हो गया है और मैसर्स एच० सी० सी० लिमिटेड ने कलकत्ता पत्तन न्यास को सूचित किया है ;

(ख) उनमें कितने प्रतिशत मोलिबडेनम की अपेक्षा थी और अलीपुर टैस्ट हाउस द्वारा किये गये नमूना परीक्षा में उनमें कितने प्रतिशत मोलिबडेनम पाया गया ; और

(ग) क्या इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच/अन्वेषण किया गया है और यदि किया गया है तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) मैसर्स बिन्नी एड कम्पनी मद्रास, जिन्हें मोहानाइट कास्टिंग के आदेश दिए गए, ने मैसर्स एच० सी०सी०लि० को सूचित किया कि उनके तैयार किए जाने वाले कास्टिंग के लायड निरिक्षण में काफि विलम्ब होगा और कीमत भी बढ़ जायेगा। कलकत्ता पत्तन न्यास ने मैसर्स एच० सी० सी० को सलाह दी कि उन्हें दिए गए आदेश रद्द कर दिए जाए। मैसर्स एच० सी सी० ने तब मैसर्स वर्ड एंड कम्पनी को आर्डर दिया जिन्होने पहले परियोगीतात्मक आधार पर हल्दिया गोदी पद्धति के जलपाश द्वारा के लिए इसी तरह के कास्टिंग की सप्लाई के लिए आर्डर प्राप्त किए थे।

मेसर्स वर्ड एंड कम्पनी को दिए मैसर्स एच० सी० सी० के आदेश में विशिष्टिया कास्टिंग की भौतिक विशेषताओं से संबंधित थी। परन्तु आदेश में यह उल्लेख था कि अपेक्षित तनन शक्ति प्राप्त करने के लिए मोलाईबडैनम भी लगाना होगा। इस नोट में कोई प्रतिशतता सूचित नहीं की गई।

इन कास्टिंगों का ढलाई तथा मशानींग के दोरान कुछ कठिनाइयां अनुभव की गई। कलकत्ता पत्तन न्यास ने उन्हें अपने परामर्शकों को भेजा जिन्हों ने प्रारम्भ में इनकी विशिष्टियां दी थी। मोहानाइट प्रकार की कास्टिंगों को निर्दिष्ट ग्रेड में प्राप्त करने की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए परामर्शक विशिष्टियों में संशोधन करने पर सहमत हो गए जबकि यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्षरण की घर्षणात्मक विशेषताएं प्रायः वही रहती है सप्लाई की तदनुसार निरिक्षण कराया गया तथा स्वीकार की गई। "वजन में कम" प्लेटों को स्वीकार नहीं किया गया।

(ख) मोहानाइट प्लेटों के आदेश देते समय मोलोबडेनम की विशेष प्रतिशतता सूचित नहीं की गई थी। कास्टिंगों की सप्लाई में मोलीबडेनम तत्व नहीं था।

(ग) जी नहीं।

लघु फिल्मों का निर्माण

2935. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी फिल्मों के निर्माण की अनुमति देने का है जो 10 रील से बडी न हों ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : निजी क्षेत्र में बनाई जाने वाली फिल्मों का लम्बाई पर कोई पाबन्दी नहीं है ; इसलिए कितनी भी लम्बाई की फिल्मों के बनाने के लिए सरकार की अनुमति अपेक्षित नहीं है।

Less Financial Assistance given to Rajasthan for Industrial Development

2936. **Shri Meetha Lal Patel**: Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether the amount of assistance being given for the industrial development of Rajasthan is far less as compared to the amount given to the other Sates for the purpose during the last many years;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether statement showing the direct and indirect assistance given to all the States during the last five years would be laid on the Table of the Sabha;

(d) whether the Central Government propose to give any special assistance to the Rajasthan Government in the near future for the industrial development of the State; and

(e) if so, details thereof?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) For development of industries in the rural and backward areas of the country the Central Government have sponsored the following Schemes:

(i) Rural Industries Project Programme.

(ii) Rural Artisans Programme.

(iii) Central Investment Subsidy Scheme.

The Central assistance given during the last five years i.e. from 1973-74 to 1977-78 to States including Rajasthan under these Programmes are given in Annexure I, II & III. **[Placed in Library. See No. L.T.—1293/77.].**

(d) & (e): From the year 1977-78, Rural Artisans Programme has been introduced in Rajasthan and an allocation of Rs. 0.73 lakhs has been made for this purpose. Any proposal from the State Government for special assistance for the development of industry will be given due consideration as and when received.

नारियल जटा का उत्पादन और निर्यात

2937. **श्री कुमरी अन्नतन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से नारियल जटा के उत्पादों के उत्पादन, निर्यात तथा भारत में उनके विपणन का ब्योरा क्या है और ;

(ख) तमिलनाडु के कन्या कुमारी जिले में उपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) चूंकि कन्याकुमारी जिले में उपलब्ध अधिकांश कच्ची सामग्री का उपयोग किया ही जा रहा है, अतः कोई और विशेष प्रयत्न आवश्यक नहीं जान पडते हैं।

विवरण

1976-77 में बहुतायत से नारियल उगाये जाने वाले राज्यों में कयर तथा कयर उत्पादों के उत्पादन आदि बताने वाला विवरण ।

उत्पादन

राज्यवार	लाख मीट्रिक टन में
केरल	1.41
तमिलनाडु	0.135
कर्नाटक	0.055
	1.60

मदवार

(i) कयर रेशा	5,000	ना० मीट्रिक टन
(ii) कयर यार्न	90,000	,,
(iii) कयर यार्न	29,000	,,
(iv) कयर की रस्सियां	17,000	,,
(v) उमेठा गया केयर	2,500	,,
(vi) रबड़ युक्त केयर	1,000	,,
	1,44,500	,,

निर्यात : 1976-77 की अवधि में 2277.6 लाख रुपये के मूल्य का 44,357 मी० टन का निर्यात किया गया था। इसमें से केरल का निर्यात 95% था। कर्नाटक से किया जाने वाला निर्यात थोड़े परिमाण में कर्लड् केयर का था जो 525 मी० टन ही था।

"कयर उत्पादों की आन्तरिक खपत"

मदवार	मीट्रिक टन
कयर फाइबर	4,866
कयर धागे	68,433
कयर उत्पाद	12,398
कयर के रस्से	16,815
उमेठा गया कयर	1,632
रबड़ युक्त कयर	1,000
	1,05,144

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रशिक्षण रिजर्व व्यक्तियों की संख्या

2938. **श्री निहार लास्कर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिली में औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रशिक्षण रिजर्व व्यक्तियों की रैंक-वार संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) :

कमांडर	1
सहायक कमांडर	5
उपनिरीक्षक	9
सहायक उपनिरीक्षक	12
प्रधान सुरक्षा गार्ड	1
सुरक्षा गार्ड	14
अनुचारी (फोलोवर्स)	10

अहमदाबाद में टेलीविजन केन्द्र

2939. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में अहमदाबाद म एक पूर्ण विकसित टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करने और दक्षिण गुजरात में सूरत में अतिरिक्त एवं अधिक क्षमता वाला रेडियो-ट्रांसमिशन भी स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को जोरदार अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इन कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार को भूमि तथा अन्य सुविधायें मुफ्त प्रदान करने की पेशकश की है ; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों में विलम्ब के तथा आगे कुछ न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) हाल ही के एक पत्र में गुजरात सरकार ने अनुरोध किया है कि स्टूडियो सुविधाओं सहित 10 किलोवाट का टेलीविजन ट्रांसमीटर गांधी नगर में स्थापित किया जाए। इस सरकार से सूरत में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए हाल ही म कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख), (ग) और (घ) : जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने गांधीनगर में ट्रांसमीटर और स्टूडियो के लिए भूमि नि:शुल्क देने की पेशकश की है। राज्य सरकार का अनुरोध नोट कर लिया गया है, किन्तु इसका कार्यान्वियन संसाधनों की उपलब्धता और योजना आयोग द्वारा प्राथमिकताओं के आवंटन पर निर्भर करेगा।

जहाँ तक सूरत में स्टेशन रेडियो का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से भूमि नि:शुल्क देने की कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है। संयोग से सूरत अहमदाबाद के उच्च शक्ति के मीडियम वेव ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि सूरत में एक पूर्ण रूपेण रेडियो स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, परन्तु योजना आयोग द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया गया। फिलहाल वहां रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मोपला विद्रोह में भाग लने वाले व्यक्तियों की पेंशन

2940. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय पेंशन देने के उद्देश्य से 1921 के मोपला विद्रोह को स्वाधीनता संग्राम का अंग समझे जाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है,

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि 1921 के मोपला विद्रोह को राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का अंग न माना जाय।

Talks of Information Minister with Staff Artists Regarding their Problems

2941. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he had separate talks with different categories of staff artists in regard to their problems;

(b) wheher it is also a fact that all categories of artists had put their respective problems before him;

(c) if so, what were their problems and Governments reaction thereto;

(d) whether it is also a fact that staff artists cadre has submitted some demands to the Ministry, in the form of a memorandum; and

(e) if so, the time by which action would be taken thereon?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) and (b): Yes, Sir.

(c) to (e): Staff Artists discussed service matters for which they have been submitting memoranda from time to time. Their demands are being examined.

Production of Cement in Udaipur Cement Works (Rajasthan)

2942. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the annual production of cement in Udaipur cement Works (Rajasthan) and the likely annual production capacity of this factory after its expansion; and

(b) the time by which the expansion of this factory is likely to be completed?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) & (b): The annual production of Udaipur Cement Works (Rajasthan) during the last 3 years has been as follows:

Year	Production (in tonnes)
1975	2,11,855
1976	2,19,784
1977 . . . . . (Jan.—Oct., 10 months period)	1,73,886

The factory has been issued a Letter of Intent for substantial expansion by 2 lakh tonnes per annum on 8-9-1977 which will increase the total production capacity to 4 lakh tonnes per annum. The substantial expansion of the factory is expected to be completed around 1980.

जनता की शिकायतों का पुनर्विलोकन करने हेतु तंत्र की स्थापना

2943. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने जनता की शिकायतों का पुनर्विलोकन करने हेतु किसी तंत्र की स्थापना करने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार का तंत्र अनेक अन्य देशों में स्थापित किया गया है; और

(ग) ऐसा तंत्र स्थापित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि जनता की शिकायतों को शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जा सके ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सरकार जनता की शिकायतों को तत्परता तथा समुचित रूप से दूर करने की आवश्यकताको भारी महत्व देती है। शिकायतों के अवसरों को कम करके ने उद्देश्य से तथा ऐसी शिकायतों के, यदि कोई हो, निवारण के लिए प्रशासनिक तथा अन्य प्रकार के विभिन्न उपाय किये गए है और इन्हें आवश्यकतानुसार जारी रखा जाएगा ।

शिकायतों के निपटाने के लिए एक तंत्र विद्यमान है । विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों में शिकायत अधिकारी के अलावा, सार्वजनिक शिकायत आयुक्त का भी एक कार्यालय है, जो उसको जानकारी में लाई गई शिकायतों तथा तकलीफों के समुचित निवारण के लिए सम्बन्धित विभागों तथा मंत्रालयों के साथ सम्पर्क करके उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करता है और वह सामान्यतः शिकायत अधिकारियों के कार्य में समन्वय भी स्थापित करता है ।

पारपत्रों की अवधि समाप्त हो जाने पर भी भारत में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक

2944. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिक जो अपने पारपात्रों की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी भारत में ही ठहरे हुये है, अक्तुबर, 1977 के दौरान इन्दौर (मध्य प्रदेश) में गिरफ्तार किय गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तानी राष्ट्रिक पारपत्रों के बिना ही वर्षों से इन्दौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, धार, खण्डवा जिलों में ठहरे हुये है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारें में क्या कार्यवाही की है और उसका पूर्ण विवरण क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (घ) : तक सूचना एकत्र की जा रही है । इसे एकत्र करते ही सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

"नेशनल कैडिट कोर" के उद्देश्य

2945. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1948 में घोषित किये गये 'नेशनल कैडिट कोर' के उद्देश्य क्या है ;

(ख) क्या इन घोषित उद्देश्यों में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या खेल-कूद तथा समाज सेवा के कार्यों पर बल देने वाले एन० एस० ओं० तथा एन० एस० एस० जैसे संगठनों के होते हुए इनका पंक्रमों का नेशनल केडिट कोर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने को उचित समझा जाता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राष्ट्रीय केडेट कोर के उद्देश्य

राष्ट्रीय कैडेट कोर के 1948 में घोषित उद्देश्य ये थे :-

(1) युवक और युवतियों में चरित्र साहचर्य, सेवा-आदर्श और नेतृत्व की क्षमता का विकास करना ।

(2) युवक और युवतियों का सेवाप्रशिक्षण देना ताकि वे देश की रक्षा में रूचि ले सकें ; और

(3) राष्ट्रीय आपात स्थिति के समय सशस्त्र सेनाओं के तेजी से विस्तार के लिए सक्षम मानव शक्ति का आरक्षण तैयार करना ।

2. पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति डा० जी० एस० महाजनी की अध्यक्षता में दिसम्बर 1977 में राष्ट्रीय केडेट कोर मूल्यांकन समिति गठित की गई थी । इस समिति की रिपोर्ट 1974 में प्राप्त हुई थी। समिति ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के वर्तमान उद्देश्यों में संशोधन करने की सिफारिश की थी ।

3. महाजनी समिति ने यह माना था कि देश के युवकों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले एक आदर्श लक्ष्य के रूप में पहले उद्देश्य को बनाए रखा जाए। परन्तु उन्हों ने इस उद्देश्य में "पक्के इरादे की भावना" (स्प्रिट आफ स्पोर्टमैनशिप) जोड़ कर उसे और विस्तृत किए जाने की सिफारिश की थी। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया था । समिति ने यह भी सिफारिश की थी की दूसरे उद्देश्य को अर्थात् देश की रक्षा में अधिकाधिक रूचि उत्पन्न करने का लक्ष्य बहुत सी एजेंसियों को प्राप्त करना होता है, नये सिरे से तैयार किया जाना चाहिए । हालांकि समिति की यह सिफारिश भी मान ली गयी थी परन्तु यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा देश की रक्षा करने में सहायता दिए जाने पर ही बल नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि इस उद्देश्य में उन अन्य प्रकार के सहायता-कार्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो कि कैडेट कर सकते हैं और इस लिए इस उद्देश्य को तदनुसार संशोधीत कर दिया गया था। तीसरे उद्देश्य के बारे में भी समिति ने यह अनुभव किया था कि इस में भी संशोधन करना अनिवार्य है क्योंकि मूल उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद बनाया गया था इस लिए राष्ट्रीय आपात स्थिति में सशस्त्र सेनाओं का तेजी से विस्तार करने के लिए समक्ष मानव-शक्ति के आरक्षण पर अधिक बल दिया गया था महाजनी समिति ने अनुभव किया था कि बदली हुई परिस्थितियों में राष्ट्रीय कैडेट कोर का तीसरा उद्देश्य यह होना चाहिए कि तीनों सशस्त्र सेनाओं में कमीशन लेने के लिए अधिक से अधिक कैडेटों को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें प्रशिक्षित किया जाए । सरकार यह समझती है कि कैडेटों में अफसर जैसे गुण उत्पन्न किये जाने चाहिए ताकि उन्हें जीवन के सभी कार्यों के लिए तैयार किया जा सके और इस प्रकार उन्हें सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त करने के सक्षम बनाया जा सके । इस लिए महाजनी समिति के संशोधीत उद्देश्य में कुछ परिवर्तन करने के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया था ।

4. राष्ट्रीय कैडेट कोर के संशोधित उद्देश्य इस प्रकार है:—

(1) नेतृत्व, चरित्र, साहचर्य, पक्के इरादे की भावना और सेवा के आदर्शों का विकास ।

(2) एक ऐसी अनुशासित और प्रशिक्षित मानव-शक्ति तैयार करना जो राष्ट्रीय आपात स्थिति में देश की सहायता कर सके ।

(3) छात्रों में अक्सर जैसे गुणों का विकास करनेके विचार से उन्हें प्रशिक्षण देना ताकि वे सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त करने के लिये सक्षम भी बन सके ।

5. छात्र के लिए यह विकल्प है कि वह राष्ट्रीय कैडेट कोर, अथवा राष्ट्रीय सेवा योजना अथवा राष्ट्रीय क्रीडा संगठन में से किसी एक में भाग ले सकता है । राष्ट्रीय कैडेट कोर में भाग लेने वाले छात्रों को खेल और समाज सेवा में ऐसे प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं दी जाती जो राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय क्रीडा संगठन में दी जाती हैं। खेलों और समाज सेवा संबंधी गतिविधियों में भाग लेने से कैडेटों में चरित्र, साहचर्य और सेवा के आदर्श का विकास होता है और यही 1948 में स्थापित इस राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य रहा है ।

Generation and Requirement of Power

2946. **Shri Natwar Lal B. Parmer:**
Shri Kanwar Lal Gupta:
Shri Chaturbhuj:

Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) the present power generating capacity in megawats in the country;

(b) the megawatt power actually generated against its requirements; and

(c) the reasons for non-utilisation of full capacity?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) The present installed capacity in the country is 24,109 MW comprising of 12,648 MW of thermal units in utilities, 2,170 MW in non-utilities and 9291 MW in hydro utilities.

(b) & (c): The megawatt requirement in each State and the corresponding generation in the power stations to meet their requirement vary from hour to hour. The total arithmetical sum of the maximum output of thermal stations in the utilities on 30th November, 1977 was 6587 MW and on the same day, the total arithmetical sum of the maximum output of hydro stations was 6568 MW. These figures of maximum output met, however, do not represent the simultaneous co-incidental maximum demand of the entire country.

While thermal stations are designed to operate on base load, hydro power stations are designed either to meet peak demand only or on the basis of seasonal variations of energy or in some cases as base load stations. In the case of hydro stations, generation is governed by the design potential of the power stations and the availability of water in the reservoir.

At the present stage of evolution of the power grid, it is not possible to measure the megawatt requirement and the megawatt generated at a point of time for the country as a whole. However, it is possible to evaluate the total production of energy in kilowatt hours on a 24 hours basis. The total generation in kilowatt hours on 30th November, 1977 was 246.36 million units.

In the case of thermal power stations, it is not possible to utilise the full installed capacity for all 24 hours on all the 365 days as machines have to be shut down for planned maintenance and allowance has to be made for forced outages due to break-down of components or machines and partial outages due to failure of auxiliaries. In some parts of the country, the pattern of demand in the system also presents a problem in the way of full utilisation of the available capacity, particularly when the demand itself goes down at night time or on holidays.

देश में टेलीविजन सेट

2947. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण सीमा के अंतर्गत अब तक भारत की कुल कितनी आबादी आ गई है; और

(ख) देश में इस समय कुल कितने टेलीविजन सेट हैं और उनकी राज्य-वार मांग अनुमानत. कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :

(क) लगभग 713 लाख ।

(ख) 31-12-1976 को लाइसेन्स शुदा टेलीवीजन सेटों की कुल संख्या 4.79 लाख थी ।

टेलीविजन सेटों को राज्यवार मांग का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

झारखंड आदिवासियों के लिए पृथक राज्य की मांग

2948. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :**
श्री एस० जी० मुरुगय्यन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कुछ लोग झारखण्ड आदिवासियों के लिये पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पृथक आदिवासी राज्य की मांग के समर्थन में क्या कारण दिये गये है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ,

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान । जैसा 23 नवम्बर, 1977 को तारांकित प्रश्न सं० 130 और उसके पूरक प्रश्नों के उत्तर पहले स्पष्ट किया गया था, सरकार किसी राज्य के पुनर्गठित के प्रश्न पर विचार करने के लिए वर्तमान समय को उचित नहीं समझती ।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ से संबंध भारत-स्विटजरलैण्ड केन्द्र

2949. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ से संबंध भारत-स्विटजरलैण्ड केन्द्र किसी तकनीकी शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है ;

(ख) परीक्षा लेने तथा छात्रों को डिग्रियां देने की पद्धति क्या है और निरपक्षता तथा ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिये क्या नियंत्रण रखे गये है ;

(ग) क्या दाखिले से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये कोई आरक्षण दिये जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र में गत तीन वर्षों में अब तक कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग दाखिल किये गये हैं; और

(ङ) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन में उनमें से कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत-स्विटजरलैण्ड प्रशिक्षण केन्द्र (आई० एस० टी० सी०) द्वारा उपकरण-टैक्नालोजी में दिया गया डिप्लोमा शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्य है। इंस्टीट्यूट आफ इंजोनियरर्स (भारत) ने भी अपनी स्टूडैंटशिप परीक्षा में छूट देने के लिये इस डिप्लोमा को मान्यता प्रदान की है।

(ख) भारत-स्विटजरलैण्ड में दाखिला एक प्रवेश परीक्षा द्वारा दिया जाता है। यह प्रशिक्षण तीन वर्ष के लिये दिया जाता है जिसमें प्रतिवर्ष दो सेमिस्टर परीक्षाएं होती हैं। एक सेमिस्टर परीक्षा की अवधि में दो अन्य सामयिक परीक्षायें भी ली जाती है। अन्तिम परीक्षा के अतिरिक्त, उत्तर पुस्तिकाएं हर परीक्षा के बाद सदैव विद्यार्थीयों को दिखाई जाती है और उनके साथ चर्चा की जाती है। जिससे वे अपनी कमियों को पहचान सकें। यदि उनमें कोई कमी होती है तो उन्हें उन कमोयों को दूर करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जाता है। मौखिक परीक्षा के साथ साथ क्रियात्मक परीक्षा भी आयोजित की जाती है। क्रियात्मक परीक्षा कार्य को आयोजित करने के लिये छे अध्यापक कार्यरत है। सेमिस्टर परीक्षा के परीक्षा परीणाम-पत्र में दो प्रकार की श्रेणीगत योग्यताएंदी जाती है—उद्यम और कुशलता। इस प्रणाली में, विद्यार्थीयों का कार्य सही ढंग से प्रतिवर्ष निरंतर मूल्यांकित किया जाता है।

परीक्षार्थीयों द्वारा सेमिस्टर परीक्षाओं और अन्तिम परीक्षा की अवधि में किये गये क्रियात्मक कार्य के आधारित पर तीन वर्षों के उपरांत डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।

(ग) जी, नहीं। सी० एस० आई० ओ० से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों की जगह आरक्षित करने के लिये कहा जा रहा है।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली स्पोर्ट स्टेडियम में इलेक्ट्रोनिक गणना पट की व्यवस्था

2950. **श्री सरदीश रायो** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने नई दिल्ली के एक स्पोर्ट स्टेडियम में इलोक्ट्रोनिक गणना पट की व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ को कोई परियोजना दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना पूरी हो गई है और गणना पट बना दिया गया है और यह संतोषपूर्ण ढंगसे कार्य कर रहा हैं ; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय किया गया है और इसमे कितना समय लगा है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) परियोजना की कीमत 3.52 लाख रुपये है और लगभग डेढ़ वर्ष में यह पूरी की गई थी।

दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त की नियुक्ति

2951. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त की नियुक्त किस प्रकार की जाती है ;

(ख) क्या यह नियुक्ति निगम की अथवा उनक मंत्रालय की सिफारिश पर की जाती है; और

(ग) क्याइस समय निगम में प्रति-नियुक्ति पर आये विभिन्न अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों की उपायुक्त के रूप में पदोन्नति , दिल्ली नगर निगम द्वारा अथवा उनके मंत्रालय द्वारा अथवा संवर्ग को नियंत्रित करने वाले मंत्रालय द्वारा की जाती है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत उपायुक्त के पद पर नियुक्ति पद के लिए अधिसूचित नियुक्ति नियमों के अनुसार की जारी है जिसमें विहित है कि पदों का 50% प्रतिनियुक्ति पर आय अधिकारीयों द्वारा और 50% पदोन्नतिद्वारा भरा जाएगा।

(ख) इस पद पर नियुक्तियां दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाती हैं ।

(ग) जब अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के एक अधिकारी पर चाहे वह संघ शासित क्षेत्र का हो अथवा राज्य का हो , दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत उपायुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति, के लिए विचार किया जाता है, तो प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्यवाई को जाती है ।

पनडुब्बी मारक फ्रिगेट

2952. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने को कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ समाचार पत्रोंमें प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर निर्वारित गया है कि तट रक्षा संगठन को हाल ही में दिये गये पनडुब्बी-मारक फ्रिगेट उनके लिए दिलाया कार्य के अनुपयक्त है और यदि हां, तो इस वारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) तट रक्षा संगठन की स्थापना में क्या प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । नौसेना से तट सुरक्षा संगठन को दिये गये पनडुब्बी मारक फ्रिगेट यद्यपि तट सुरक्षा संगठण कार्यों के पूर्णतया उपयुक्त नहीं है लेकिन समुद्र में तब तक के लिए सामान्य गश्त लगाने के उद्देश्य से इनका उपयोग किया जा सकेगा जब तक कि तट सुरक्षा संगठन अपने लिए उपयुक्त जलयान प्राप्त नहीं कर लेता ।

(ख) एक विशेष कार्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक अन्तरिम तट सुरक्षा संगठन स्थापित किया जा चूका है। स्थायी तट सुरक्षा संगठन बनाने के लिए यह अधिकारी एक विस्तृत योजना तैयार कर रहा है।

दिल्ली में आयोजित विस्सीटेक्स प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सी० एस० आई० ओ० चण्डीगड द्वारा किया गया व्यय

2953. **श्री मुकुन्द मण्डल**: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान दिल्ली में आयोजित विस्सीटेक्स प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सी० एस० आई० ओ० चण्डिगढ ने यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, सामग्री को खरीद, श्रमिकों को काम पर रखने तथा ठेका आदि देने पर हुए खर्चे सहित कूल कितना खर्च किया ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण गठन (सी एस आई ओ) चण्डीगढ़ ने सुचित किया है कि विस्सीटेक्स प्रदर्शनी में भागलेने के लिए 20,370.00 रुपये खर्च किए गये थे। संस्थान द्वारा किसी को कोई ठेका नहीं दिया गया था।

Confidential Reports of Hindi Officers

2954. **Shri Sharad Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the duties of Hindi Officers working in Ministries of Government of India and its subordinate offices and the criteria adopted for making assessment of their work; and

(b) the guidelines issued by the Government in regard to writing confidential reports of Hindi Officers and effect thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) The following items of work have been entrusted to the Hindi Officers and their work is assessed on these basis:—

(1) The translation work from English to Hindi and vice-versa and vetting thereof.

(2) To acquaint the Officers and staff with the Government orders relating to Official Language and to help them in implementing the same.

(3) To ensure proper implementation of provisions of the Official Language Act and orders pertaining to the Hindi Teaching and the Official Language in their Departments and Subordinate offices, Sections, Companies, Corporations etc.

(4) To work as the Secretary of the Official Language Implementation Committee of their Department and Office and to convene its meetings from time to time, to prepare agenda and minutes of these meetings and to coordinate the action on the decisions taken in these meetings.

(5) To make suitable suggestions from time to time for facilitating the progressive use of Hindi and to keep liaison with Official Language Department through proper channel.

(6) To prepare help and reference literature, to arrange for the training in Hindi Workshops and to assist the Officers and staff in learning Hindi and in using Hindi in the official business.

(b) The Officers in the various Ministries and Offices have, so far, been writing the Annual Reports of the Hindi Officers in different forms. Action is being taken to bring uniformity in proforma of this Report. A standard proforma has been prepared for it and is being finalised.

पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में सीमेंट कारखाने की स्थापना

2955. **श्री म० ए० हनान अलहाज :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के पिछड़े क्षेत्र में सीमेंट कारखाना स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है और 24 परगना जिले में इस कारखाने की स्थापना में कितना समय लग जायगा ?

6—370 L.S.S. (N.D.)/77

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूंजीगत लागत तथा विद्युत् लागत और अनुसंधान तथा विकास के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा नियत की गयी धनराशि

2956. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विद्युत उत्पादन हेतु निम्नलिखित तीन प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कितनी धनराशि नियत की है और वितरण तथा पारेषण लागत को छोड़ कर प्रति किलोवाट घण्टे पर कितनी पूंजी लागत और विद्युत लागत आती है;

(एक) "पोलिटाइज्ड कोल फायर्ड बायलर्स विद स्टीम टरबाइन्स"

(दो) एटमास्फोयरिक फ्लूडाइज्ड बैड बायलर्स विद आर विदआऊट लाइन स्कुब्बिंग

(तीन) कोल गैसीफिकेशन/कम्बाइन्ड साईकिल प्लान्ट विद लूरंगी टाइप गैसीफायर; और

(ख) उक्त तीन प्रौद्योगियों पर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम में आद्यतन प्रगति क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) : पूलवराइज्ड कोल फायर्ड बायलर टेक्नालाजी पर आधारित तापीय संयंत्रों के मामले में आज पूंजीगत लागत जिनका कि इस्तेमाल इस समय बी० एच० ई० एल० कर रहा है। 1550 रुपये से लेकर 1650 रुपये प्रति के० डब्ल्यू० तक की सीमा में है। जो कि कोयले की क्वालिटी, सैट की श्रेणी, स्थापना स्थल और सप्लाई की गुंजाइश पर निर्भर करता है। तापीय विद्युत घर में जनित्रण लागत कई बातों पर निर्भर करती है जैसे—पूंजी लागत ठंडा करने की किस्म, कोयले की किस्म, कोयले की लागत इत्यादि। अतः जनित्रण लागत एक बिजली घर से दूसरे बिजली घर में भिन्न-भिन्न होती है। बिजली घर बस में जनित्रण लागत जैसा कि तापीय संयंत्रों के लिए अनुमान लगाया गया है और जिसे केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने हाल ही में स्वीकृति दी है वह 13 पैसे प्रति यूनिट (के० डब्ल्यू० एच०) से लेकर 21.37 पैसे प्रति यूनिट तक अलग-अलग होती है। अभी तक देश में ऐसा कोई बिजली संयंत्र नहीं है जो कि फ्लूडाइज्ड बेड़ बोयलरों अथवा कोल गैसीफिकेशन/कम्बाइन्ड साईकिल टेक्नालाजी पर आधारित हो और न तो इस समय बी० एच० ई० एल० के पास ये टेक्नालाजी है।

बी० एच० ई० एल० ने तीनों टेक्नालाजियों के लिए अनुसंधान और विकास हेतु अलग से कोई राशि नियत नहीं की है। चालू वर्ष के लिए लगभग 150 लाख रुपये की कुल बजट लागत में पारम्परिक पूलवराइज्ड कोल फायर्ड पावर प्रणालियों की विभिन्न विशिष्टियों में सुधार करने के लिये इस समय लगभग 100 अनुसंधान एवं विकास परियोजनायें चल रही है। इन सभी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की आज तक की प्रगति उत्साह वर्द्धक रही है। पारम्परिक क्षेत्रों में बी० एच० ई० एल० के उपकरण और उसके कच्चे-माल के निवेश तथा बड़े आकार के एककों के डिजायन को अंतिम रूप देने के कार्य में सुधार करने की परियोजनाओं पर अनुसंधान तथा विकास के प्रयास केन्द्रित है। फ्लूडाइज्ड बेड बायलर टेक्नालाजी के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम पर बी० एच० ई० एल० ने

आज तक 80 लाख रुपये खर्च किये हैं। फ्लूडाइज्ड कम्बशन बायलर के कार्य के परीक्षण की वर्तमान स्थिति 1978 के मध्य तक समाप्त हो जाने की आशा है। बी० एच० ई० एल० ने कम्बाइन्ड साईकिल डिमास्ट्रेशन प्लांट की कुल लागत का अनुमान जिसमें फिक्स्ड बेड प्रेसराइज्ड कोल गसीफिकेशन प्रणाली का विकास सम्मिलित है। आगामी तीन-चार वर्षों में 6 करोड़ रुपये का लगाया है। कम्बाइन्ड साईकिल परियोजना जोकि हाल ही में शुरु की गई है, के प्रमुख पूर्जों की संकल्पनात्मक डिजाइन और यांत्रिक इंजीनियरी विशिष्टीकरण का काम पूरा हो गया है।

Production and Assistance for Ambar Charkhas

2957. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of Industry be pleased to state:

(a) the number of Ambar Charkhas manufactured during the last three years, year-wise;

(b) the amount and nature of assistance provided to Khadi and Village Industries Commission for the manufacture and sale of Ambar Charkha per unit;

(c) the types of Ambar Charkhas manufactured at present, the price thereof and whether there is any proposal to manufacture Ambar Charkhas at low cost and if so, the details thereof; and

(d) whether Khadi and Village Industries Commission has allowed operation of Ambar Charkhas by power and if so, when and if not, the reasons therefor?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) to (b): The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

बिहार में पक्की (सरफेस) सड़कों की औसत

2958. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पक्की सड़क राष्ट्रीय औसत में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग): उपलब्ध आंकडों से पता चलता है कि 31-3-1975 को बिहार में प्रति 100 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र में औसतन 12·4 कि० मी० लम्बी सड़क पक्की थी जबकि अखिल भारत तदनुरुपी आंकड़े 14.6 कि० मी० के हैं। कमी को पूरा करने के प्रस्ताव मुख्यत: राज्य सरकार को तयार करने होते हैं और योजना आयोग के समक्ष रखने होते हैं। अब तक की गई प्रगति के आधार पर राज्य सरकारों से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। संसाधनों की उपलब्धता और अन्य क्षेत्रों/कार्यक्रमों के लिए प्रतियोगी दावों को ध्यान में रखते हुए पांच वर्षीय और वार्षिक योजनाओं के अधीन बनाये सड़क विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य विकासात्मक और यात्री आवश्यकताओं को पूरा करना है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

2959. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गांवों में बिजली लगाने के कार्य में क्या प्रगति है;

(ख) क्या योजना की प्रगति निर्धारित लक्ष्य से पीछे है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) 30-9-1977 की स्थिति के अनुसार 15047 गांवों को बिजली दी जा चुकी है और 1,89,016 पम्पसेट ऊर्जित किए जा चके हैं।

(ख) और (ग) : 1977-78 के लिए मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने 1600 अतिरिक्त गांवों तथा 30,000 नए पम्पसेटों का लक्ष्य रखा है। 30-9-77 तक, 1218 नए गांवों को बिजली दी जा चुकी है और 8734 पम्पसेट ऊर्जित किए जा चुके ह। आशा है आने वाले महीनों में प्रगति में सुधार होगा। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से इस बारे में विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

सिक्किम नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

2960. **श्री क० बो० चेतरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष ने कुछ महीने पूर्व गृह मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें राज्य के विभिन्न मामलों के बारे में मुख्य मंत्री और उनके सहयोगियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई जांच की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) सिक्किम नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष से, राज्य के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Loss on National and Regional Khadi Gramodyog Boards

2961. **Shri Ram Lal Rahi:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether national and regional Khadi Gramodyog Boards are running in loss at present and if so, the present financial condition thereof; and

(b) whether the cause of the loss has come to light and since when the loss is being suffered by them?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) and (b) : Khadi and Village Industries Commission is a promotional-cum-developmental organisation in the sphere of Khadi and Village Industries and as such the question of loss does not arise. State Khadi and Village Industries Boards are set up under the Acts of State Legislatures for similar purpose. Hence the question of their running at loss does not arise.

आपात स्थिति के दौरान जम्मू तथा काश्मीर की प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला के कर्मचारियों की छंटनी

2962. **श्री बलदेव सिंह जसरोया :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर की प्रादेशिक अनसंधान प्रयोगशाला (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का एक एकक) के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी आपात स्थिति के दौरान छंटनी कर दी गई थी और उनमें से कितने कर्मचारियों को अब तक सेवा में बहाल कर दिया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : आपात स्थिति के दौरान क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोग शाला जम्मू, और काश्मीर में इसकी शाखा प्रयोगशाला में किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है।

World Hindi Foundation

2963. **Dr. Karan Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal from the World Hindi Conference in regard to the establishment of World Hindi Foundation (Vishwa Hindi Pratishthana); and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) and (b): In the Second World Hindi Convention held in Mauritius a resolution was passed that a World Hindi Centre should be set up there. Obviously this Centre has to be set up by the Government of Mauritius. No information regarding setting up of this Centre has so far been received from them and they have been asked to intimate the progress made in this regard.

In the meantime a suggestion has been received in the Department of Official Language that a World Hindi Foundation which may be an autonomous body may be established in India itself. The suggestion is under consideration of the Government.

Amendment of Government Service Rules

2964. **Shri Hukamdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether with a view to strengthen national integration Government propose to amend the Government Service Rules to the effect that the resident of a particular State working on Class I and Class II posts in Central Government shall not be posted in his own State; and

(b) if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) & (b) : Generally, Central Government employees belonging to Groups 'A' and 'B' are liable to serve anywhere in India and their transfers/postings are made in accordance with the exigencies of public service and other related administrative requirements. As such, the question of posting of an official to a State other than his home State may not be relevant in the context of national integration.

मंत्री को प्राप्त हुए हिन्दी में लिखे पत्र

2965. श्री मोहनलाल पिपिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से सितम्बर, 1977 की अवधि में उन्हें विभिन्न स्थानों से कुल कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने पत्रों की पावती उन्हें प्राप्त होने की तिथि से एक महीने की अवधि के पश्चात् दी गई अथवा अभी तक नहीं दी गई और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन पत्रों को उनके समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व इनका अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाता है और यदि हां तो इस कार्य के लिए कितने कर्मचारी निर्धारित किये गये हैं तथा उनका वेतनमान क्या है और क्या वर्तमान व्यवस्था को सन्तोषजनक समझा जाता है।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) कुल पत्रों का लगभग 75 से 80 प्रतिशत हिन्दी में है।

(ख) सभी पत्रों की पावतियां भेजने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। विद्यमान प्रबन्धों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और उनको सुप्रवाहित करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं।

Setting up of Industries in Backward Areas of U.P.

2966. **Shri Hargovind Verma**: Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether some concrete measures are being taken to set up industries in backward regions of various States to tackle unemployment problem; and

(b) if so, the outlines thereof and the districts of Uttar Pradesh where such industries will be set up?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Yes, Sir.

(b) As in the attached note.

STATEMENT

The measures being taken to develop industries in the backward regions of various States fall under three programmes namely, Backward Area Development, Rural Industries Projects and Rural Artisan Projects. The Backward Area Development Programme comprises of various incentives like investment subsidy to the extent of 15% on fixed investment, concessional financial assistance by national financial institutions, relief in income-tax, free technical consultancy services, special facilities for import of raw materials, transport subsidy etc.

In the State of Uttar Pradesh Backward Area Development Programme operates in 39 districts which are eligible for concessional finance. These districts are:

Almora, Azamgarh, Badaun, Bahraich, Ballia, Banda, Barabanki, Basti, Bulandshahr, Chamoli, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad, Farrukhabad, Fatehpur, Garhwal, Ghazipur, Gonda, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jaunpur, Jhansi, Kanpur Dehat, Mainpuri, Mathura, Moradabad, Pilibhit, Pithoragarh, Pratapgarh, Rai Bareli, Rampur, Shahjahanpur, Sitapur, Sultanpur, Tehri Garhwal Unnao and Uttar Kashi.

Of these the following 6 districts have been selected for giving 15% investment subsidy:

Ballia, Jhansi, Almora, Basti, Faizabad and Rai Bareli.

RIP Programme is essentially an extension programme for giving comprehensive on the spot extension assistance to small scale industries through a separate project organisation. 100% central assistance is provided to the State Governments for running Rural Industries Projects. Following 13 districts are covered by RIP Programme in the State of U.P.:

Saharanpur, Ghazipur, Jhansi, Allahabad, Almora, Lucknow, Mathura, Rai Bareli, Fatehpur, Ballia, Unnao, Deoria, Moradabad.

RAP Programme aims at providing all round training facilities to the village artisans and agricultural labourers in different village trades. Under the RAP Programme, trainees are provided with stipend, a tool kit free of cost and subsidy to the extent of 33.1/3% for purchase of improved tools and equipment. In U.P., RAP Programme operates in 5 districts namely, Fatehpur, Rai Bareli, Ballia, Mathura and Budaun.

The Khadi and Village Industries Commission also has special schemes for the development of backward and tribal areas. Their schemes of woollen and silken Khadi, are particularly meant for backward areas of the country. The scheme for development of non-edible oils and soaps cover most of the Adivasi areas. In the coming years KVIC proposes to intensfiy its activities in these areas so as to provide greater employment opportunities to the people living therein.

हानि रोकने के लिये स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के कुप्रबंध में सुधार के लिये उपाय

2967. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान हुई भारी हानि को रोकने के लिए स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के कुप्रबंध में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या सरकार प्रबंधकों की असफलता तथा स्कूटर्स इंडिया कारखाने की भारी हानियों के कारणों की जांच करेगी, और

(ग) क्या सरकार का विचार श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच में बहुत से विवादों से छुटकारा पाने हेतु प्रबंध में परिवर्तन करने का है जिनसे कारखाने को भारी नुकसान होता है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) तथा (ख) : सरकार ने हाल ही में स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के कार्य निष्पादन पर विचार किया है। उत्पादन में सुधार करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई शुरु की गई है। संशोधित उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और आशा है कि कम्पनी 1978 की प्रथम तिमाही से हानि रहित स्थिति में पहुंच जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्र की भारत-आप्थैल्मिक ग्लास परियोजना में उत्पादन प्रौद्योग ी में पारवर्तन में विलम्ब

2968. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की भारत-आप्थैल्मिक ग्लास परियोजना की उत्पादन प्रौद्योगिकी का वर्तमान बैच उत्पादन पद्धति से बदल कर सतत प्रक्रिया (कंटीन्युअस प्रैसेस) करने में विलम्ब करनेसे सरकार को 6 करोड़ रुपयों की हानि होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड (वी० ओ० जी० एल०) ने चाक्षुम ब्लैंकों के उत्पादन के लिए बच प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग कर 1968 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया। तकनीक की सहज कमियों के कारण वी० ओ० जी० एल० निरुतर प्रक्रिया प्रणाली को अपनाने के लिये प्रयास करता रहा है। इस क्षेत्र की तकनीकी जानकारी की प्राप्ति की संभावनाओं को खोजने के लिए एक तकनीकी दल 1974 में विदेशी में गया था। दुर्भाग्य से तकनीक पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पूर्ण अधिपत्य था। अतः नई तकनीक का प्राप्त करना सरल नहीं था। हाल ही में वी० ओ० जी० एल० की विदेशी सहयोग के अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं वे विचाराधीन है। वी० ओ० जी० एल० सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सीरेमिक्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट के सहयोग से तथा राष्ट्रीय विकास अनुसन्धान निगम के वित्तीय सहयोग से देश में तकनीक के विकास की संभावनाओं की खोज कर रहा है। बेहतर तकनीक के न मिलने के कारण यदि कोई हानि हुई है उसकी मात्रा शीघ्र ही बता सकना संभव नहीं है।

जुए को बन्द करने का प्रस्ताव

2969. **श्री बापू साहिब पुरुलेकर :** क्या **गृह** मंत्री यह गताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का देश में सभी स्तरों पर जुआ बन्द करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार जुआ निरोध अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके देश में घुडदौड़ और राज्य लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का कानून में ऐसा संशोधन कब करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) और (ख) : जुआ जिसमें घुडदौड़ भी आती है, राज्य का विषय है। अत: इन मामलो में विधान बनाने के लिए राज्य सरकारें सक्षम है। फिर भी केन्द्र सरकार का जुआ से संबंधित अपराधों से कारगर ढंग से निपटाने के लिए एक व्यापक आदर्श विधान; जिसमें विभिन्न प्रकार के जुए आते है, का प्रारुप राज्यों के विचार के लिए तयार करने का प्रस्ताव जहाँ तक राज्य लाटरियों का संबंध है, सरकार का इन लाटरियों के चलाने को नियमित करने के लिए विधान बनाने का विचार है।

(ग) उपर्युक्त दोनों प्रस्ताव प्राथमिक अवस्था में हैं। यह बताना सम्भव नहीं है कि उन्हें विधान के रुप में कब अन्तिम रुप दिया जाएगा, खासतौर पर इसलिए कि आदर्श विधेयक राज्य सरकारों को जो केवल इसके लिए सक्षम है, पारित करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश को सामरिक महत्व के क्षेत्रों के अन्तर्गत लेना

2970. **श्री युवराज:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि के सीमान्त क्षेत्र सामरिक महत्व के क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता; और

(ग) क्या यह भी सच है कि जब बिहार का राष्ट्रीय राजपत्र सं० 31 (कोधाकटिहार-लाभा०) राष्ट्रीय राजपत्र सं० 34 (बंगाल का हरीश चन्द्रपुर) के साथ जोड़ दिया जायेगा तब दूर सुदूर के क्षेत्र इन राजपथों के साथ जुड़ जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभार राज्य मंत्री (श्री चांद राम): (क) और (ख) : सड़कों के निर्माण के प्रयोजन के लिए कोई भी क्षेत्र अभी तक "आक्राम्य क्षेत्र" घोषित नहीं किया गया है।

(ग) यह सड़क बनने पर राज्य सड़क होगी और यह संबंधित राज्यों का उत्तरदायित्व होगा।

अविक्रीत कोपटेक्स कपड़ा

2971. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई लाख रुपए के मूल्य का कोपटेक्स क्लोथ अन विका पड़ा है और इससे हथकरघा उद्योग की कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने अमरीका और ब्रिटेन में ऐसे कपड़ की बिक्री बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

(ग) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस उद्योग का वर्तमान मंदी से उबारने के लिए सरकार ने किस प्रकार की तुरन्त कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : (क) यह सूचना मिली है कि 14 करोड रुपये मूल्य का हैण्डलूम कपडा सितम्बर/अक्तूबर 1977 में कोपटेक्स के पास स्टाक में था।

(ख) और (ग) : तमिलनाडू सरकार द्वारा दो प्रतिनिधि मण्डल, एक यू० एस० ए० ब्रिटेन और फ्रान्स को और दुसरा सिंगापूर मलयेशिया जापान और इण्डोनेशिया को जाने हेतु प्रायाजित किये गये। उन्हें एक करोड़ रुपये मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। और नियति के लिए और भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) तमिलनाडू सरकार ने विशेष छूट की स्वीकृति दी है, वो आपटेक्स भी 3-9-77 से 22-11-77 तक की अवधि में समय समय पर विभिन्न दरों से छूट देती रही है। इससे हथकरघा उद्योग को कुछ राहत प्राप्त हुई होगी।

नमक आयुक्त संगठन द्वारा किया वार्षिक व्यय

2972. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक आयुक्त संगठन द्वारा वर्ष 1948 से 1976 के बीच किया गया कुल वार्षिक व्यय कितना है;

(ख) यह व्यय किस प्रकार पूरा किया जाता है;

(ग) क्या इस संगठन की स्थापना के उद्देश्य को देखते हुए ऐसे व्यय की अनिवार्यता का अध्ययन करने हेतु कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि कोई समीक्षा नहीं की गई है तो क्या सरकार इस संगठन को नमक उद्योग के विकास का एक साधन बनाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) 25,02,87,468 रुपये।

(ख) व्यय की पूर्ति नमक उपकर अधिनियम 1953 की धारा 4-(ए) के अनुसार एकत्रित किए गए उपस्कर से की जाती है।

(ग) और (घ) : संमीक्षा की जा रही है।

Tenughat Super Thermal Power Station

†2973. **Shri Ramdas Singh :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the time by which construction work of Tenughat Super Thermal Power Station would commence; and

(b) the reasons for delay?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) & (b) : Revised proposal for setting up of a Thermal Power Station at Tenughat with two units of 210 MW each is under examination in the Central Electricity Authority. Power projects in the state are sanctioned after techno-economic clearance by the Central Electricity Authority to meet anticipated load demands as part of the State Plans. It is not possible to indicate at present when work on the Tenughat Thermal Power Project will start.

जलन्धर में दूरदर्शन केन्द्र

2974. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लों :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री आई० के० गुजराल ने यह वचन दिया था कि वर्ष 1977 के मध्य तक जलन्धर में एक दूरदर्शन केन्द्र बनकर तैयार हो जाएगा तथा कार्य करने लगेगा;

(ख) इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) जलन्दर में दूरदर्शन केन्द्र वस्तुत: किस तारीख से काम करना आरंभ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) : मूल कार्यक्रम के अनुसार जलन्धर दूरदर्शन केन्द्र 1976-77 में चालू होना था तथापि इसमें कुछ विलम्ब

हुआ है, क्योंकि कन्क्रीट टी० वी० टावर, जो भारत में अपनी किस्म का पहला है, का डिजाइन बनाना था तथा भवन और टावर को एकीकृत तरीके से बनना था। भवन निर्माण कार्य टावर के कतिपय ऊंचाई तक पहुंच जाने के बाद ही शुरू किया जा सका। स्टूडियों उपकरणों, जिनके लिए आर्डर मैसर्स बी० ई० एल० को जून, 1976 में दिये गया था, के 1978 में मध्य तक प्राप्त होने की उम्मीद है। अब इस केन्द्र के 1978-79 में चालू होने की उम्मीद है।

Number of Industries closed in Gujarat

2975. **Shri Amarsinh Rathawa:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the number of industries closed in Gujarat in 1977;

(b) the number of these big and small industries for which a demand has been made for Gujarat and Government's views in regard to that;

(c) whether Government are prepared to extend cooperation in setting up village industries and if so, the names of the industries which they propose to set up and the number of persons to be provided employment therein; and

(d) when these schemes would be started and the last date set therefor?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) and (b): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d): A working group on Khadi & Village industries which has been constituted recently will recommend the strategy, policies and programmes for development of the Khadi & Village industries with particular emphasis on development of the following industries:—

(1) Processing of cereal and pulses.
(2) Village Ghani oils.
(3) Village leather.
(4) Cottage match.
(5) Cane Gur & Khandasari.
(6) Non edible oils and soaps.
(7) Village pottery.
(8) Carpentery and black smithy; and
(9) Gobar Gas.

With the implementation of schemes proposed by these working groups it is expected considerably to increase the employment opportunities in the rural sector. These schemes are proposed to be implemented over a period of five years starting from 1978-79.

Receipt of contract from Saudi Arabia by BHEL for setting up Power Station

2976. **Shri Bhanu Kumar Shastri:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether Bharat Heavy Electricals has received contract from Saudi Arabia for setting up a power station;

(b) if so, the main feature thereof;

(c) whether Bharat Heavy Electricals has sub-contracted the contract to a Bombay Suburban company; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Yes, Sir.

(b) The project comprises of a 42 MW Diesel Power Stations, 4 indoor sub-stations, about 180 Kilometres of 33 KV overhead transmission line and about 400 Kilometres of 13.8 KV/220 VOLTS overhead line and cable-distribution network along with associated civil works. The project will ultimately electrify an area of 900 sq. Kilometres in and around Jizan.

(c) BHEL has sub-contracted the transmission and distribution portion of the work to Bombay Suburban Electric Supply Co. Ltd.

(d) The installation of transmission and distribution networks are outside the activities of BHEL. They had, therefore, to sub-contract this work to Bombay Suburban Electric Supply Co. Ltd., who have the experience in this field. The sub-contracting was done on the basis of a tender.

सेंसर प्रतिबन्धों के कारण हानि

2977. **श्री सी० वेणुगोपाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंसर सम्बन्धी कठोर प्रतिबन्धों के कारण अनेक अच्छी विदेशी फिल्में जो प्रदर्शित की जानी थीं, ताक में रख दी गई हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप भारतीय राजस्व में कितनी हानि हुई है; और

(ग) क्या सरकार का सेंसर सम्बन्धी प्रतिबन्धों को उदार बनाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सभी फिल्में, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और चलचित्र सेंसर सम्बन्धी नियमों और उनके अधीन जारी किए गए निर्देशों के अधीन सेंसर की जाती हैं। विदेशी फिल्मों पर सेंसर संबंधी कठोर प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाते।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Names of Firms Manufacturing Aluminium Utensils

2978. **Shrimati Chandravati:** Will the Minister of **Industry** be pleased state :

(a) the names of the places where aluminium utensils are manufactured as also the names of manufacturing firms thereof;

(b) whether these firms get their products passed by I.S.I.; and

(c) whether these utensils are fit for use in the kitchen and do not melt when put on fire and whether their use for cooking meals is harmful and if so, the reasons for allowing use thereof for cooking meals?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Aluminium utensils are manufactured at different places throughout the country. A list of Districts along with number of units in the small scale sector is enclosed. (Annexure A). **[Placed in Library. See No. L.T.—1294/77].** Since, there are more than 800 small scale units manufacturing aluminium utensils in the country (as per 1972 Census), the list has been prepared on the basis of number of units in the Districts.

(b) All the firms in small scale sector manufacturing aluminium utensils do not get their products certified by ISI under their Certification Marking Scheme. A list of the units under the Certification Scheme of ISI is enclosed. (Annexure B). **[Placed in Library. See No. L.T.—1294/77].**

(c) The containers made out of aluminium conforming to I.S.I. Specification 21-1959 are allowed for use in the kitchen under the Prevention of Food Adulteration Rules 45(5).

However, no study has so far been made to find out the harmful effects of cooking meals in aluminium utensils.

Taking over of sick mills by National Textile Corporation

2979. **Shri Subhash Ahuja:**

Shri Yagya Datt Sharma:

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the total number of mills taken over by the National Textile Corporation and the number of such sick mills out of them which remained closed in the past; and

(b) the target fixed for production of coarse, fine and superfine cloth in these mills during the current year?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) In 1974, 103 textile mills whose management had earlier been taken over under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 and the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972, were nationalised and their ownership transferred to the National Textile Corporation. Later on in July, 1976, management of two more textile mills pending nationalisation was entrusted to the N.T.C. under the provisions of the Laxmirattan and Atherton West Cotton Mills (Taking Over of Management) Act, 1976.

Out of 103 nationalised textile mills, N.T.C. has not been able to get physical possession of one mill due to a stay order granted by the High Court of Gujarat. One mill has not been re-started as it is in scrap condition. Thus N.T.C. is currently running 101 nationalised textile mills in addition to managing two other mills. 32 of these mills were closed at the time of their take over.

(b) The overall production target of 907 million metres of cloth and 60 million kg. of market yarn has been fixed for the year 1977-78 by the N.T.C. It is not possible to give definite targets for production of coarse cloth, medium and fine and superfine as it depends upon the demand and supply as well as the technical feasibility and other related factors. The production programme is periodically adjusted keeping the market demands in view. Broadly, the pattern of production, being followed is as follows:—

1. Coarse.	14%
2. Medium.	82%
3. Fine & Superfine.	4%

सीताराम जयपुरिया द्वारा पोलिएस्टर खादी का निर्माण

2980. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :**

श्री एस० जी० मुरुगय्यन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े व्यापारी गृह के मालिक, कानपुर के सीताराम जयपुरिया ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें पोलिएस्टर खादी बनाने की अनुमति दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंत्रियों द्वारा विदेशी यात्रा के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत

2981. **श्री के० ए० राजन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने मंत्रियों द्वारा दी जाने वाली विदेशी यात्रा के बारे में कोई निदेश अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्यों को लिखा है कि विदेश यात्रा के लिए किसी भी निमंत्रण का उत्तर देने के पूर्व, वे विदेश मंत्रालय की सलाह को ध्यान में रखें। केवल लिखित रूप में प्राप्त औपचारिक निमंत्रणों पर ही विचार किया जाना चाहिए और इन्हें विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजा जाए ।

Rehabilitation of Persons Displaced at the Site of D.V.C.

†2982. **Shri R.L.P. Verma :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number of persons who were displaced as a result of setting up of Damodar Valley Corporation;

(b) the steps taken by Government for their rehabilitation and the number of families which have not been rehabilitated so far; and

(c) whether Government have given preference in providing means of livelihood to these displaced families?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

वास्तविकता तथा वित्तीय आयोजन के बीच समन्वय

2983. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने वास्तविकता और वित्तीय आयोजन के बीच पहले से भी अधिक समन्वय के लिये कहा है और सीफारिश भी की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस सुझाव पर विचार किया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने का हर प्रकार से प्रयत्न किया जाएगा कि पंचवर्षीय योजना में निहित भावी योजनाओं में वित्तीय और वास्तविक अनुमानों में असंतुलन नहीं हों। अनवरत योजना के रीति-विधान में पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष निवेश और उत्पादन के लक्ष्य निहित होंगे और विस्तृत वार्षिक समीक्षा की व्यवस्था होगी, इस प्रकार उससे और अधिक सुसंबद्धता सुनिश्चित की जाएगी।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2984. **श्री हितेंद्र देसाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यो को केन्द्रीय सहायता के लिए गाडगिल फार्मूले के किसी विकल्प पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार किन विचारों की तरजीह दे रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन के सिद्धांतों में 1978-79 के लिए कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है। अगली पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय इन सिद्धान्तों की समीक्षा की जा सकेगी और यदि कोई परिवर्तन आवश्यक मालूम हुए तो उनको राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचार के लिए उपयुक्त समय पर प्रस्तावित किया जाएगा।

सूत मिलों द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन

2985. **श्री के० मालन्ना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूत मिलों द्वारा पोलिस्टर यार्न का उपयोग किये जाने से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन होता है क्योंकि उनको अधिनियम की प्रविष्टि 23(1) के अधीन जारी किये गये लाइसेंस में स्पष्ट लिखा है कि उनको इससे बनाये गये सूती धागे का उपयोग करना चाहिए;

(ख) क्या इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि प्रविष्टि 23(5) के अधीन लाइसेंस प्राप्त आर्ट सिल्क टैक्सटाइल उद्योग के लिए नई सामग्री सिंथेटिक फिलामेंट यार्न तथा रूपन यार्न थी; और

(ग) यदि हां, तो सूती कपड़ा उद्योग और आर्ट सिल्क उद्योग के बीच पूर्ण अलगाव को ध्यान में रखते हुए क्यों कि यदि बड़ी मिलों द्वारा आर्ट सिल्क का अतिक्रमण करने की अनुमति दी गई तो वह आर्टसिल्क उद्योग के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) सूती कपड़ा मिलें आंशिक रूप में सूती धागों का तथा आंशिक रूप में अन्य सामग्री जिसमें पोलिस्टर फिलामेंट रेशे भी सम्मिलित है से वस्त्र बना सकती है। अतः सूती कपड़ा मिलों द्वारा पालिस्टर फिलामेंट रेशों का उपयोग किए जाने से उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का उसलंघन तब तक नहीं होता जब तक कि उनके द्वारा बनाये गए कपड़ो में कुछ सूत का अंश रहता हैं। 23(5) के अधीन लाइसेंस

प्राप्त आर्ट सिल्क एकक सिन्थेटिक स्पनयार्न अथवा सिन्थेटिक फिलामेंन्ट यार्न से कपड़े बना सकते है किन्तु उत्पादितवस्त्र में आर्ट सिल्क की न्यूनतम मात्रा कुल धागे की 60 प्रतिशत होनी चाहिए। सूती कपड़ा उद्योग और आर्ट सिल्क उद्योग के बीच कच्चे माल के उपयोग के मामले में पूर्ण लगाव नहीं है। क्योंकि सूती कपड़ा मिले अपने द्वारा बूने गए कपड़ों में सिन्थेटिक स्पन यार्न और सिन्थेटिक फिलामेंन्ट यार्न का उपयोग कर सकती हैं और करती है। सूती कपड़ा मिलों द्वारा पोलिस्टर फिलामेंन्ट यार्न के अधिकाधिक उपयोग किए जाने का आर्ट सिल्क उद्योग पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं?, इसका अध्ययन किया जाना है ।

Expenditure and Profit earned by Hindustan Salt Limited Khargoda (Gujarat)

2986. **Shri Dayaram Shakya:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred and profit earned on the salt production by the Hindustan Salt Limited, Khargoda (Gujarat) during the last three years, year-wise; and

(b) the steps being taken by Government to supply salt at fair price and the number of private firms engaged in salt production in the country?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a)

(Rs. in lakhs)

Year	Expenditure	Profits
1973—74	36.00	6.00
1974—75	44.00	8.00
1975—76	60.00	8.00

(b) There is no price control on salt in the country except in respect of ex-factory prices of salt at Tuticorin and F.O.B. prices from West Coast ports for shipment of salt to Calcutta. The above prices have been fixed under the Essential Commodities Act, 1955. The number of private firms licensed for salt production in the country is 3,613.

Difference between Wholesale and Retail Prices of Yarn

2987. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the proportionate difference between wholesale and retail prices of yarn:

(b) whether this difference is due to the presence of middlemen;

(c) if so, whether Government propose to take any steps for supply of yarn to lakhs of poor weavers at mill rates and if so, what type of steps are proposed to be taken and by when they are going to be taken; and

(d) whether yarn prices have gone up recently and if so, the extent and the reasons thereof and the measures proposed to be taken by Government to bring them down?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) & (b) : Since there is no control on the pricing and marketing of cotton yarn, no precise information can be given about the variation between ex-mill prices and retail prices of yarn which vary from one type to another and count to count of yarn.

(c) Towards middle of 1977, the whole-sale price index in respect of cotton yarn had gone up to 203.3. A meeting was taken with the representatives of textile mill industry at which they undertook to ensure adequate supplies of yarn to the decentralised sector at reasonable prices. In pursuance of this, South India Mill Owners Association addressed handloom and powerloom weavers' Associations in various States for making arrangements for direct purchases of cotton yarn from their member mills.

(d) The wholesale price index for cotton yarn has declined to 189.8 in October, 1977 and further to 189.0 in the first week of November, 1977.

People Living below Poverty Line in Rajasthan

2988. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press reports that 56.30 per cent of the population of Rajasthan is still living below poverty line; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) & (b): Estimates of number of persons below poverty line vary depending upon the assumption made. In the past this estimate was made from the data on household consumption expenditure provided by the National Sample Survey Organisation, after making certain assumptions on the per capita expenditure required for minimum level of living. According to this procedure the percentage of people below the poverty line in 1964-65 in Rajasthan State was 36%, as against All India average of 45.6%.

The principal objective of the next five year plan and the subsequent plans would be to alleviate poverty through the reduction and eventual elimination of unemployment and underemployment and undertaking schemes of social welfare.

लाला लाजपत राय की रचनाओं का अनुवाद और सम्पादन करने वाले व्यक्तियों को सहायता

2990. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाला लाजपत राय की उर्दू में लिखी सभी रचनाओं का अनुवाद तथा सम्पादन करने वाले साहित्यिक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन रचनाओं के लिए किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता दी गई है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथापि, प्रकाशन विभाग "आधुनिक भारत के निर्माता" शृंखला के अंतर्गत लाला लाजपत राय की जीवनी अंग्रेजी में प्रकाशित कर रहा है । इसके हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में रूपान्तर बाद में प्रकाशित किए जा सकते हैं । जीवनी के लेखक स्वर्गीय श्री फिरोज चन्द को फूटकर खर्चों के रूप में 1,000 रुपए की राशि दी गई थी । इनके वैध उत्तराधिकारियों को 15 प्रतिशत की दर से रायल्टी देय होगी । उम्मीद है यह पुस्तक 1978 के आरंभ में बाजार में आ जायेगी ।

रक्षा उत्पादन एककों में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग न होना

2991. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रक्षा उत्पादन एककों में, एकवार कितने प्रतिशत विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने नागरिकों को उपभोग के लिये वस्तुओं के उत्पादन हेतु इस अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) : रक्षा उत्पादन विभाग से संबद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अधिकांशता अपनी क्षमता का पर्याप्त उपयोग कर रहे हैं । भारत इलैक्ट्रानिक्स के पास पहले ही काफी काम है; तीन शिपयार्ड अर्थात मजगांव डाक, गार्डनरीच और गोवा शिपयार्ड भी कुल मिला कर पूरी तरह से अपनी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं; और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को छोड़कर अन्य ऐसे उपक्रमों के पास काम न होनेकी इस समय कोई समस्या नहीं है ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर और बंगलौर प्रभागों में अवश्य ही पर्याप्त काम नहीं है । इन प्रतिष्ठानों को क्षमता का उपयोग करने के लिए उपयुक्त कार्य ढूंढ निकालने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

रक्षा संबंधी विशिष्ट कार्यों और सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न आवश्यकताओं के बदलते रहने के कारण आयुध कारखानों की आवश्यकताओं में समय-समय पर उतार-चढ़ाव आता रहता है। कारखानों को अपेक्षाकृत अल्प सूचना पर युद्धसामग्री और गोला-बारूद सप्लाई करने के लिए अपेक्षित तैयार क्षमता रखनी होती है । इसलिए उनकी क्षमता का उपयोग न होने अथवा किसी भी समय उनकी अनुपयुक्त क्षमता के बारे में ठीक सीमा बता पाना कठिन है जैसा कि रक्षा उत्पादन संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में है ।

आयुध कारखानों की क्षमता का कुल मिला कर पुरा उपयोग किया जाता है । परन्तु ईशापुर में रायफल फैक्टरी के लिए भावी कार्य की कमी है और इसके सम्भावित हल ढूंढने के लिए एक कार्य-दल स्थापित किया गया है ।

इसी तरह से आयुध कारखानों के रसायनिक और विस्फोटक क्षेत्र जैसे कतिपय मामलों में कुछ हद तक क्षमता का पूरा उपयोग न किया जाता दिखाई पड़ता है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कारखानों में किस प्रकार की और कितनी फालतू क्षमता है ताकि सिविलियन जरूरतों के लिए उत्पादन करने के साथ-साथ उनकी क्षमता का पूरा उपयोग करने के कार्यक्रम बनाए जा सके।

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूअर्स लिमिटेड, प्रगा टूल्स और तीनों शिपयार्ड जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्यम पहले ही सिविल आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। यहां तक कि आयुध कारखाने भी एक सीमित सीमा तक कतिपय सिविल जरूरतों की पूर्ति करते हैं जैसे बाइनों कुलर, सपोर्टिम रायफल और बंदूकें और सिविल विमानन विभाग के लिए कुछ उपस्कर।

रक्षा उत्पादन क्षेत्र में फालतू पड़ी उत्पादन क्षमता अथवा तकनीकी क्षमता का उपयोग करने में सिविलियन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है परन्तु रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

राजनीतिक हत्या के मामलों में वृद्धि

2992. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में देश में राजनीतिक हत्याओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) ऐसी हत्याओं के राज्य-वार आंकड़ें क्या हैं ; और

(ग) इनकी रोकथाम के लिये सरकार की भावी नीति और योजना की मुख्य रुपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) हालांकि कानून बनाने वाली ऐजंसियां सतर्क है फिर भी बुराई को प्रभावशाली ढंग से तभी रोका जा सकता है जब सभी राजनैतिक दल हिंसा का त्याग करें, और आवश्यक आत्म संयम बरतें।

Suspension of IAS and IPS Officers

2993. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of I.A.S. and I.P.S. Officers in the country suspended during the last 8 months for indulging in objectionable activities?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Persons killed in Police Action during emergency

2994. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have collected information from State Governments regarding the total number of persons who were killed in Police action during emergency; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) and (b) : Yes Sir.

According to the information already laid on the table of the House in reply to Unstarred question No. 110 dated the 6th April, 1977, 178 persons were killed in police firings in the country during the emergency.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम पर हुआ खर्च

2995. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने कुल कितनी राशि खर्च की है;

(ख) क्या इसमें जो सफलता मिली है, वह उस पर हुए खर्च के अनुरुप है; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अनुमान है कि 1975–76 और 1976–77 वर्षों के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय क्रमश: 290 और 340 करोड़ है ।

(ख) अनुसंधान और विकास में किए गए निवेश और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव में कुछ समय अन्तराल के बावजूद और इन उपलब्धियों को निश्चित संख्या अथवा परिमाण में व्यक्त करने की कठिनाई को देखते हुए प्राप्त उपलब्धियों को किए गए व्यय के समानुपात में काफी अच्छा समझा जा सकता है ।

(ग) उपलब्धियों के कुछ मुख्य लक्षण कृषि, चिकित्सा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिक्स और कई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों के क्षेत्र में हैं । अनुवंशिक और सस्य वैज्ञानिक व्यवहारों में सुधार, इंजिनियरी और सिंचाई आनुवंशिकी में सुधार और प्रबन्ध व्यवस्था और संचार विधियों में सुधार के परिणामस्वरुप, खाद्यान्न, ईंधन और चारे की पैदावार में काफी वृद्धी हुअी है । अवमृदा जुताई से समस्यात्मक मृदा वाले क्षेत्रों में भी गन्ने की पैदावार 30 टन प्रति हैक्टेयर तक हुई है । गेहूं का उत्पादन बढ़कर 2.8 करोड़ टन प्रतिवर्ष तक हो गया है । मक्का, जौ, मोटे अनाज, दालों और कुछ तिलहनों में तो बहुत अधिक उत्पादन देखने में आया है । अरण्ड की उपज 500 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर तक हुई है जो कि पहले की अपेक्षा दुगुनी है ।

संक्रामक रोगों, पोषण, उर्वरता नियंत्रण स्वास्थ्य वितरण प्रणालियों, औषधीय पादपों, वाइरीय और परजीवीय संक्रामक रोगों जैसे क्षेत्रों से कई अनुसंधान परियोजनाओं का प्रायोजन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है । विशुचिका (हैजा) के लिए नए टीके की तैयारी-इस टीके से बच्चों की 100% रक्षा और वयस्कों की 70% रक्षा सुनिश्चित की जाती है, चेचक का उन्मूलन, ब्यौरेवार अन्वेषण के लिए आर्माडिलो का समावेश और कुष्ट रोग के लिए टीके की तैयारी, कवक हिमन सहित वाइरस लायो फिलाइज़र का विकास, कान्ट्रैक्ट एक्स्ट्रेक्शन के लिए उपकरण का पूर्ण सैट, खाद्य लोह की जैव उपलब्धता के निर्धारण के लिए एक तीव्र पात्रे विधि का इस क्षेत्र में विशेष रुप से उल्लेख किया जा सकता है ।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, चार प्रोटोटाइप फ्यूल क्लस्टर असेम्बलीज का विकास, एक 60-किलोवाट फ्रीक्वेंसी आसीलेटर, एक 100-कि० वा० प्लाज्मा कटिंग टार्च, हाईड्रोजन डायनामिक कम्प्यूटर माडल और फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर के लिए बूनियादी डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है । तैल और गॅस अन्वेषणात्मक कुओं के लिए पल्स न्यूट्रान लागिंग, एक नई यू० ओ०2 पैलेट सिन्टरिंग भट्टी, गर्भाधान सम्बन्धी जटिलताओं के शीघ्र पता करने के लिए रेडियो इम्यूनो ऐसे किट, जहाज पर स्थित एक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक मार्गदर्शी विलवणीकरण संयंत्र और एक उल्टा परासरण मार्गदर्शी संयंत्र भी प्रतिष्ठापित किए गए है और उनका परीक्षण किया गया है ।

560 एम० एम० व्यास के रोहिणी सौडिंग रोकेटों, सैटेलाइट लांछ वेहीकल–3 (एस० एल० वी०–3) के विकास, रिइन्फोर्सड प्लास्टिक सैन्टर प्राजेक्ट के पहले चरण का पूरा होना प्रैशर ट्रांसड्यूसर यूनिट का विकास, और पृथ्वी के प्रेक्षणों के लिए उपग्रह पर कार्य का आरम्भ हो चुका है । उपग्रह शिक्षण दूरदर्शन प्रयोग 1976–77 में पूरा कर लिया गया और दूर संचार सम्बन्धी प्रयोग को चालू कर दिया गया है । ए० आर० ए० आई० एन० ई० (अरायन) पैसेन्जर पेलोड एक्सपैरीमैंट परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । टी० आर० सैलों का उत्पादन, सामुदायिक टी० वी० सैटों के लिए एन्टेना, सालिड स्टेट आसिलोस्कोप, टैन्टेलम इलैक्ट्रोलाइटिक कैपिसिटर्स, पेपर टेप पंच जैसे कम्प्यूटर के लिए आवश्यक साज सामान, काकपिट वायस रिकार्डर के विकास की परियोजना और लिक्विड क्रिस्टल्स मैटिरियल्स और डिस्प्ले डिवाइसिज और डिजिटल मल्टीमीटर के विकास का कार्य इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में पूरा कर लिया गया है ।

1976–77 के दौरान, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर स्थापित औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया । अफीम से अल्कलायड के लिए फैक्टरी से आरम्भ करके एक्रीलिक तन्तुओं के लिए रंजकों, सी० एम०–11 एलाय कन्डक्टर, सोल्ड टाइप नाईआड सैल, बैंड नाइफ स्पिलिंटिंग मशीन, बेकार चील के पत्तों को नोकों से फलों को पैक करने के लिए टोकरियों का निर्माण, इलोमीनाइट से टाइटेनियम ट्रेट्राक्लोराइड के प्रत्यक्ष क्लोरीनीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और 25 किलो० प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता वाले फरफरल के मार्गदर्शी संयंत्र की स्थापना और कुछ चुने हुए पोड़क नाशियों के विकास का कार्य पूरा कर लिया गया है ।

नेशनल डिवेल्पमेन्ट कार्पोरेशन आफ़ इंडिया हर वर्ष 200 ऐसे लाइसेंस प्रदान करता है जिनके अन्तर्गत देश के अन्दर ही विकसित की गई प्रौद्योगिकियों का व्यापारिक पैमाने पर उपयोग किया जाता है ।

छटी योजना म विद्युत उत्पादन

2996. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 7041 मेगावाट नई उत्पादन क्षमता की स्वीकृति देने के लिए अग्रिम कार्यवाही की है ;

(ख) छठी योजना में विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसमें ग्राम विद्युतीकरण निगम की क्या भूमिका होगी ; और

(ग) क्या भाग (क) और (ख) के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यक बैंकों द्वारा योजनाबद्ध रूप से भाग लेने की जांच की हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल इस समय 1978–79 से 1982–83 की अवधि के लिए विद्युत् योजना तैयार कर रहा है । उस अवधि के लिए विद्युत योजना का अनुमोदन हो जाने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के अन्त तक के लिए क्षमता संबंधी आवश्यकताओं को अंतिम रुप दिया जाएगा । तथापि दसवें वार्षिक विद्युत् सर्वेक्षण द्वारा लगाई गई संभावनाओं पर आधारित अनुमानों के आधार पर परियोजनाओं का पता लगा लिया गया है और कई परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जा चुकी है । लगभग कुल 10,300 मेगावाट की चालू स्कीमें, लगभग कुल 6160 मेगावाट की हाल ही में स्वीकृत की गई स्कीमों तथा अभी हाल में अभिज्ञात की गई कुछ नई स्कीमों से यह आशा की जाती है कि आगामी योजना अवधि के दौरान बिजली की मांग की पूर्ति इनसे हो जाएगी ।

यह कार्यकारी दल इस समय आगामी पांच वर्षों के लिए ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम तैयार करने तथा ग्राम विद्युतीकरण निगम की भूमिका का भी उल्लेख करने के कार्य में रत है ।

आगामी पांच वर्ष की अवधि की विद्युत् योजना में, इसके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित साधनों का निर्धारण किया जाएगा और कार्यक्रम के लिए धन संबंधी व्यवस्था करने के लिए साधनों को मोटे तौर पर निर्दिष्ट किया जाएगा । क्या वाणिज्यिक बैंकों का इसमें कोई महत्वपूर्ण योगदान होगा इस बात का अध्ययन भी इसमें किया जाएगा ।

विश्व बैंक से तापीय संयंत्रों के लिए वित्तीय सहायता

2997. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 और 1977–78 के दौरान भारत के तापीय संयंत्रों के लिए विश्व बैंक कितनी मात्रा में और किस प्रकार के आई० डी० ए० वित्त को देने के लिए सहमत हुआ है ; और

(ख) किन-किन राज्यों अथवा संघ क्षेत्रों को इससे लाभ होगा और परियोजनायें किस प्रकार की होंगी, उनका कार्य क्षेत्र कितना होगा और उनके पूरे हो जाने पर किन-किन लक्ष्यों की पूर्ति होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सिंगरोली ताप-विद्युत परियोजना के 3×200 मेगावाट के पहले चरण का वित्तपोषण करने के लिए आई० डी० ए० से 150 मिलियन डालर का ऋण पहली अप्रैल, 1977 को प्राप्त कर लिया गया है ।

(ख) उत्तरी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सिंगरोली सूपर ताप-विद्युत परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत् का उत्पादन करने के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र के रुप में स्थापित की जा रही है । इसका लाभ मुख्यतः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों को और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को मिलेगी ।

गोवा, दमन और दीव में जहाजों के सैलून और डैक कर्मियों के लिये भर्ती केन्द्र स्थापित करने की योजना

2998. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन और दीव सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि उस क्षेत्र में जहाजों के सैलून तथा डैक कर्मियों के लिए 'सीमैन्स' भर्ती केन्द्र स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रदेश की सरकार ने यह प्रस्ताव कब भेजा था और उसको स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव अप्रैल, 1974 में किया गया। नाविकों की मांग और अन्य कसौटियों ने ऐसे केन्द्र की स्थापना को न्यायसंगत नहीं ठहराया।

पाठ्य पुस्तकों तथा सामान्य पुस्तकों के लिए रियायती दर पर कागज

2999. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ इंडियन पब्लिशर्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है कि कागज निर्माता पाठ्य पुस्तकों तथा सामान्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए रियायति दर पर कागज उपलब्ध कराने से सम्बन्धी आदेशों को कियान्वित करें, और

(ख) यदि हां, तो प्रकाशकों की शिकायतें किस प्रकार की है और उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांन्डिस) : (क) और (ख) : भारतीय प्रकाशकों के महासंघ ने सरकार को इस आशय का एक अभ्यावेदन दिया था कि कागज उद्योग से छपाई के सफेद कागज के उत्पादन और रियायती दर पर इस की पूर्ति करने सम्बन्धी सरकारी नीति का अनुपालन करने के लिए कहा जाना चाहिए। महासंघ ने शिकायत की है कि कागज उद्योग ने सरकार से यह मान लेने के लिए पहले को है कि छपाई के सफेद कागज का उत्पादन का दायित्व कम कर दिया जाय। यद्यपि सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है फिर भी कागज उत्पादकोंने छपाई के सफेद कागज के रियायती दर पर वास्तविक संभरण में अब बाधा पैदा करना शुरु कर दिया है। सम्भरण अनियमित और अनिश्चित हो गया है। अत: महासंघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार इस बात का सुनिश्चय करे कि कागज उत्पादक सरकार के रियायती दर पर कागज को सप्लाई करने सम्बन्धी निर्णयों का पालन करते हैं।

जैसाकि कागज (नियंत्रण एवं उत्पादन) आदेश 1974 में कल्पना की गई है, सरकार का छपाई के सफेद कागज का उत्पादन कम करने का कोई विचार नहीं है। मिलों के कार्य निष्पादन पर ध्यान रखा जाता है तथा उत्पादन में गिरावट अथवा सम्भरण में विलम्ब होने के मामलों पर सम्बन्धित मिलों के साथ अलग से विचार किया जाता है।

Places for setting up of industries for the Development of North Bihar

3000. **Shri Mrityunjay Prasad**: Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the names of the places where Government propose to set up industries for the proper development of North Bihar and the names of industries proposed to be set up there and whether talks have been held with the Government of Bihar in this regard; and

(b) if so, the details thereof and the nature of assistance to be given to the Government of Bihar?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) It is proposed to set up Rural Industries Projects in all the districts of North Bihar within a year. The districts of North Bihar which are not yet covered by Rural Industries Projects, but are now proposed to be covered as early as possible are Chapra, Gopalganj, Saharsa Siwan, Vashali, Sitamarhi, Begusarai,

Identification of industries and of places where they would be set up would be done after the State Government complete the techno-economic surveys of these seven districts.

(b) Details are yet to be worked out.

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल विभिन्न विषयों का महत्व

3001. **डा० रामजी सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में शामिल किये गये दर्शन, राजनीति तथा धर्मशास्त्र जैसे प्रमुख विषयों को क्या महत्व दिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा भारतीय पुलिस सेवा और विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के समूह 'क' तथा 'ख' में भर्ती की जाती है, के ऐच्छिक विषयों की सूची में 'दर्शन शास्त्र' तथा 'राजनीति विज्ञान' शामिल है। अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा में 'धर्म' को एक विषय के रुप में शामिल नहीं किया गया है।

एक अन्य अखिल भारतीय सेवा, भारतीय वन सेवा में भर्ती संघलोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली एक अलग वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है। इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित मूल शैक्षिक अर्हता, निम्नलिखित विषयों अर्थात् वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगर्भ-विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र तथा जीव विज्ञान में से कम से कम एक विषय लेकर स्नातक की डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय की कृषि अथवा इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री है। इसे ध्यान में रखते हुए उस परीक्षा की योजना में "दर्शन शास्त्र" "राजनीति विज्ञान" और "धर्म" जैसे विषयों को शामिल किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

Legislation Re-Right of People to Peaceful and Non-Violent Protest

3002. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are still resolved to fulfil the assurances given in the election manifesto about the right of the people to peaceful and non-violent protest;

(b) if so, whether peaceful and non-violent protest includes gherao also;

(c) if so, in what form and if not, whether Government propose to enact any legislation against it; and

(d) whether Government propose to hold talks with the representatives of various political parties, workers and other trade organisations to evolve a code of conduct in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) Yes, Sir.

(b) Gherao is not a term defined under law. Where gherao is accompanied by confinement, restraint, intimidation or other similar action, it would fall within the scope of the panel provisions of law. Without examining what a particular gherao involves, it cannot be said that it is a method of peaceful or non-violent protest.

(c) & (d): So far as Labour is concerned, the Tripartite Committee on Comprehensive Industrial Relations Law and the Composition of Indian Labour Conference had discussed issues relating to unfair practices. The question whether, in the light of the various views contained in the report of the said Tripartite Committee, unfair practices should be listed in a comprehensive legislation to be undertaken on Industrial Relations is under examination of Ministry of Labour. As regards, political parties, Government does not consider any consultation necessary.

हथकरघा कपड़े के लिए विशेष छूट योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति

3003. **श्री के० ए० राजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई हथकरघा कपड़े की 20 प्रतिशत विशेष छूट योजना में से 10 प्रतिशत की छूट सरकार सम्बद्ध राज्यों को देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय छूट के अंश के रूप में उसे मिलने वाली छूट के लिए 175,74,450.73 रुपये दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांन्डिस) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां केन्द्र सरकार को भुगतान की जाने वाली विशेष छूट की सही-सही राशि के आंकड़े 17,57,445.73 रु० है ।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा करने के लिये कुल राशि जारी करने की मंजूरी दे दी गई है ।

सूती कपड़ा मिलों को पोलिएस्टर फिलामेंट धागे का प्रयोग रोकने के बारे में फेडरेशन आफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इन्डस्ट्री की मांग

3005. **श्री के० मालन्ना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री (एफ० आई० ए० एस० डब्लू० आई०) ने मांग की है कि लघु 'आर्ट सिल्क' बुनाई एककों को बड़े क्षेत्र की सूती कपड़ा मिलों के मुकाबले असमान प्रतियोगिता से बचाने के लिए सूती कपड़ा मिलों को पोलिएस्टर फिलामेंट धागा प्रयोग करने से रोका जाये ;

(ख) क्या आर्ट सिल्क क्षेत्र के लगभग 1.25 लाख अधिकृत करघों में से लगभग 40,000 करघे कृत्रिम रेशों के मूल्यों में वृद्धि तथा बड़े व्यापारियों, गृहों की सूती कपड़ा मिलों की ओर से बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण बेकार हो गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार लघु 'आर्ट सिल्क' एककों को बड़े क्षेत्र की मिलों की प्रतियोगिता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांन्डिस) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कृत्रिम रेशे के अधिक मूल्यों तथा सूती मिल क्षेत्र में बड़े एककों से बढ़ती हुई स्पर्धा के कारण संश्लिस्ट रेशे के अनेक करघे बेकार

हीं गए हैं । वास्तविक उपभोक्ता को कृत्रिम रेशे के आयात की अनुमति देशी कमी को पूरा करने के लिए दी गई है तथा ऐसा करने से वास्तव में पिछले एक महीने के दौरान रेशे की कीमतों में गिरावट आई है । चूंकि आयात के लिए अनुबंधित पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न अभी तक नहीं आया है, अतः कमजोर नकली रेशा वाले क्षेत्र के साथ बड़े सूती मिल क्षेत्र की स्पर्धा का प्रश्न अभी तक सामने नहीं आया है । जैसे ही ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावना दिखाई देगी तभी नकली रेशम क्षेत्र के हितों की रक्षा के उपायों पर विचार किया जाएगा ।

Theft of Shah Commission Documents

3006. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some documents of Shah Commission were stolen in the train while they were being taken to Delhi;

(b) whether it is also a fact that some Government officers and political persons have a hand in the theft of these documents; and

(c) whether Government propose to conduct an inquiry into this matter through C.B.I.?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) to (c): Two Cyclostyled sets of instructions of the Shah Commission of Inquiry and Notifications of the Terms of Reference of the Commission and one identity card, alongwith personal belongings of the two Officers of the Commission who were travelling from New Delhi to Cuttak by Kalinga Express Train were stolen on 15-9-1977. None of the documents is important. A case of theft has been registered at Bilaspur Police Station in Madhya Pradesh and is under investigation.

पश्चिमी कोयला क्षेत्र की कोयला-खान के उप-क्षेत्र प्रबन्धक द्वारा धन का दुर्विनियोग

3007. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम कोयला क्षेत्र की अंडर कोयला खान की वर्ष 1974–75 और 1975–76 की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में यह उल्लेख है कि उपक्षेत्र प्रबन्ध ने लाखों रुपए के धन का दुर्विनियोग किया है ; और

(ख) क्या सरकार उक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करेगी और सम्बद्ध अधिकारी के चरित्र के बारे में छानबीन करेगी तथा सरकारी कोयला खानों को वित्तीय हानि से बचाने के लिए कार्यवाही करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग ने उमरेर उपक्षेत्र में स्थानीय खरीद और कम्पनी की गाड़ियों के उपयोग के बारे में कुछ अनियमितताएं पाई हैं । विस्तृत जांच की जा रही है और यदि सम्बद्ध व्यक्ति दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कम्पनी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए अनुरोध

3008. **श्री वसन्त साठे :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकार ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा हाल ही में घोषित किए गए रुपये 255 रुपए प्रति क्विन्टल के समर्थन मूल्य को बढ़ा कर 418 रुपए प्रतिक्विंटल कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है अथवा किये जाने वाला है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्रीमति गांधी से वेतन पाने वाले अधिकारी

3009. **श्री अनन्त दवे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह आशंका है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के आदमी, जिनमें आसूचना अधिकारी, नौकरशाह, लोक प्रचारक और इसी प्रकार के लोग सम्मिलित हैं ; जनता सरकार को विफल करने के लिए श्रीमति गांधी से वेतन पाने वाले केन्द्रीयकृत संगठन के अन्तर्गत पुनः एकत्र हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने इस विषय में प्रेस में एक रिपोर्ट देखी थी । परन्तु सरकार के पास इस पर अन्य सूचना नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश की रोहरु तहसील को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में अभ्यावदन

3010. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार को हिमाचल प्रदेश की रोहरु तहसील विशेषकर दादरा-कवार को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है और इस क्षेत्र का अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने में और विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । किन्तु चूंकि तहसील में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या 62,910 में से केवल 306 है, अतः इसे अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सभा के चुनाव के दौरान तत्कालिन राज्य मंत्री द्वारा भारतीय सीमेन्ट निगम की 'स्टाफ कार' का उपयोग किया जाना

3011. **श्री समर गुह :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तत्कालीन राज्य मंत्री ने लोक सभा के चुनाव के लिये भारतीय सीमेंट निगम, जो कि एक सरकारी उपक्रम है, की 'स्टाफ कार' का उपयोग किया था और कर्मचारियों को अपना चुनाव अभियान चलाने के लिये प्रलोभन दिया था ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : फरवरी और मार्च, 1977 के दौरान उद्योग मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री बी० पी० मौर्य के कार्यालय ने सीमेंट निगम से एक कार की मांग भेजी थी। निगम ने अपनी कारों में से एक कार इस कड़ी हिदायत के साथ भेजी थी कि कार का प्रयोग केवल दिल्ली के लिए ही किया जाए और इसका प्रयोग चुनाव कार्यों के लिए न किया जाये। लाग-बुक के अनुसार कार का प्रयोग दिल्ली में ही किया गया था। भूतपूर्व राज्य मंत्री द्वारा कार का प्रयोग फरवरी, 1977 में पूरे 17 दिन तथा आंशिक रूप में 6 दिन और मार्च, 1977 में पूरे 2 दिन तथा आंशिक रूप में 16 दिनों तक किया गया था। कार फरवरी, 1977 में 2266 किलोमीटर और मार्च, 1977 में 1786 किलोमीटर चली थी। निगम के नियमों के मुताबिक निगम ने कुल दूरी के लिए भुगतान करने हेतु 5,143.55 रुपए की राशि का एक बिल प्रस्तुत किया था तथा भूतपूर्व राज्य मंत्री ने 16 अप्रैल, 1977 को इस बिल का कुल नगद भुगतान कर दिया था। चुनाव अभियान में कार्य करने के लिए किसी भी कर्मचारी या निगम पर कोई दबाव नहीं डाला गया था।

Union by Employees of Landing Craft Tanker

3012. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the employees of Landing Craft Tanker Kahalgoan, Farakka etc. have formed an Inland Water Transport Workers Union;

(b) whether the Union is registered and have applied for recognition; and

(c) if so, the action Government propose to take in this regard?

The Minister of State in Charge of the Ministry of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) As far as known to the Government, there is no Union named Inland Water Transport Workers Union at Colgong (Kahalgoan) or Karagola.

(b) & (c): Does not arise.

कपड़ा मिलों की रुई की मांग राज्य सहायता प्राप्त मूल्यों पर पूरी करने से सरकार की हानि

3013. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कपड़ा मिलों की रुई सम्बन्धी मांग राज-सहायता प्राप्त मूल्यों पर पूरी करने के कारण सरकार को भारी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसकी वजह से सरकार ने रुई का आयात स्थगित करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) : भारतीय कपास निगम को 1976-77 में देशी किस्मों के विद्यमान मूल्यों के अनुरूप मूल्यों पर आयातित कपास की बिक्री करने का इस शर्त पर निर्देश दिया गया था कि ऐसी बिक्री पर तंटागत लागत की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक की हानि नहीं होनी चाहिए। निगम को हुई ठीक ठीक हानि अथवा सरकार द्वारा दी जाने वाली राज्य सहायता की सही राशि का पता आयातित कपास की बिक्री जो अभी चल रही है, पूरी हो जाने के बाद ही ज्ञात हो सकेगी।

(ग) और (घ) : भारतीय कपास निगम ने केवल 11.61 लाख गांठों का आयात करने के लिए ही ठेका लिया था। सरकार ने इससे अधिक के आयात की अनुमति अभी तक नहीं दी है।

भारतीय पटसन निगम का रुग्ण मिलों के संचालन में सक्षम होना

3014. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने यह विचार व्यक्त किया है कि वह रुग्ण मिलों का संचालन करने में सक्षम हैं;

(ख) यदि हां, तो उन जूट मिलों का प्रबन्ध भारतीय पटसन निगम को न सोंपने के क्या कारण हैं, जो रुग्ण हो गई हैं ; और

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम ने बांगलादेश और थाइलैण्ड से अपरिष्कृत जूट का आयात करने की मंजूरी मांगी है और इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) कानून के उपबंधों के अनुसार घोषित संकटग्रस्त मिलों की सूची में कोई जूट मिल नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय जूट निगम को उपभोक्ता मिलों की निश्चित मांगों के आधार पर उपलब्ध स्रोतों से कच्चे जूट का आयात करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

अमरीका से रुई का आयात

3015. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी रुई निर्यातकों तथा भारत के कपड़ा क्रेताओं के बीच आयातित रूई की किस्म के बारे में विवाद पैदा हो गया है ;

(ख) क्या भारतीय रुई निगम इस बारे में उनके बीच समझौता कराने में असफल रहा है ;

(ग) भारतीय रुई निगम ने कितनी मात्रा में ऐसी रुई खरीदी जो घटिया किस्म की पायी गयी तथा अभी कितनी ऐसी रुई आयात की जानी है जिसके बारे में ठेका किया गया है ; और

(घ) भारतीय रुई निगम ने इस समस्या को हल करने के लिए क्या योजना बनाई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय रूई निगम द्वारा अमरीकी रूई की ठेका की गई 3.7 लाख गाठों में से केवल 58,285 गाठों के बारे में घटिया किस्म की रूई होने के बारे में विवाद है। ठेका की गई रूई की समग्र मात्रा का लदान पहले ही किया जा चुका है जिसमें से 24,715 गाठों के बारे में अनापति प्राप्त की जानी है। भारतीय रूई निगम ने समस्या का समाधान निकालने के लिए निम्नलिखित अभ्युपाय किया है :-

(1) जहाज से माल भेजने वालों और मिल के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित कि जिसके फलस्वरूप 9,972 गांठों के छः मामलों को शान्तिपूर्वक निपटा लिया गया।

(2) गुणवत्ता भत्ते के 58 मामले पहले से ही ईस्ट इण्डिया काटन एशोसियेशन के ठेके की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ निर्णय में पड़े है।

(3) सम्बन्धित जहाज से माल भेजने वाले अमरीकी व्यापारियों तथा संयुक्त राज्य के कृषि विभाग के प्रतिनिधियों और अन्तर्राष्ट्रीय रुई परिषद तथा रुई निर्यात करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक निगम द्वारा 8 और 11 अक्तुबर, 1977 को इस उद्देश्य से आयोजित की गई थी ताकि संयुक्त राज्य का कृषि विभाग मामले में हस्तक्षेप करके जहाज से माल भेजने वाले व्यापारियों पर समुचित हल निकालने की आवश्यकता के सम्बन्ध में जोर डाल सके।

(4) संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के प्रतिनिधियों ने भारतीय रूई निगम के साथ 14-11-77 को एक बैठक ली थी। तब यह निश्चय किया गया था कि गुणवता भत्ते की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक स्वतन्त्र मध्यस्थ अभिकरण द्वारा सर्वेक्षण किया जाना चहिए ताकि आगे कार्यवाही की जा सके। तदनुसार ईस्ट इण्डिया काटन एसोसियेशन के पास गुणवता के बारे में मध्यस्थ निर्णय के लिए कार्यवाही की जा रही है जिसमें जहाज से माल भेजने वालों और भारतीय मिलों दोनों के ही प्रतिनिधि मौजूद है।

"हायर प्राइस फार काटन सोट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3016. **श्री वसंत साठे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 नबम्बर, 1977 के 'नेशनल हेराल्ड' के हायर प्राइस फार काटन सौट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मांगों के विभिन्न मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (ग) 9 नवम्बर, 1977 के नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित "हायर प्राईस फार काटन सोट" नामक समाचार में वाणिज्य मंत्री को श्री देवराव पाटिल, संसद सदस्य द्वारा सम्बोधित पत्र में दिये गये कुछ सुझावों का उल्लेख किया गया है। अन्य बातों के साथ साथ सुझावों का सम्बन्ध एच. 4 किस्म की रुई के 500/- रुपये प्रतिक्विन्टल के समर्थन मूल्य के नियत, समर्थन मूल्य के स्तर को बढ़ाया जाने, भारतीय रूई निगम की भूमिका और संचालन के विस्तार तथा व्यापार द्वारा रुई के स्टाक को रोक रखने पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाये जाने से है।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है और बाजार के मूल्यों से उनका कोई सम्बन्ध नही है। समर्थन मूल्यों की अपेक्षा बाजार के मूल्य कहीं अधिक होते हैं। मांग और सप्लाई से बाजार के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है, किंतु समर्थन मूल्य उत्पादकों को दिये गये उचित पारिश्रमिक तथा उत्पादन की लागत के आधार पर निश्चित किये जाते है ताकि कपास की खती करने वालों के हितों को बनाये रखा जा सके। भारतीय रुई निगम के संचालन का विस्तार करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है किंतु रुई निगम सभी राज्य सरकारों के खरीद व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। व्यापारियों द्वारा रूई के स्टाक को रोक रखने पर लगाये गये प्रतिबंध से सम्बन्धित प्रश्न पर भी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

Helicopter with Military Personnel Abroad Missing

3017. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the news item which appeared in the "Nav Bharat Times" dated 20th August, 1977 according to which a helicopter with four military personnel abroad is missing since 14th August, 1977;

(b) whether any enquiry has been made into this accident; and

(c) if so, the result thereof?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes, Sir. An Alouette helicopter launched from INS SHAKTI and carrying four service personnel was lost in the sea on 14th August, 1977.

(b) and (c): A Board of Enquiry was convened and its findings have established that the helicopter launched from INS SHAKTI at 1300 hrs on 14th August, 1977, could not, on its return leg, locate the ship; and when it ran out of fuel, it ditched in the sea at about 1530 hrs.

Price of Tractors etc.

3018. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the considerable rise in prices of tractors, cultivator harrow, trolley "Manja" etc. during the last five years; and

(b) if so, the steps taken by Government to reduce the prices thereof and the extent to which prices thereof have been reduced?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Yes, Sir. There has been a general increase in the prices of all commodities including agricultural tractors and its implements, due to increase in the cost of raw materials, components and over-head charges and also on account of inflationary conditions prevailing in the country during the last few years.

(b) Government is keeping a price surveillance on three models of tractors which are considered as price leaders in their respective horse power ranges, to contain the prices of tractors at reasonable levels. Prices have now almost stabilised.

Supply of Power for Irrigation

3019. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Government propose to supply increased quantity of electricity of irrigation purpose in the rural areas; and

(b) if so, the details in this regard?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) & (b): It is the policy of this Government to ensure high priority in matters of supply of electricity for irrigation purposes in rural areas. In the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in May/June 1974 for power supply to the various sectors in the case of power shortage, agricultural pumping is included in Group I of essential consumers. A copy of the guidelines issued by the Government is given in Annexure.

STATEMENT

CHECK LIST OF CONSUMERS IN ORDER OF PRIORITY

A. *Essential Consumers.*

Group I

1. Hospitals.
2. Water-works and drainage.
3. Communication facilities (Post & Telegraphs, All India Radio, Police Wireless units etc.).
4. Urban transportation.
5. Railways.
6. Civil Aerodromes, ports & harbours.
7. Defence purposes and Defence production.
8. Dairies.
9. Research establishments oriented to defence and development.
10. Fertilizer.
11. Agriculture pumping especially in drought areas.
12. Food processing and preserving industries.
13. Newspaper and other essential printing presses.
14. Civil defence.
15. Meteorological observatories.
16. Transport workshops.
17. Pharmaceutical & drug manufacturing industries.
18. Industries depending on agriculture produce of seasonal nature (e.g. sugarcance crushing).
19. Export oriented industries Limited to production for export.

Group II Inputs to power and Energy Sector

1. Coal mining and coal washeries.
2. Oil refining.
3. Iron and Steel industry, excluding mini steel plants
4. Cement Industry
5. Explosives.
6. Industrial gases.
7. Aluminium industry.
8. Power supply for construction of power projects.

B. *Continuous Process Industries*

1. Metallurgical industries (like ferro-manganese, ferro-chrome, ferro silicon, copper, zincs, etc.).
2. Synthetic fibres.
3. Paper.
4. Glass.
5. Heavy chemicals.

C. *Other Consumers*

1. Domestic lighting and heating.
2. Commercial establishments like shops, offices restaurants, hotels, etc.
3. Entertainment centres (cinemas, music-halls etc.).
4. Lighting of streets.
5. Industries other than those listed under A & B above, including small scale industries.

D *Non-essential consumers*

1. Commercial advertising i.e. decorative and display illumination.
2. Decorative illumination for marriages and other functions, in parks and public places.
3. Conspicuous consumption as for residential air-conditioners etc.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारी

3020. श्री के० राममूर्ति : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में दैनिक मजूरी पर कितने कर्मचारियों काम कर रहे हैं ;

(ख) वे उस संगठन में कब से काम कर रहे हैं ; और

(ग) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों तथा दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उन्हें स्थायी करने संबंधी कोई नियम है ?

8—370 LSS(ND)77

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और माननीय सदस्य महोदय को जल्दी ही प्रेषित कर दी जायेगी ।

(ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के कर्मचारियों (नियमित कर्मचारियों) पर भारत सरकार द्वारा समय समय पर अपने कर्मचारियों की कनफरमेशन के संबंध में प्रसारित आदेश और नियम लागू होते हैं ।

दैनिक रोज़गार पर कार्यरत मजदूर कर्मचारियों के लिये कनफरमेशन का कोई नियम सी० एस० आई० आर० में नहीं है ।

कलकत्ता पत्तन न्यास के उप मुख्य यांत्रिकी इंजीनियर द्वारा 18 लाख रुपये के दावे का स्वीकार किया जाना

3021. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया स्थित कलकत्ता पत्तन न्यास के उप मुख्य यान्त्रिकी इंजीनियर ने न्यासी बोर्ड अथवा किसी उच्च अधिकारी की अनुमति अथवा मंजूरी प्राप्त किए बिना ही पत्र जारी करके 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर के आधार पर स्वेच्छा से एकपक्षीय मूल्य-वृद्धि स्वीकार करके एक बिजली के उप-ठेकेदार की 18 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का दावा करने की अनुमति दी थी और उस दावे को स्वीकार कर लिया था;

(ख) ऐसे रोजगारों के लिए क्या नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है; और

(ग) अगर नियमों का उल्लंघन और कदाचार किया गया है, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नही ।

(ख) ठेकेदारों द्वारा दिए गए वृद्धि के दावे संविदा की शर्तों के अधीन जांच करने पर यदि स्वीकार्य पाए जाते हैं तो निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष रखे जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा साबुनों का उत्पादन

3022. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जैसे बड़ी कम्पनियां मुनाफाखोरी के उद्देश्य से समय-समय पर टी० एफ० एम० की विभिन्न मात्रा का प्रयोग करते हुए लोकप्रिय साबुन बना रही हैं ;

(ख) क्या ऐसी गड़बड़ी इसलिये संभव है कि नहाने का साबुन बनाने वाली कम्पनियों को आई० एस० आई० के चिन्ह के साथ एक स्टेंडर्ड के अनुसरण की जरूरत नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की गड़बड़ के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (ग) : यह सच है कि विभिन्न ब्रांडों के साबुन में कुल चर्बी (टी एफ एम) की मात्रा समान नहीं है। भारतीय मानक संस्थान के मानकों में कुल चर्बी का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया गया है। किन्तु चूंकी भारतीय मानक संस्थान की प्रमाणीकरण योजना ऐच्छिक है, अत: इन विशिष्टियों के अनुरूप उत्पादन न करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

भारतीय वैगन उद्योग

3023. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैगन उद्योग ने अन्य देशों में अनेक ठेकों को खो दिया है ;

(ख) क्या इस उद्योग ने विदेशी मंडियों में अपने सभी उत्पादों के लिए आस्थगित भुगतान पर वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (ग) : भारत से वैगनों का निर्यात प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया (पी० ई० सी०) के जरिए किया जाता है, जो भारतीय राज्य व्यापार निगम की एक सहायक कम्पनी है। पी० ई० सी० विदेशों में वैगनों के लिए कुछ ठेके प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि कुछ विकासशील देशों की उदार ऋण शर्तें काफी अधिक आकर्षक थी। जिन मामलों में विदेशी रेलवे को ऋण देना होता है, उन मामलों में पी० ई० सी० वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क करता है। भारतीय वित्तीय संस्थाएं आमतौर पर 8 से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए और विशेष मामलों में 12 वर्षों तक स्पष्ट ऋण देती हैं। भारतीय वित्तीय संस्थाएं क्रयादेश पूरा करने में खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा के लिए आमतौर पर ऋण नहीं देती हैं, और न वे भीड़ा-व्यय के लिए ऋण देती हैं। भारतीय वित्तीय संस्थाएं विदेशी रेलवे द्वारा दी जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय बैंक गारंटी के लिए भी आग्रह करती हैं।

श्रीमती सोनिया गांधी की राष्ट्रीयता और उनका भारत में ठहरना

3024. **श्री कंवर लाल गुप्ता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि श्री राजीव गांधी की पत्नी श्रीमति सोनिया गांधी ने अपने आप को इटली का नागरिक घोषित किया है ;

(ख) कोई विदेशी भारत में कितने समय तक रह सकता है;

(ग) क्या श्रीमति सोनिया गांधी ने भारत में ठहरने की अनुमति मांगी थी;

(घ) यदि हां, तो कितने समय तक के लिये और सरकार का क्या उत्तर था; और

(ङ.) सरकार ने उनके विरूद्ध भारत में अधिक अवधि तक ठहरने के लिए क्या कार्यवाई की ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) : जी हां, श्रीमान।

(ख) : सामान्यत: विदेशियों को भारत में तब तक रहने की अनुमति दी जाती है जब तक उनको सतत उपस्थिति की आवश्यकता प्रमाणित होती है, समय वृद्धि एक एक वर्ष के आधार पर स्वीकार की जाती है।

(ग) से (ङ) : श्रीमति सोनिया गांधी को आरम्भ में 13 अप्रैल, 1969 तक भारत में ठहरने के लिए अनुमति दी गयी थी। बाद में उनके ठहरने की अवधि स्थानीय प्राधिकारीयों ने 13 अप्रैल, 1971 तक बढा दी थी। उसके बाद व्यावधीन था जबकि उनके ठहरने की अवधि अगस्त, 1977 में नियमित की गयी थी और उन्हें 13 अप्रैल, 1978 तक भारत में हरने की अनुमति दी गयी है।

Surrender by Dacoits and their Rehabilitation

3025. **Shri Keshavrao Dhondge:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of dacoits of Chambal Valley and other places who had surrendered before Acharya Vinoba Bhave and Shri Jayaprakash Narayan; and

(b) whether Central Government propose to take up the scheme of rehabilitating them and if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) 19 dacoits surrendered before Acharya Vinoba Bhave and 488 dacoits of Chambal and Bundelkhand regions surrendered before Shri Jayaprakash Narayan.

(b) Central Government have no proposal to take up any scheme of rehabilitating the surrendered dacoits. However, the concerned State Governments have undertaken measures such as distribution of food grains, cash grants, allotment of land, financial assistance to allottees of land, scholarships for their children, and employment for their dependents.

Memorandum about Management of Guru Gobind Singh Sahib Gurudwara

3026. **Shri Keshavrao Dhondge:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any memorandum has been submitted in regard to the management of the Guru Gobind Singh Sahib Gurudwara, Nanded, Maharashtra, by the representatives of the Sikh Samaj to the Central Government; and

(b) if so, the demand made by them and the action taken by the Central Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil): (a) Yes, Sir.

(b) The demands relate to reconstitution of the Gurudwara Board and service matters of its employees. The memorandum has been forwarded to the Government of Maharashtra, who exercise jurisdiction in this matter.

Calling Back Scientists

3027. **Shri Keshavrao Dhondge:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have made efforts to call back the World renowned great scientists, Dr. Khurana and Dr. Jayant Narlikar to the country; and

(b) if so, whether they have agreed?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) & (b): Information is being ascertained from Scientific agencies and the Hon'ble Member will be informed of the position in due course.

Refund of Security of Rs. 6 crores to Coca Cola Bottling Companies by Coca Cola

3028. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the action being taken by Government for ensuring that the security deposit of Rs. 6 crores deposited by the retailers for empty coca cola bottles is refunded to them; and

(b) whether the same company has introduced other cold drinks and is now asking for fresh security deposits for empty bottles?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Proposals made by the Coca Cola Export Corporation for the re-purchase of empty Coca Cola and Fanta bottles for export is under consideration of the Government.

(b) The Coca Cola Export Corporation has not been given approval for the manufacture of any new beverages. However, some of the Indian bottling companies have recently introduced new beverages in the market. The question of payment of security deposit for bottles is a commercial transaction to be settled by mutual agreement between the bottling companies and the retailers.

Present Position of Aryabhatt in Orbit

3029. **Shri Keshavrao Dhondge:**
Shri Vayalar Ravi:

Will the Minister of **Space** be pleased to state:

(a) the present position of Aryabhatt in the orbit;

(b) the details of the new Scheme formulated for launching a new Satellite in the space;

(c) the expenditure to be incurred thereon; and

(d) the advantages accrued to the country in the scientific and other fields with the launching of Aryabhatt and the expenditure incurred by the country thereon?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) Aryabhata, which has completed approximately 14,000 rounds of the earth, is presently spinning at the rate of 24 revolutions per minute.

(b) The second satellite called Satellite for Earth Observations (SEO) will carry application technology payloads which will be of relevance to the development of the country. The main purpose of this satellite will be photography and remote sensing of gross features of the Indian land mass, monitoring of metorological data and generally to collect information related to water resources, forestry, regional geology, hydrology, snow cover, large scale vegetation mapping etc.

(c) The total estimated expenditure on the second satellite is of the order of Rs. 650 lakhs.

(d) The successful launching of Aryabhata has established the basic infra-structure and indigenous capability in satellite technology with which it is now possible to design and fabricate application technology satellites.

The expenditure incurred on the Space Segment of Aryabhata is Rs. 367 lakhs.

Applications for new Industrial Licences

3030. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether during the tenure of Janata Party Government applications have been received for new industrial licences and if so, the number thereof and the number of applications out of them disposed of;

(b) whether during the tenure of previous Congress Government licences were also granted to the persons whose applications were not in order and if so, the number thereof and the action taken by the present Government in this regard; and

(c) the ratio between the new pending and disposed of applications during the current year of the tenure of Janta Government?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) During the period from 1-4-77 to 30-11-77, a total number of 307 applications for setting up new undertakings have been received of which 112 have already been disposed of.

(b) No such case has come to notice.

(c) 59% of the licensing applications for the establishment of new undertakings, due for disposal on 1-12-77, have already been disposed of. The remaining applications are at various stages of consideration and every effort is being made to clear the pending applications as expeditiously as possible.

Disparity in Production Cost and Sale Price of Industrial Production vis-a-vis Agricultural Production

3031. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether there is a great disparity in the production cost and sale price of industrial products vis-a-vis agricultural products;

(b) whether it is also a fact that industrialists earn more than 50 per cent profit on their industrial production; and

(c) the measures being taken to control it?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) It is not possible to make any direct comparison between cost of production and sale price of industrial products and those of agricultural products. However, in so far as relative prices in recent years are concerned, the terms of trade moved in favour of agricultural products during 1973-74 and 1974-75 consequent on the sharp rise in their prices in these two years. Subsequently, there was a reversal of this trend and the terms of trade moved in favour of manufacturers during 1975-76 and 1976-77. In the first seven months of 1977-78, however, there has been some improvement in the terms of trade, in favour of agriculture.

(b) & (c): In those areas where prices are controlled or where Government determines prices of the products only a reasonable return on capital employed in the enterprise is permitted. In other cases, profitability varies from one unit to another and also from year to year. In general, however, according to the analysis of Balance Sheets conducted by the R.B.I. rates of profitability on sales has varied from —% to —% in respect of different industries, over the last decade.

विश्व बैंक की सहायता से रेशम उत्पादन में सुधार लाने हेतु एक वृहत् परियोजना आरम्भ करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा स्वीकृति लेना

3032. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से रेशम उत्पादन में सुधार लाने हेतु एक एक वृहत् परियोजना आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार की मंजूरी मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को बारे में ब्यौरा क्या है तथा क्या विश्व बैंक ने इस परियोजना को सिद्धांत: स्वीकार कर लिया है और रेशम धागे के उत्पादन की प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने के बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना के बारे में ब्यौरा इस प्रकार है :---

आबंटन (रुपए लाख में)

	अनुदान	ऋण	कुल
1. सरकारी सिल्क-फार्मों की स्थापना . .	192.60	कुछ नहीं	192.60
2. अनाज इकट्ठा करने के भण्डारों की स्थापना .	2281.70	कुछ नहीं	2281.70
3. विस्तार और प्रशिक्षण . . .	2925.90	कुछ नहीं	2925.90
4. आधुनिक कोये के बाजारों की स्थापना .	457.70	कुछ नहीं	457.70
5. रीलों में सुधार तथा रील-शेड़ों की स्थापना .	कुछ नहीं	3523.80	3523.80
6. सिल्क विपणन बोर्डों की स्थापना . .	140.00	1281.00	1421.00
योग .	5997.90	4804.80	10802.70

विश्व बैंक से सहायता के लिए सिफारिश करने से पूर्व सरकार कर्नाटक सरकार को परियोजना पर विचार कर रही है ।

स्लाटर माइनिंग प्रणाली का प्रयोग

3033. **श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार वेतन वृद्धि को निष्फल करने के लिए राष्ट्रीयकृत कोयला क्षेत्र को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की राशि की राज सहायता देती है ; और

(ख) क्या स्लाटर माईनिंग बड़े पैमाने पर जारी नहीं हैं और ऐसी स्लाटर माइनिंग प्रणाली विशेषकर उत्पादन एवं सुरक्षा पखवाड़े मनाने के समय अपनायी गयी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचंद्रन) : (क) केन्द्र सरकार, राष्ट्रीयकृत कोयला क्षेत्र को आर्थिक सहायता नहीं दे रही है। किंतु, कोल इंडिया लि० को ऋण के रूप में यथा अपेक्षित गैर-योजनागत सहायता दी जाती है जो ब्याज सहित वापस ली जाती है।

(ख) जी नहीं ।

Sinking of Fuel Oil Tank under Construction in Badarpur Thermal Power Project

†3034. **Shri R.L.P. Verma:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the foundation of the fuel oil tank of the fourth unit under construction in Badarpur Thermal Power Project sank on 5th October, 1977 when it was tested by filling the water resulting in loss worth Rs. 2 lakhs; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) & (b) : Cracks in the brick-masonry foundation walls were observed when one of the fuel oil tanks was subjected to hydraulic tests. These cracks have been rectified by the Project authorities at a cost of about Rs. 3,000.

कोयले की खपत के बारे में ईंधन नीति समिति की सिफारिश

3035. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन नीति समिति ने वर्ष 1972 में सिफारिश की थी कि कोयला भारत में उर्जा का मूल स्रोत होना चाहिए, परन्तु इसके बावजूद भी खपत का स्तर गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा है;

(ख) क्या इससे गत पांच वर्षों में अर्थ व्यवस्था में गतिरोध झलकता है; और

(ग) क्या वर्तमान सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचंद्रन) : (क) ईंधन नीति समिति ने यह अनुशंसा की है कि अगले कुछ दशकों के लिए देश में कोयले को ऊर्जा का प्रारंभिक साधन माना जाए और देश की ऊर्जा नीति इस मूल आधार को मानकर बनाई जाए ।

जैसा कि नीचे दिया गया है, 1973-74 से कोयले का उपभोग बढ़ गया है :–

		प्रतिशत वृद्धि
1973–74	77.74 मिलियन टन	
1974–75	86.15 मिलियन टन	10.8
1975–76	92.86 मिलियन टन	7.8
1976–77	99.60 मिलियन टन	7.2

वृद्धि दर स्पष्ट हो 7% से अधिक है ।

(ख) व (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कर्मचारियों को नियमित करना

3037. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में तदर्थ रूप में असिस्टेंट कमांडेंट्स इंस्पेक्टर, एच० एस० क्यू० के पदों पर एक वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे अधिकारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उक्त नियुक्तियों को नियमित करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क)

सहायक कमाण्डर	—	101
निरीक्षक	—	141

प्रधान सुरक्षा गार्ड--प्रधान सुरक्षा गार्डों के बारे में अद्यतन आँकड़े मुख्यालय में उपलब्ध नहीं है । आंकड़े फील्ड यूनिटों /क्षेत्रीय मुख्यालयों से प्राप्त किए जा रहे हैं । प्राप्त होने पर वे प्रस्तुत कर दिये जायेंगे । सुरक्षा गार्ड — शून्य

(ख) इन नियुक्तियों को नियमित करने के लिए कार्यवाई की जा रही है ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी तथा जवान

3038. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उन अधिकारियों तथा जवानों के क्या नाम हैं जो दिल्ली में पांच वर्ष से अधिक अवधि तक सेवारत रह चुके हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार बारी-बारी से उनके तबादले करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकारी नीति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क)

अधिकारी	—	10
जवान	—	77

(ख) और (ग) : जी हां, 4 अधिकारियों तथा 26 जवानों को छोड़कर जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बिना वर्दी के पदों के है ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत बम्बई कपड़ा अनुसंधान संगठन द्वारा निधियों का दुरुपयोग

3039. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियन्त्रणाधीन बम्बई कपड़ा अनुसंधान संगठन, जिसे केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिल रहा है, द्वारा सार्वजनिक धन राशियों के दुरुपयोग और उसमें व्याप्त कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इस संस्थान द्वारा किसी प्रकार की अनुसंधान गतिविधियों अथवा वैज्ञानिक जानकारी और प्रौद्योगिकी की कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ;

(ग) क्या वैज्ञानिक और अन्य प्रवर कर्मचारी उपरोक्त एकंक के कार्यकरण तथा प्रशासन में असन्तुष्ठ हैं ;]

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त संस्थान के प्रशासकीय खर्चों तथा गतिविधियों की जांच की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका पुनर्गठन करने तथा कमियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। बम्बई कपड़ा अनुसंधान संगठन को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) द्वारा अनुदान-सहायता के लिये मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन यह सी०एस०आई०आर० के नियंत्रणाधीन नहीं है।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) : मामले पर गौर किया जा रहा है और माननीय सदस्य महोदय को थोड़े समय बाद स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा।

केन्द्रीय सहायतार्थ राज्यों द्वारा हथकरघा के लिए तदनुरूप योगदान

3040. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**
श्री गोविन्द राम भिरी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार हथकरघा विकास योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता देते समय अधिकतया राज्य सरकारों की ओर से तदनुरूप योगदान पर जोर देती है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है कि तदनरूप योगदान पर जोर न दिया जाए, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिन चार सहकारी योजनाओं में से तीन योजनाओं में राज्य सरकार से बराबर की राशि मिली है उनके नाम ये हैं :—

(1) निष्क्रिय प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को पुनरुज्जीवित करने तथा नई समितियों बनाने के लिये शेयर पूंजी की सहयता।

(2) हथकरघा बुनकरों की शीर्षस्थ सहकारी समितियों के लिये शेयर पूंजी की सहायता ;

(3) राज्य हथकरघा विकास निगमों के लिये शेयर पूंजी की सहायता।

(ख) जी, हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

सेन्ट्रल साइन्टिफिक इंस्ट्रूमैन्ट आरगनाईजेशन द्वारा आरम्भ की गई परियोजनायें

3041. **श्री भगत राम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमैंट आरगेनाइजेशन द्वारा कितनी नई परियोजनाएं (बड़ी और छोटी) आरम्भ की गई थी और उनमें से कितनी पूरी हुई थी और कितने समय में और उद्योग द्वारा उनमें से कितनी परियोजनाएं आरम्भ की गई थी और परियोजना के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई और उस पर कितनी राशि खर्च हुई ; और

(ख) प्रशासन द्वारा कितनी सेवा और रख रखाव केन्द्र चलाएं जा रहे हैं गततीन वर्षों में इन केन्द्रों से प्राप्त तथा इन पर खर्च राशि का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी०एस०आई० आर०) चण्डी गढ़ ने सूचित किया है कि वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान संगठन ने 70 परियोजनाएं अपने अधीन ली थी। जिनमें से 32 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है और 38 पर कार्य जारी है। प्रक्रियाएं एक से तीन वर्ष की अवधि के अंतर्गत पूरी की गई थी।

उद्योगों को दी गई प्रक्रियाएं और उनसे अर्जित की गई धन राशि की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और माननीय सदस्य महोदय को थोड़े समय में ही भेज दी जायेगी।

परियोजनावार खर्चे का विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि परियोजना वार लेखे नहीं रखे जाते।

(ख) सी० एस० आई० आर० द्वारा आठ सेवा और रखरखाव केन्द्र चलाये जा रहे है। इस समय सूचना उपलब्ध न होने के कारण आदरणीय सदस्य महोदय को केन्द्रों की आय और खर्च के विवरण शीघ्र ही सूचित कर दिये जायेंगे।

अमृतसर दूरदर्शन केन्द्र का स्थानान्तरण

3042. **श्री भगत राम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमृतसर दूरदर्शन केन्द्र (इस समय नई दिल्ली में स्थित) को अमृतसर स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इसे जलन्धर स्थानान्तरित न करने के क्या कारण है जहां दूरदर्शन के लिए भवन लगभग तैयार हो चुका है ताकि अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके तथा जलन्धर में बने भवन पर हुए भारी खर्च का उपयोग किया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं। जलन्धर केन्द्र के तैयार हो जाने पर इसको जलन्धर में स्थानान्तरित करने का इरादा है। अमृतसर का वर्तमान दूरदर्शन ढांचा तब जलन्धर का रिले केन्द्र होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जलन्धर के स्टूडिओ अभी तक स्थापित नहीं हुए है। जलन्धर केन्द्र के 1978-79 में चालू हो जाने की उम्मीद है। अमृतसर केन्द्र की गतिविधियां तब दिल्ली से जलन्धर में स्थानान्तरित हो जायेंगी।

Pension to Freedom Fighters

3043. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the State-wise number of distressed families of freedom fighters of the first freedom struggle of India whom the Central Government have been giving pension since 1957; and

(b) whether Tatya family in Uttar Pradesh has also been getting Government pension since 1957?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) 15 descendents of those who had taken part in the 1857 struggle from Uttar Pradesh, two from Madhya Pradesh and one from Delhi have been granted pension.

(b) Yes, Sir. Three descendents of Tatya Tope in Uttar Pradesh have been sanctioned pension since 1959.

केरल के अधिकतम शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों वाले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

3044. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन क्षत्रों में जहां शिक्षित बेरोगार व्यक्तियों की संख्या अधिकतम है, सार्वजनीक क्षेत्र के अधीन उद्योगों की स्थापना करने का है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पास केरल में सार्वजनिक क्षेक के अधीन नए उद्योग स्थापित करने की कोई योजनायें है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) सरकार के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करना है जिससे शिक्षित बेरोजगारों को भी लाभ पहुंचेगा। सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने से इस प्रकार के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

(ख) 1978-83 के लिए रोलिंग योजना तैयार की जा रही है। जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल सहित विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेश में नये उद्योग स्थापित करने के प्रावधान शामिल किये जायेंगे।

केरल के पश्चिमी घाट के साथ साथ पहाडी राजमार्ग

3045. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार केरल में पश्चिमी घाट के साथ साथ, एक पहाड़ी-राजमार्ग बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार इस हेतु राज्य को क्या सहायता देने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं। यह सड़क बनने पर राज्य सड़क होगी और अत: राज्य सरकार के क्रिया कलापों के अन्तर्गत आती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गांवों के विकास पर प्रति गांव व्यय

3046. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं में योजना-वार तथा राज्य-वार, गांवों के विकास पर प्रति गांव कितना व्यय हुआ ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सभी योजना परिव्ययों को इस प्रकार वर्गीकृत करना सम्भव नहीं है कि उनसे विशेष रूप से ग्रामिण क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हो रहा है या शहरी क्षेत्रों को। इस लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि पिछले योजना व्यय का कितना भाग गांवों को प्राप्त हुआ है। खेद है है कि गांवों पर प्रति व्यक्ति विकास परिव्यय का राज्य-वार अथवा अखिल भारतीय आधार पर सार्थक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

Dramas and Feature Plays Broadcast over A.I.R. during Emergency

3047. **Shri Surendra Bikram:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of dramas and feature plays broadcast over the All India Radio during emergency which can really be termed as master pieces;

(b) the names of persons who did commendable work in the A.I.R. during emergency;

(c) the incentive these people were given by Government for this work; and

(d) whether there has been any practice in the Ministry of providing incentives to the people doing such good work?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) During the period of Emergency, that is, from June 1975 to March 1977, A.I.R. broadcast about 8,000 plays and an equal number of features in the various languages in which programmes were put out over the AIR network. These programmes ranged in duration from 5 minutes to 60 minutes.

Out of these, 9 plays and 7 features were given Akashvani Annual Awards. Two programmes were awarded International Prizes by the Asia-Pacific Broadcasting Union. The Awards were given on the basis of excellence of script and production.

No programmes were categorised as master pieces.

(b) A statement containing names of the persons who won the Akashvani Award in 1975 and 1976 and also the Asia-Pacific Broadcasting Union Prizes during the same period is attached. **[Placed in Library. See No. L.T.-1295/77].**

(c) The only incentive that is given to these people is the Akashvani Awards as mentioned in the statement attached to (b) above.

(d) Yes, Sir. The Akashvani Awards are an annual feature.

Electrification of Adivasis Areas of Madhya Pradesh

†3048. **Shri Shyamlal Dhurve:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme regarding electrification of backward adivasi areas;

(b) if so, the steps taken by Government to electrify the rural areas of Mandla (M.P.); and

(c) if so, the time by which these areas are likely to be electrified?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) The Rural Electrification Corporation provides loans on soft and liberal terms to the State Electricity Board for electrification of backward adivasi areas.

(b) Two schemes for rural electrification in Mandla District have been approved by the Rural Electrification Corporation for a loan assistance of Rs. 804 lakhs. They envisage electrification of 172 villages and energisation of 1700 pumpsets. These schemes are at various stages of implementation.

In addition, nine villages will be electrified under Lift Irrigation Schemes during the current year.

(c) Extension of electricity will depend on the load growth generated by cultivators and consumers.

'प्रीसीजन गाइडिड' उपकरण

3049. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'प्रिसीजन गाइडिड' उपरणों का उपयोग प्रारम्भ होने के कारण सैनिक साज-समान के निर्माण में हुई क्रांति का सरकार को पता है;

(ख) यदि हां,तो क्या हमारा रक्षा उत्पादन 'प्रिसीजन गाइडिड' उपकरणों को प्रयोग करने के सक्षम है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) रक्षा उत्पादन क्षेत्र इस समय कुछ इष्टपक्षी प्रक्षेपास्त्रों (गाइडिड मिसाइल्स) का निर्माण कर रहा है और सेनाओं की भावी आवश्यकता पूरी करने के लिए अपने को सक्षम बना रहा है। इसका ब्यौरा देना लोकहित में नहीं है

इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप का डिजाइन तैयार करना तथा निर्माण करना

3050. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप का डिजाईन तैयार करने तथा उसका निर्माण करने की क्षमता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : तथा (ख) : दूसरी अनेक प्रयोग शालाओं क सहयोग से चंडीगढ़ स्थित केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी० एस० आई० ओ०) में एक प्रोटोटाइप स्कैनिग इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप का संयोजन किया गया है। पिलानी के केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी इंजिनियरी, अनुसंधान संस्थान (सी०ई०ई०आर०आई०) ने स्केन जनरेटर तथा विद्युत आपूर्ति सहित उससे संबन्धित सभी प्रकार की इलेक्ट्रोनिक्स मदों का विकास किया है; भाभा परमाणू अनुसंधान संस्थान ने इलेक्ट्रोन गन बनाने में योगदान दिया है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोग शाला (एन०पी० एल०) ने निर्वात (वैक्यूम) प्रणालियों के डिजाइन बनाएं है, जब कि इस लैंस का डिजाइन बनाने तथा उसका संयोजन करने सहित प्रणालियों के हार्डवेयर तैयार करने और इस यूनिट का संयोजन करने का काम चंडीगढ़ के केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन में किया गया है। लेंस की डिजाइन तैयार करने में बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय से, जिनके पास परिष्कृत किस्म का इलेक्ट्रोन ऑप्टीकल बेंच है, सहयोग प्राप्त हुआ है। भाभा परमाणू अनुसंधान केन्द्र तथा दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने परियोजना के परामर्शदाता के रूप में काम किया है। प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्रों को वर्ष 1977 के अंत तक आम प्रयोग के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस परियोजना से प्राप्त होने

वाले स्कैनिंग इलेक्ट्रान सूक्ष्म दर्शी यंत्रों के उत्पादन के संबंध में प्रोद्योगिकी का विकास करने के लिए केन्द्रिय इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड नामक सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अनुसंधान तथा विकास तथा अंतिम उत्पादन के अंतराल को कम करने के लिए, केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रारम्भ से ही इस परियोजना के साथ अपने अपको सम्बद्ध किया है।

साबुन तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा बड़े व्यापार गृहों के शेयर को कम करना

3051. **श्री० के० मालन्ना** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबुन तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में बहुराष्ट्रीय तथा बड़े व्यापार गृहों के शेयर को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि छोटे पमाने के क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : सरकार की नीति लघु उद्योग क्षेत्र में और ग्रामीण उद्योगों में यथा सम्भव मजदूरों के काम आने वाली आम खपत की उपभोक्ता वस्तुओं के निरन्तर उत्पादन का इस प्रकार प्रोत्साहन देने की रही है ताकि अधिकाधिक रोजगार दिया जा सके। 1973 के औद्योगिक लाइसेंस नीति संकल्प में विदेशी बहुलांश कम्पनियों और बड़ें औद्योगिक गृहों को केवल उन मामलों को छोड़कर, जिनमें उत्पादन मात्र निर्यात के लिए किया जाता है, उस संकल्प के परिशिष्ट 1 में सूचीबध्द् न किए गए उद्योगों से अलग रखा गया है। छोटे और मझौले उद्यमियों की विदेशी बहुलांश कम्पनियां और बड़े गृहों के मुकाबिले अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। अधिक खपत वाली वस्तुओं का उत्पादन करने में भागीदारी के लिए सहकारी समितियों और छोटे तथा मझौले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं को निरन्तर और दृढता से कार्यान्वयन करना है ताकि यथा समय साबुन और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में विदेशी बहुलांश कम्पनियों और बड़े गृहों के अंश को कम किया जा सके।

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा 'सूर्य' और 'रीडर्स डायजेस्ट' को विज्ञापनों के लिये धनराशि

3052. **श्री समर गुह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने 'सूर्य' और 'रिडर्स डाइजेस्ट' को विज्ञापन के लिए बडी राशि दी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया ने 4,000 रु० की लागत पर एक विज्ञापन 'सूर्य' में तथा 7,000 रु० की लागत पर एक दूसरा विज्ञापन 'रिडर्स डाइजेस्ट' के फरवरी, 1977 के विशेष संस्करण के अंक में छापने के लिये दिया था।

दिल्ली और मथुरा के बीच यमुना पर सड़क पुल

3053. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :**
श्री नवाब सिंह चौहान :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद तथा राज्य विधान सभाओं में हरियाना तथा उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों से दिल्ली और मथूरा के बीच यमुना नदी पर सड़क पुल की व्यवस्था करने के बारे में अभ्यावेदन मिले है, और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम): (क) और (ख): संभवतया, उल्लेख पलवल के निकट प्रस्तावित यमुना पुल का है। चूंकि यह राज्य सड़क पर पड़ता है अत: इससे हरियाणा सरकार संबंधित है। इस पुल के बारें में यद्यपि ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथापि इसके लिए चौथी योजना में 1.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता की सहमति हुई थी। परन्तु हरियाणा सरकार द्वारा सूचित नवीनतम लागत अनुमानों की राशि 187.40 लाख रुपये है। हरियाणा सरकार 87.40 लाख की अधिकता को केन्द्रीय सड़क निधि नियतन से वहन करने के लिए सहमत हो गई है। वास्तविक निर्माण अब हरियाणा सरकार के हाथ में है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर के पहुचमार्ग क्रमश: दोनों सरकारों की केन्द्रीय सड़क निधि नियतन सहित अपने अपने संसाधनों से बनाने हैं।

Excise Duty on Reprints of Films

3054. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the sale of films has declined because of levy of excise duty on the reprints of old films; and

(b) if so, whether Government propose to exempt these reprints from excise duty?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) Government have no definite information, in this regard. However, it is possible that the demand for positive raw stock will go down due to the recent levy on prints of old feature films cleared after 12 months from their first release for public exhibition.

(b) Certain representations have been made to Government to exempt the reprints of old films from levy of excise duty. These are being examined.

Multinational Industrial Firms of Sweden in India and Commodities being manufactured by them

3055. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the names of multinational industrial firms of Sweden in India and the commodities being manufactured by them; and

(b) whether these firms have now entered the new area of production and if so, the details thereof?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) Statement-A is attached.

(b) Statement-B is attached.

STATEMENT—I

Multinational Industrial firms of Sweden in India and commodities being manufactured by them.

	Name of the firm	Activity
1.	A. Johnson & Co. (India) AB, Calcutta.	Acting as agents for securing orders for parent company for supply of stainless steel materials, water turbine components, valves etc
2.	Scandinavian Airlines System, Calcutta.	Transport by air.
3.	Swedish Match Co. Ltd., Bombay.	Manufacture of matches.
4.	Asea Electric (India) Pvt. Ltd., Bombay.	Electrical machinery, apparatus, appliances etc.
5.	Associated Bearing Co. Ltd., Bombay	Manufacture of metal product.
6.	Atlas Copco (India) Pvt. Ltd., Bombay.	Manufacture of machine tools.
7.	K.M.W. Johnson Ltd., Calcutta.	Machinery (other than transport and electrical) including engineering workshops.
8.	Sandvik Asia Ltd., Poona-2.	Machinery (other than transport and electrical) including engineering workshops.
9.	S.F. India Ltd., 24, Parganas.	Retail trade in commodities other than food stuffs.
10.	Western India Match Co Ltd., Bombay.	Manufacture of matches.
11.	Ericsson Telephone Sales Corporation AB, Calcutta.	Importing and distribution of telecommunication accessories, etc.
12.	SKFKO (India) Bearing Co. Ltd., Bombay.	Manufacture of metal products
13.	Skandia Insurance Co. Ltd. Calcutta.	General Insurance.
14.	Vulcan Laval Ltd., Bombay	Manufacturing including dairy machinery and equipment, trading and commercial activities.
15.	Kanthal India Ltd., Calcutta.	Manufacture of steel castings and forgings.
16.	Facit Asia Ltd., Madras.	Manufacture of typewriters and calculators.

STATEMENT—II

New areas of production in which swedish companies have diversified, covered by letters of intent and industrial licences during the period 1975-77 *(upto October,* 1977).

S. No.	Name and address of the applicant & location of the undertaking	Item of manufacture, capacity and type of LI/IL
	LETTERS OF INTENT	
	1975—NIL	
	1976	
1	M/s. WIMCO LTD., BOMBAY (GOA, DAMAN & DIU)	1. Canned meat and minced meat products—13,500 tonnes 2. *By-products* : (a) Tallow—2,000 tonnes (b) Blood/Bone/Meat meals (including pet foods and extracts)—4,500 tonnes (NEW ARTICLE)
2	M/s. WIMCO LTD., BOMBAY (KOTA-RAJASTHAN)	1. Ossein—3,000 tonnes 2. *By-products* : Di-calcium phosphate—6,000 tonnes. (NEW ARTICLE IN A SEPARATE UNDERTAKING)
	1977—NIL	
	INDUSTRIAL LICENCES	
	1976	
1	M/s. ATLAS COPCO (INDIA) LTD. BOMBAY (POONA-MAHARASHTRA)	A. AQUA RIGS : Hammer—160 Nos. Rotation unit—80 nos. etc. B. MECHANISED DRILLING EQUIPMENT Wagon—50 nos. Carrier—30 nos. etc. (NEW ARTICLE)

रक्षा कार्मिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई

3056. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैंटीन स्टोर्स विभाग के कर्मचारियों की अनिश्चित काल के लिये हड़ताल के कारण गत कुछ दिनों से समूचे देश में रक्षा कार्मिकों को उपभोक्ता-वस्तुओं की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और कब ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट कर्मचारी संघ की 15 नवम्बर, को शुरू हुई हड़ताल अब समाप्त हो गई है । रक्षा कार्मिकों की उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

उत्तरी राज्यों में कानून और व्यवस्था

3057. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि असम, नागालैण्ड, मणिपूर, मेघालय तथा मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़ी तेजी से खराब हो रही है ।

(ख) क्या यह स्थिति इनमें से कुछ राज्यों के बीच सीमा विवादों तथा उन क्षेत्रों में विद्रोहियों की गतिविधीयों के पुन: चालू होने के कारण पैदा हुई है; और

(ग) सरकार की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) जी, नहीं, श्रीमान । उत्तर-पूर्वी राज्यों में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

ए० सी० सी० वाइकर्स बाबकांक लिमिटेड के घटिया स्तर के बायलर

3058. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ए० सी० सी० वाइकर्स बाबकांक लिमिटेड और इसके दुर्गापुर संयंत्र द्वारा अपने बायलर मनमाने मूल्य पर बेच जा रहे हैं परन्तु उनके बायलर, विशेष रुप से बड़े बायलर अपेक्षित स्तर तथा विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार के बायलर निरीक्षक ने उनके उत्पादों को पास करने से इन्कार कर दिया था क्योंकि वे विशिष्टियों के घटिया स्तर के थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और इस कम्पनी के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) ए० सी० सी० वाइकर्स बाबकांक लि० बायलरों को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० की प्रतियोगिता में बेच रहा है अतएव, वे स्वयं अपने मूल्य पर बायलरों को बेचने की स्थिति में नहीं हैं । इस विषय में हमें कोई शिकायत नहीं मिली है । हमें ऐसी भी शिकायत नहीं मिली है कि बड़े बायलरों सहित उनके बायलर अपेक्षित स्तर तथा विशिष्टियों के अनुरूप नहीं हैं ।

(ख) ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है कि मैसर्स ए० सी० सी० वाइकर्स बाबकाँक लि० द्वारा बनाये गये बायलरों का पास करने तथा प्रमाणित करने में पश्चिम बंगाल सरकार के बायलर निरीक्षक ने विशिष्टियों के घटिया स्तर के कारण इन्कार किया हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिष्कृत उन की कमी के कारण बुनकरों में बेरोजगारी

3059. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालिनों की बुनाई के लिये आवश्यक परिष्कृत उन की भारी कमी के कारण बड़ी संख्या में बुनकर बेरोजगार हो रहे हैं जिससे उनमें असंतोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो इससे विश्व बाजार में निर्यात व्यापार को खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ग) क्या ईरान और पाकिस्तान ने, जो हमारे मुख्य प्रतियोगी है, निर्माताओं को सहायता देकर अपने निर्यात के मूल्यों में कटौती की है जिससे विश्व बाजार में हमारे कालीन की बिक्री कम कीमतों पर हो ; और

(घ) सरकार परिष्कृत ऊन की कमी को पूरा करने के लिए और हमारे प्रतियोगियों द्वारा की गई कटौती का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) कालीनों के निर्यात में ईरान और पाकिस्तान हमारे प्रतिस्पर्धी है। इन दोनों देशों में कालीन निर्यातकों को दी गई राज्य सहायता की ठीक ठीक राशि मालूम नहीं है ।

(घ) कालीन बुनने वालों के समक्ष इस समय कच्चे उन की कमी की कोई समस्या नहीं है। जब कभी कमी की स्थिति आयेगी भारत को देश में कालीन बनाने के लिए विदेशों से उन का आयात करना पड़ेगा। कालीनों के भारतीय निर्यातकों को विदेशी बाजारों में अपने कालीनों को अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर बेचने के लिये नकद सहायता प्रदान की जाती है ।

दिल्ली में चोरियों के मामलों में वृद्धि

3060. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माह सितम्बर, तथा अक्तूबर 1977 के दौरान दिल्ली में चोरी के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) जुलाई और अगस्त, 1977 के महीनों की तुलना में सितम्बर, 1977 में चोरी के मामलों की संख्या कम थी । परन्तु अक्तुबर, 1977 के महीने में चोरीयों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई ।

(ख) विशेष रूप से अपराध से प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि वर्दी में जवानों तथा सादे कपड़ों में कर्मचारियों दोनों की गश्त बढ़ाकर, अपराध सतर्कता बढ़ाकर, ज्ञात अपराधियों पर नजर रखकर, नाका

बन्दी करके तथा जाल बिछाकर बदमाशों का निष्कासन करके, समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाकर और गश्तों के समय तथा तारीखों में परिवर्तन द्वारा अपराधियों को चौंका देने के उद्देश्य से नियमित सामान्य गश्त लगाकर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अधिक बल दिया जा रहा है ।

चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पिस्तौलें देना

3061. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान श्री जनार्दन ठाकुर की पुस्तक "आल दी प्राइम मिनिस्टर्स मेन" के पृष्ठ 155 पर लगाये इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि भूतपूर्व रक्षा मंत्री ने सेना के आयुध निपटाने विभाग को आदेश दिये थे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनावों के दौरान पांच सौ पिस्तौलें दी जाये और यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ख) क्या उस आदेश का पालन किया गया था और यदि हां, तो क्या पिस्तौल वापस किये गये थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) चुनावों के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पिस्तौल जारी किये जाने के बारे में थलसेना मुख्यालय के आर्डनेंस निदेशालय को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीकी लड़ाकू विमानों की खरीद

3062. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अमरीकी लड़ाकू विमान खरीद रहा है और क्या इसका अभिप्राय अमरीका को अधिक कीमत पर भुगतान करना होगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त सौदे में कुछ हानियां हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

पटसन मिलों का बन्द होना

3063. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब कितनी पटसन मिलें बन्द पड़ी है ;

(ख) क्या मंत्री महोदय ने कुछ महीने पूर्व यह आश्वासन दिया था कि बन्द पड़ी पटसन मिलों को कुछ समय बाद फिरसे चालू कर दिया जायेगा ; और

(ग) इस आश्वासन को पूरा करने के क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) इस समय 7 जूट मिलें बन्द पड़ी है ।

(ख) और (ग) : 1976 के अन्त में निम्नलिखित 8 जूट मिले बन्द पड़ी थी :—

1 खारदाह कं० लिमिटेड
2 यूनियन जूट मिल्स
3 भारत जूट मिल्स
4 वेवरली जूट मिल्स
5 एलेक्जेन्ड्रा जूट मिल्स
6 नफरचन्द्र जूट मिल्स
7 केल्विन जूट कं०
8 आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स

इन 8 मिलों में से वेवरली तथा कल्विन दो मिलों में 1 फरवरी, 1977 से काम प्रारम्भ हो गया है । खारदाह, यूनियन तथा एलेक्जेन्ड्रा तीन एककों के प्रबन्ध सरकार द्वारा हाथ में ले लिये गये है तथा प्रथम दो एककों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है । एलेक्जेन्ड्रा जूट मिल्स के शीघ्र ही चालू हो ने की आशा है ।

एक अन्य नफरचन्द्र जूट मिल एकक को एक चालू पटसन मिल के प्रोप्राइटरों द्वारा हाथ में ले लिया गया है उसमें भी काम प्रारम्भ हो गया है । आर० बी० एच० एम० जूट मिल को पुनः चालू करने के बारे में संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

जहां तक भारत जूट मिल का सम्बन्ध है समझा जाता है कि उसके पुनः खोले जाने की संभावना नहीं है ।

उपर्युक्त से पता चलेगा कि 8 जूट मिले में से 1976 के अंत तक 5 बन्द एककों में काम प्रारम्भ होने लगा है और दूसरे भी शीघ्र काम चालू होने की आशा है। 8 एककों में से एक फिर से चालू किये जाने योग्य नहीं है ।

Conduct of Economic Census to ascertain Backwardness of People

3064. **Shri Surendra Mohan:**
Shri S. G. Murugaiyan:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state whether Government propose to conduct an economic census in the country to ascertain as to the people who are economically backward and if so, by what time?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): No census is contemplated to ascertain as "to the people who are economically backward".

पूर्वी क्षेत्र में कोयले के उत्पादन में बाधा

3065. **श्री सौगत राय :**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में कोयले के उत्पादन में भारी बाधा पड़ी हुई है जिसके फल स्वरूप दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में काम ठप्प हो गया है ;

(ख) इस बाधा के क्या कारण है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : गोमिया एक्सप्लोसिव्ज फैक्टरी में हुई हड़ताल के परिणाम स्वरूप पर्याप्त मात्रा में विस्फोटक पदार्थ न मिलने के कारण ईस्टर्न कोलफील्डस् लि० में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। दूसरा कारण दुग्दा और भोजूडीह कोयला वाशरियों में हड़ताल का होना था। फिर भी, सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में दुर्गापुर इस्पात कारखाने को लगभग 3,64,000 टन कोयले की सप्लाई की गई। इन्हीं महीनों में गत वर्ष हुई सप्लाई 3,25,000 टन थी। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में काम बन्द नहीं हुआ

(ग) एक्सप्लोसिव्ज फैक्टरी और कोयला वाशरियों में हड़ताल अब वापस ले ली गयी है और फिर सामान्य रूप से उत्पादन होने लगा है। कोयला कम्पनियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाई कर रही है।

स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या के सम्बन्ध में फिर से जांच

3067. **श्री समर गुह :**
श्री ईश्वर चौधरी :
श्री उग्रसेन :
श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व मंत्री, स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या के बारे में मैथ्यू आयोग द्वारा अपूर्व निष्कर्ष प्रस्तुत करने के पश्चात अनुवर्ती कार्यवाही करेगी ;

(ख) क्या मेथ्यू आयोग ने स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की पत्नी एंव निकट रिश्तेदारों की गवाही नहीं ली है ;

(ग) क्या मैथ्यू आयोग पिछली आपात स्थिति में उत्पन्न दबावों के कारण जांच का कार्य पूर्ण स्वतन्त्र ढंग से नहीं कर सका ;

(घ) यदि हां तो क्या स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की हत्या के बारे में नई जांच की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) इस सम्बन्ध में चलाया गया आपराधिक मामला परिक्षण न्यायालय में लम्बित है और न्यायाधिन है।

(ख) स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र के परिवार के सदस्य, उनके वकिल के साथ आयोग के समक्ष पेश हुए थे। स्वर्गीय श्री मिश्र के भाई डा० जगन्नाथ मिश्र से आयोग ने पूछताछ की थी।

(ग) आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कहीं है। तथापि 14 नवम्बर, 1977 को सदन पटल पर रखी गई आयोग की रिपोर्ट के साथ, ज्ञापन पर की गई कार्रवाई की और ध्यान दिलाया जाता है।

(घ) और (ङ) : इस अवस्था में नयी जांच कराने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स द्वारा सरकार को बेकार कम्प्यूटर उपकरण की सप्लाई

3068. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 23 नवम्बर, 1977 को 'पेट्रियट' में इनटरनेशनल बिजनेस मशीन्स द्वारा सरकार को बेकार कम्यूटर उपकरण की सप्लाई के बारे में प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) तथा (ग) : विदेशी मुद्रा विनियम, अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार सरकार ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स से अपनी शाखा को भारतीय कम्पनी में बदलने तथा उस कम्पनी में विदेशी साम्य पूंजी (ईक्विटी) को घटाकर 40 प्रतिशत करने के लिए कहा है। तथापि, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्सने अपने 7 नवम्बर, 1977 के उत्तर में सरकार को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की इन आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है तथा इसके परिणामस्वरूप उन्होंने निर्णय लिया है कि अपने कार्य-संचालन को क्रमिक रूप से बन्द करेंगे। अपने कार्य संचालन को क्रमिक रूप से पुनर्गठित करने के एक भाग के रूप में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने यह पेशकश की है कि जिन कम्यूटर तथा अन्य डेटा प्रोसेसिंग उपकरणों को उन्हों ने प्रयोगकर्ताओं को किराए पर दिया है, उन्हें निम्निलिखित शर्तों पर प्रयोगकर्ताओं को तुरन्त बेच दिया जाएगा :—

(i) क्रय-मूल्य की राशि तीन महीने के किराए की राशि के बरबार होगी,

(ii) वर्तमान प्रयोगकर्ता तीन महीने तक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स द्वारा दिए गए उन उपकरणों को काम में लाते रहेंगे, जिनके लिए उपर्युक्त क्रय-मूल्य दिया गया है तथा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स इस अवधि में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इन मशीनों के रखरखाव का कार्य करती रहेगी।

इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स द्वारा कार्यसंचालन को क्रमिक रूप से पुनर्गठित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1973–74 और 1974–75 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1277/77]

नौसेना औपचारिकताएं, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियमन, 1977

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना औपचारिकताएं सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियमन, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 13 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 278 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1278/77]

मोटर गाडी, मोटर गाडी सहायक उद्योग आदि के लिए विकास परिषद और कागज, लुगदी, सहायक उद्योग विकास परिषद के बर्न एण्ड कम्पनी तसा ब्रेथवेट कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (उपकरणों का अर्जन तथा अन्तरण तथा नियम 1977, आदि के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी सहायक सामान, परिवहन गाड़ी उद्योग, ट्रैक्टर, मिट्टी हटाने के उपकरण और अन्तर्दहन इंजन विकास परिषद् का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1279/77]

(दो) कागज, लुगदी तथा सहायक उद्योग विकास परिषद् का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1280/77]

(2) बर्न कंपनी एण्ड इण्डियन स्टैन्डर्ड वैगन कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बर्न कंपनी एण्ड इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कंपनी (राष्ट्रीयकरण) नियम 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो, दिनांक 7 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 755 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1281/77]

(3) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम; 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) नियम 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 7 नवम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 756 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय म रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1282/77]

(4) नारियल जटा बोर्ड, एर्नाकुलम के वर्ष 1975-76 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के शुद्धि पत्रों* की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1283/77]

*लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 15-6-1977 को सभा-पटल पर रखा गया था ।

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और नाविक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1977 अधीन अधिसूचनाएं

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (1) मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) वाणिज्य पोत परिवहन (अग्नि उपकरण) संशोधन नियम 1977 जो दिनांक 17 सितम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1223 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (यात्री स्टीमरों का निर्माण तथा सर्वेक्षण) संशोधन नियम 1977 जो दिनांक 29 अक्तूबर 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1444 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1284/77]

(2) नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19, नवम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1591, में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1285/77)

खाद्य परिष्करण उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1976–77 के वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खाद्य परिष्करण उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1286/77]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 और दिल्ली विक्रीय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1977 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सा० सां० नि० 722(ङ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 729 (ङ) जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1287/77]

(2) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 नवम्बर, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4/33/75-फिन (जो०) (दो) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1288/77 ।]

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNT'S COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन (इडुक्की) : मैं भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) के पैराग्राफ 30, 33 और 38 पर लोक लेखा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

9 वां प्रतिवेदन

श्री एम०राम गोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

पहला प्रतिवेदन

Shri Ugrasen (Deoria) : I present the first Report of Committee on Petitions.

रेल कर्मचारियों की मांगों सम्बन्धी याचिका
PETITIONS *RE* : DEMANDS OF RAILWAYMEN

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं रेल कर्मचारियों की मांगों के बारे में आल इण्डिया रेलवमन फेडरेशन के महासचिव श्री जे० पो० चौबे द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय मैं ने सूचना भेज रखी है । कानपुर में एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है जिसमें 4 व्यक्ति मारे गये हैं । यह स्वदेशी काटन मिल्स के मालिकों के कुप्रबन्ध के कारण हुआ है । श्रमिकों को 60 दिन की मजूरी नहीं दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने इसपर ध्यान दिलाने वाले एक प्रस्ताव की अनुमति दे दी है।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : गृह मंत्री ने बम्बई में एक वक्तव्य दिया है कि शाह आयोग श्रीमती इन्दिरा गान्धी के खिलाफ वारंट जारी करेगा और आपात स्थिति की घोषणा के औचित्य की जांच करेगा। इस प्रकार का वक्तव्य देना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। एक धारणा बनती जा रही है कि शाह आयोग गृह मंत्री के निदेश पर काम कर रहा है। यह एक गम्भीर मामला है और इस पर सभा में चर्चा करना आवश्यक है। मैं ने इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना भेज रखी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है। मैं ने गृह मंत्री को टिप्पणी करने के लिये कहा था और उन्होंने बताया है कि अखबारों में प्रकाशित समाचार ग़लत हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने कहा था कि शाह आयोग को वारंट जारी करने की शक्ति है **(व्यवधान)** मैं समाचार पत्रों में प्रकाशित वक्तव्य और गृह मंत्री के वक्तव्य में से गृह मंत्री का वक्तव्य स्वीकार करता हूं। फिर समाचार पत्रों में यह समाचार भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित हुआ है।

**कार्यवाही वृत्तांत में इस सम्बन्ध में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : QUESTIONS OF PRIVILEGE

(एक) श्री मधु लिमये द्वारा 16 नवम्बर, 1977 को अध्यक्ष के बारे में की गई टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : श्री सी० एम० स्टीफन ने श्री मधु लिमये, संसद् सदस्य द्वारा पांचवी लोक सभा के अध्यक्ष के सम्बन्ध में 16 नवम्बर, 1977 को सभा में की गई टिप्पणी के कारण उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। मैं ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ़ विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर श्री मधु लिमये के वक्तव्य का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा है। उन्होंने कहा था कि :

> "जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की दो तिहाई बहुमत मिल गया तब उन्होंने इस सभा को प्रक्रियाओं और अधिकारों में फेर-बदल करना आरम्भ कर दिया। प्रश्न स्वीकार करने अथवा रद्द करने का काम भी प्रधान मंत्री के सचिवालय के दिशा निर्देशन पर होने लगा, उनके दो तिहाई बहुमत के कारण अध्यक्ष को अपने पद की चिन्ता होने लगी कि यदि उन्होंने सभा की प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार को बनाये रखने का प्रयत्न किया तो कहीं उन्हें पद से हटा न दिया जाये।"

(व्यवधान)

श्री मधु लिमये द्वारा निकाला गया निष्कर्ष ठीक हो या न हो परन्तु मेरी राय यह है कि इस प्रकार की टिप्पणियों से सभा अथवा भूतपूर्व अध्यक्ष का विशेषाधिकार भंग नहीं होता।

इसलिये नियम 222 के अधीन मांगी गई अनुमति नहीं दी जा रही है।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह बड़े दुःख की बात है कि अध्यक्ष द्वारा पद से हटाये जाने के भय से काम किया जाना विशेषाधिकार भंग का मामला नहीं समझा जा रहा है। आप इस प्रकार की पूर्व धारणा कायम कर रहे हैं, हम इसका उचित अवसर पर प्रयोग करेंगे... **(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

(दो) आपात स्थिति की घोषणा के बारे में शाह आयोग की जांच

अध्यक्ष महोदय : श्री वसंत साठे ने जांच आयोग के चेयरमैन, श्री जे० सी० शाह के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है कि वह संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत आपात स्थिति की घोषणा के बारे में जांच कर रहे हैं। श्री जे० सी० शाह ने 5 दिसम्बर, 1977 को अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है कि वह आपात स्थिति की घोषणा की वैधता की जांच नहीं कर रहे। उन्होंने यह भी कहा है कि वह इसके लिये सक्षम भी नहीं है। उनका कहना है कि वह केवल आपात स्थिति से तत्काल पहले की परिस्थितियों पर जिनके कारण आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी, विचार कर रहे हैं। इस बात का निर्णय तो न्यायालय कर सकता है कि क्या जांच आयोग अधिनियम के अधीन नियुक्त आयोग इस प्रकार की जांच कर सकता है या नहीं। अतः प्रथम दृष्ट्या यह संसद् के अवमान या विशेषाधिकार भंग का मामला नहीं है। इसलिये नियम 222 के अधीन दी गई सूचना स्वीकार्य नहीं है।

मैं उसके लिये अनुमति नहीं दे सकता।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा): हम आपके इस निर्णय का विरोध करते हैं। शाह आयोग में जो कुछ हो रहा है वह आपके द्वारा यहां पर बताई गई बातों के बिलकुल विपरीत है। हमने विरोध करने के लिये सभा से उठकर चले जाने का निर्णय किया है।

तत्पश्चात श्री यशवन्तराव चव्हाण तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सभा से बहिर्गमन किया।

Shri Yashwantrao Chavan and some other Hon. Members then left the House.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): The Leader of the opposition has passed derogatory remarks against the Shah Commission. A person of his states should not have uttered such words. It is against the law as well as procedure of this House. The Leader of opposition should cooperate in carrying the proceeding of this House smoothly.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आयोग के निर्देश-पदों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आयोग आपात स्थिति की घोषणा से तत्काल पहले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा। इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कंवर लाल गुप्त : विरोधी पक्ष के नेता द्वारा शाह आयोग के सम्बन्ध में कहे गये अपमानजनक शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिये।

(तीन) गृह मंत्री द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में तोड़फोड़ के मामलों के संबंध में दिया गया वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : श्री वयालार रवि ने गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। मेरे विचार में इस मामले में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे विचार में गृह मंत्री द्वारा किया गया प्रसारण अनुचित नहीं था। उन्होंने जनता को कुछ मामलों के बारे में सतर्क किया था जो लोक हित में था।

इन परिस्थितियों में नियम 222 के अधीन अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : विरोधी पक्ष के नेता द्वारा की गई टिप्पणी का क्या हुआ ? क्या उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकाल रहा ।

(बार) 24 नवम्बर 1977 को कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा कथित भ्रामक वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : श्री सी० एम० स्टोफ़न ने कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। कृषि मंत्रालय को टेलेक्स के माध्यम से प्राप्त समाचार मुझे दिखाया गया है। केरल के मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को भेजे गये टेलेक्स की एक प्रति कृषि मंत्रालय को भेजी गई थी। उस प्रति में सहायता का कोई अनुरोध नहीं किया गया। परन्तु श्री सी० एम० स्टोफ़न द्वारा जो प्रति सूची दिखाई गई है उसमें सहायता का स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया है। इस बात को कोई भी स्पष्ट नहीं करता है कि परस्पर विरोधी बातें कैसे आई हैं। इन परिस्थितियों में मैं नियम 222 के अधीन अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानुर) : क्या आप मंत्री महोदय से कहेंगे कि वह मूल की फ़ोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो मैं उनसे फ़ोटो-प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के लिये कह दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं ने सभा में दिये गये आश्वासन से उत्पन्न एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में सूचना भेजी थी। मैं ने आश्वासन समिति के चेयरमैन और सदस्यों को लिखा है। कपाडिया कोहिनूर मिल्स ने 22 करोड़ रुपये अधिक राशि प्राप्त कर ली है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे पास दस्तावेज़ है। अब वित्त मंत्रालय ने जांच आरम्भ की है। जांच समिति ने एक रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजी है। उनसे पता चला है कि रिज़र्व बैंक के दो भूतपूर्व गवर्नर और भूतपूर्व बैंकिंग मंत्री इस षड़यंत्र में अन्तर्ग्रस्त हैं और उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। हम चाहते है कि सरकार कपाडिया बन्धुओं, रिज़र्व बैंक के गवर्नरों और बैंकिंग मंत्री के कार्यालय द्वारों सैंट्रल बैंक आफ़ इंडिया के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले से सम्बन्धित रिपोर्ट सभा-पटल पर रखे ।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) बिहार की कुछ निजी क्षेत्र की कोयला खानों द्वारा सरकार-नियमों का उलंघन

Shri O. P. Tyagi (Baharaich): There are many private collieries in Dhanbad and Giridih and nearby areas. They are totally ignoring safety rules while exploring coal. If Government does not take any action there can be some

serious accident similiar to Chasnala. The Government had mentioned coal mines. Many mines had been left out. There are about eighty four coal mines in private hands. The most dangerous thing is that is one Vinegar querry of C.C.L. which is underground and there is a Bunder coal querry on it and if coal is extracted in perpendicular way and joint wall becomes thin, and master entered in it then there is possibility of occurrence of serious accident similar to Chasnala. But Government has not taken any action in this matter. I would request the Government to enforce safety rules in all the mines and take timely action to avert any serious accident.

(दो) रेल कर्मचारियों की शिकायतें

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : रेल कर्मचारियों ने आपात स्थिति समाप्त किये जाने के बाद शानदार काम किया है। इसी कारण रेल मंत्री संसद के समक्ष न केवल 45 करोड़ रुपये के लाभ वाला बजट प्रस्तुत कर सके है बल्कि उन्हें चालू वर्ष में 80 करोड़ रुपये के लाभ की आशा है। परन्तु हम इन रेल कर्मचारियों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ रहे हैं। यह सर्व-विदित है कि रेल कर्मचारी 24 घण्टे काम करते रहते हैं और यह भी सच है कि औद्योगिक कर्मचारी होने के नाते उनपर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है। वे सिविल कर्मचारियों के समान नहीं हैं। परन्तु उनकी तुलना भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय के सिविल कर्मचारियों से की जाती है। रेल कर्मचारियों में ग्रुप डी के कर्मचारी हैं जैसे खलासी, स्टेशन पोर्टर, शंटिंग पोर्टर, सुरक्षा पोर्टर, आदि, उनकी ड्यूटी बहुत खतरे वाली होती है। उन्हें अन्य कठिनाइयों के साथ साथ अपनी जान का भी खतरा होता है। अब उनकी तुलना केन्द्रीय सचिवालय के चपरासी से की जाती है। यह दुर्भाग्य की बात है। यद्यपि रेल कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारी है उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में अन्य औद्योगिक कर्मचारियों को देय मजूरी और बोनस नहीं दिया जाता। उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उन्होंने जब जब हड़ताल की, उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी शिकायतों पर विचार किया जायेगा। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब जनता सरकार उनकी शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। रेलवे कर्मचारी एक वैज्ञानिक मजूरी ढांचा चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं ने नियम 377 को अधीन अनुमति दी है परन्तु आपको भाषण वहीं आरंभ कर देना चाहिये।

प्रो० दिलीप चौधरी : मैं रेल कर्मचारियों की मूल समस्याओं को प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि सरकार उनकी शिकायतों पर विचार करेगी और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिये कोई समाधान शीघ्र करेगी।

(तीन) सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कंपनी में हड़ताल

Shrimati Mrinal Gorey (Bombay-North) : Mr. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the House as well as honourable Minister towards the situation arising out of strike in Steam Navigation Company in Bombay, Calcutta and other regions. Hon'ble Members are aware that our Labour Minister has issued a circular to all Government and Private Companies to reinstate all the employees who were removed from service during emergency. General Secretary of the Scindia Steam Navigation Company Union, Shri Laxmi Narayan was also removed from service during emergency. The Union has been trying

[Shrimati Mrinal Gorey]

to get him reinstated but it has been pleaded by the Company that he had resigned of his own. The fact is that Shri Narayan had agreed that Union should be consulted before the issue of various circulars which were being issued in pursuance of 20-point programme. The Company forced him to resign. He was threatened that he will be detained under MISA if he does not agree to resign. Next day he was informed through a messenger that his resignation had been accepted, his dues were settled and sent to him at his residence. But he had not accepted the dues and pleaded that he had not resigned of his own but has been forced to resign. Keeping in view the circumstances in which he had to resign it is quite important that he should be reinstated when it is not done by November, the Union had to resort to strike. Now the strikes in Calcutta and Bombay ports have been held up for the last 15 days. The Port and Dock Workers and the National Sea-Farers Union have refused to handle strikes belonging to the Scindhia Steam Navigation Company. Today, about 40 Unions of South Bombay have set up a co-ordination Committee to help the victims of the emergency and getting the justice. If justice is not given to those who got injustice during emergency the situation will further worsen.

The Prime Minister has written to the owner of the Scindia Steam Navigation Company that Shri Laxmi Narain should be re-instated. This company was given a loan of 60 to 65 crores of rupees. The company which cannot ensure justice to its employees, does not deserve this kind of assistance from Government. So this assistance should be withdrawn and action should be taken to recover the amount from the Company. It is not only the duty of the Union or the employees of the Scindhia Co. but it is the duty of this whole House to help Laxmi Narain to get justice because it was said in this House that all the victims of injustice during emergency will be helpful to get justice Laxmi Narain must be re-instated. Government should pay attention to this case.

(चार) विद्यालयों में व्याप्त असंतोष के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों और कालेजों का बंद होना

Shri Bhagat Ram (Phillaur): The reason of wide-spread unrest among the students community and the closure of several Universities and colleges is that the officers concerned are not properly paying heed to their problems and are not using democratic methods to tackle their problems and on account of it students get excited. In this context I would like to tell something what happened on 1st and 2nd of this month in Meerut. In this connection I met the Principal the Wardens, the students and the people of the city. On first day there was a little unrest in students of D. N. Polytechnic, which could have been easily tackled by the Police but D. M. of the area come on the scene and ordered for the lathi charge on the students and later on he orders for firing even without giving any warning for the same. Consequently firing took place. At this time students were beaten mercilessly. Some of them were arrested. The police did not spare even those students who were in hostels. Police entered into hostels without the permission of the college authorities. The hands and the legs of some of the students got fractured due to beating given to them. The clothes of some students were blood-stained. A number of students sustained injuries. This all should not have taken place because such situation has not developed there the problem could have been solved through negotiations. So I would like to make an appeal to Government that the officers concerned should behave properly with the students and democratic methods should be adopted while tackling their problems.

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक—जारी

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेंगे चूंकि बोलने वाले सदस्य की संख्या बहुत अधिक है इसलिए मैं श्री सौगत राय से अनुरोध करूंगा कि वह अपना भाषण संक्षिप्त रखें ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : कल बोलते हुए मैंने मंत्री महोदय को अध्यादेश लाने के लिए बधाई दी । साथ ही मैंने यह भी मांग की थी कि अन्य श्रमिकों के साथ रेलवे, आयुध कारखानों डाक व तार विभाग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाये । मैंने धारा 34 (3) को हटाये जाने का भी विरोध किया था । श्रमिको को बोनस पुनः देकर मंत्री महोदय ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि श्रमिको ने यह अधिकार बहुत लम्बी और भारी लड़ाई के बाद प्राप्त किया था । परन्तु विधेयक के उद्देश्यो और कारणो के वक्तव्य में या मंत्रीने अपने वक्तव्य में यह घोषणा कहीं भी नहीं की है कि बोनस को 'स्थगित मंजूरी' माना जायेगा, हालांकि जनता दल के चुनाव घोषणा पत्र में ऐसा उल्लेख किया गया था । बोनस को स्थगित मजूरी माने जाने का एक लाभ यह है कि वेतन और मजूरी की भांति उसके भुगतान का भी कम्पनी पर प्रभार प्रथम हो जाता है और फिर अधिक लाभ के हिसाब के आधार पर उसे देने से इनकार नही किया जा सकता । साथ ही मैं इस बात पर बल देना चाहुंगा कि 1965 में मूल बोनस संदाय अधिनियम को पारित किये जाने के समय स्थगित मजूरी का विचार ही अस्तित्व में न था । अतः बोनस आयोग की इस सिफारिश के बाद कि बोनस को स्थगित मजूरी माना जाये, पूरे बोनस संदाय, अधिनियम पर विचार किया जाना चाहिए । मूल अधिनियम की धारा 32 को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह स्थानिय संस्थाओं निगमों, नगरपालिकाओं तथा सरकार के कुछ निगमों को बोनस देने के दायित्व से मुक्त करता है ।

बोनस के पुनः भुगतान की व्यवस्था होने के बावजूद श्रमिक वर्ग में यह भय व्याप्त है कि श्री भूतलिंगम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मजूरी नीति पर जो आयोग गठित किया गया है, वह श्रमिको को बोनस के अधिकार को वापस लेने के लिए गठित किया गया है, क्योंकि प्रधान मंत्री ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के प्रश्न पर राष्ट्रीय मजूरी नीति पर नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा । इस आयोग का अध्यक्ष एक भूतपूर्व सरकारी अधिकारी नही होना चाहिए था बल्कि उसके अध्यक्ष पद पर कोई श्रमिक संघ का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए था ।

इस वर्ष जितनी हड़तालें हुई हैं उतनी आपात स्थिति से पहले के किसी भी वर्ष में नही हुई हैं । मैं श्रम मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि यह एक खतरे का चिन्ह है । अतः श्रमिकों में व्याप्त असंतोष और श्रम स्थिति पर पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए । यह तो ठीक है कि धारा 83 पुनः सम्मिलित कर लिया गया है परन्तु खंड 36 अभी तक है जो कुछ कम्पनियों को परिस्थिति विशेष में छूट देता है । पश्चिम बंगाल के कुछ पटसन मिल कम्पनिया महकर ही बोनस देने से बचत चाहती हैं कि वे रुग्ण स्थिति में हैं ।

10—370 LSS(ND)/77.

[श्री सौगत राय]

बोनस दिलाने के लिए मंत्री महोदय ने जो प्रयास किया है वह सराहनीय है । फिर भी उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार की घोषित नीति से हटने का कोई इरादा नहीं है । उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि रेलवे, रक्षा और डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के बारे में सरकार की क्या नीति है; क्या भूतलिंगम समिति बोनस के अधिकार को वापस ले सकती है । उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि देश में व्याप्त औद्योगिक अशांति पर विचार विमर्श के लिए वह कौनसे मंत्र का सुझाव देते है । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shrimati Ahilya P. Rangnekar (Bombay North-Central): Mr. Speaker, Sir, we welcome this Bill because it has restored the right of bonus to the workers which was taken away from them during emergency. But there are number of short-comings in this Bill and unless these are removed there will be no end to the workers' agitation and the unrest on industrial front. In the economic policy statement of the Janata Party it has been stated that "these surpluses should not be thrown away by way of indiscriminate distribution of dividends and bonus and increasing the perks and amenities of the top people." This is something very dangerous. If the ammenities and dividend of the high ups are put on the level of workers' bonus then the workers would not get justice.

Clause 6 provides for a new provision which is a fraud on the workers. It says that before paying bonus to the workers the employers can deduct the development rebate from their income. This means that the workers will not get any thing for example. The shipping corporation has earned a profit of Rs. 33 crores. But it wants to take back Rs. 54 crores as development rebate. The result will be that the workers will not get any thing as a bonus, even though the Corporation has earned a profit of Rs. 33 crores. So this provision should be deleted.

So far agreements used to take place between the workers and the employers through direct negotiations. Now an amendment has been made by this Bill to the effect that prior permission of Government will be necessary for such agreements. This is something wrong. I cannot understand as to why such what is the need for a prior permission.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म.प. तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock

---

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजकर 5 मिनट म.प. पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

Shrimati Ahilya P. Rangnekar: During last general elections Janta Party declared in their election menifesto that they would treat bonus as a deferred wage. But there is no mention of this thing here. Bonus can be paid to the workers in public sector the Shipping Corporation, Railways, Posts and Telegraphs if the bonus is treated as a deferred wage the capital formation which is now taking place in this country is due to hard labour of the workers. What the workers get is far this capital formation. Now there is a developing tendency to create a clash between the workers and the farmers on the basis of a propaganda that the workers are getting more than the farmers. I depricate this tendency.

This law has been made for one year only. This law should have been given retrospective effect from 1974 because during emergency many concerns have earned huge profits but they have paid nothing to the workers out of it.

It is advocated that the workers should have a share in production. If this right to workers is concerned then they should also have the right to inspect the accounts. Government should bring a comprehensive Bill which should be devoid of all drawbacks. It should apply to public sector, Railway and Railway Workshop workers. Bonus should also be paid to the employees of Railway and the Posts and Telegraph Department. In the end I would like to suggest that the Bhoothalingam Commission should be reconstituted and a representative of workers should be included therein. With these words I conclude.

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । आरम्भ में मैं श्रम मंत्री को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने श्रमिकों के उस अधिकार को पुन: वापस लौटा दिया है जो आपात स्थिति के दौरान 25 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जारी करके उनसे छीन लिया गया था और जिससे पूंजीपतियों को लाभ और मजदूर वर्ग को हानि हुई थी । यद्यपि कांग्रेसियों ने जो आजकल विपक्ष में बैठे हैं, उस समय उस अध्यादेश का विरोध नहीं किया था, किन्तु अब उन्हें यह अवसर मिला है कि वे अपनी गलती ठीक करें । मुझे आशा है कि वे इस विधेयक का समर्थन वर्तमान सरकार में दोष ढूंढे बिना ही करेंगे ।

इस प्रश्न के बारे में विवाद चला रहा है कि घाटे में चल रही कम्पनियों को बोनस देना चाहिए अथवा नहीं । यह प्रश्न नहीं है । कपड़ा मजदूर संगठन ने 1955 में अहमदाबाद के कपड़ा मजदूरों की ओर से उद्योगपतियों के साथ एक स्वैच्छिक करार किया था जिसमें इस बात पर सहमति हो गई थी कि उद्योग को मजदूरों को चार प्रतिशत बोनस देना चाहिए, चाहे उसे लाभ हो अथवा हानि । इसका मतलब यह है कि ऐसे एककों को भी संमजन के सिद्धांत पर बोनस देना चाहि जो घाटे में चल रहे हैं । यह करार औद्योगिक शान्ति को ध्यान में रखते हुए किया गया था । अत: यह कहना ठीक नहीं है कि घाटे में चल रहे एकक बोनस का भुगतान नहीं कर सकते । यह निस्संदेह सिद्ध हो गया है कि ऐसे पर बोनस के भुगतान से दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

मैं श्रम मंत्री महोदय का ध्यान जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ किये गये अन्याय की ओर भी दिलाना चाहता हूं । पहली सरकार ने एक विधेयक लाकर एक द्विपक्षीय करार को समाप्त कर दिया था जिसके अन्तर्गत उन कर्मचारियों को बोनस मिलता था । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या की ओर भी ध्यान दें ।

[श्री प्रसन्न भाई मेहता]

जनता सरकार ने अब अपना वायदा पूरा कर दिया है और आपात स्थिति से पूर्व की स्थिति लाकर मजदूरों को बोनस का अधिकार पुन: दे दिया है। अब यह देश के मजदूर वर्ग पर है कि वह इस पर अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाये और देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने के लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। यह स्वागतयोग्य बात है कि अब कानून के आधार पर 8.33 प्रतिशत बोनस न्यूनतम बोनस हो गई है। इतनी बोनस की व्यवस्था से यह सुरक्षा हो जायेगी कि मजदूरों को बार बार इसके लिए संघर्ष न करना पड़ेगा। परन्तु मंत्री महोदय को साहस करके बोनस की 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को भी समाप्त कर देना चाहिए था। इस बात पर श्रमिक वर्ग में असंतोष है और इसी बात से यह वर्ग लम्बे समय से आन्दोलित रहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बोनस भुगतान के लिए कोई पूर्व-शर्त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए केवल एक ही शर्त पर्याप्त है और यह है कि मजदूर ने उस वर्ष कारखाने में काम किया हो जिसके लिए बोनस दिया जा रहा है।

आपात स्थिति में जब यह अधिकार वापस लिया गया था, उस बारे में बोलते हुए मंत्री महोदय उन मजदूरों की सराहना करना भूल गये जिन्होंने आपात स्थिति के दौरान भी बोनस को समाप्त किये जाने का विरोध किया था। बम्बई में 15 अक्तूबर 1976 को हजारों लाखों श्रमिकों ने बोनस के मामले को लेकर हड़ताल की थी। राष्ट्रीय कपड़ा निगम और मिलों के मजदूरों ने 20 अक्तूबर को हड़ताल की थी। जनवरी 1976 में पूरे देश में बड़े पैमाने पर श्रमिकों ने धरना दिया था और बोनस के मामले पर लगभग 20,000 मजदूर जेलों में गये थे। और उन पर अभी तक मुकदमें चल रहे है। डायनामाइट जैसे मामले तो वापस ले लिए गये हैं परन्तु श्रमिक वर्ग को आपात स्थिति से लड़ने के लिए कोई श्रेय नहीं दिया गया है। इसी प्रकार मई, 1974 की हड़ताल का मुख्य मुद्दा बोनस ही था। मामले भी रेल कर्मचारियों पर से वापस नहीं लिए गये हैं। मैं भी उन दिनों जेल गई थी और मेरे पर मुकदमा भी अभी तक चल रहा है। रेलवे मजदूरों की ओर भी इस संदर्भ में ध्यान दिया जाये। आपको यह याद रखना चाहिए कि केरल प्रदेश की संयुक्त मोर्चा सरकार ने भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार के अध्यादेश की अवहेलना की थी और उसने 1975 और 1976 में श्रमिक वर्ग का पक्ष लिया था और उन्हें बोनस दिया था। अत: मंत्री महोदय को 'बोनस स्थगित मजूरी है' के सिद्धान्त को मान्यता देनी चाहिए। आपको वे वायदे पूरे करने चाहिए जो आपने मजदूरों के साथ किये थे और उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए।

आप यह जानते है कि नियोक्ता प्रतिवर्ष कर्मचारियों को धोखा देने के लिए अपने लेखों में हेरफेर करते हैं इसलिये, हमने इस विषय में लेखों की जांच की मांग की है। कर्मचारियों को अधिक दिया जाना चाहिये लेकिन सरकार ने उनके लिये दरवाजे बन्द कर दिये हैं। लाभ में वृद्धि होने के बावजूद कर्मचारियों की उत्पादन लागत में हिस्सा कम हो गया है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उनका हिस्सा घटकर 14.7 प्रतिशत रह गया है। हमने इस बारे में अनेक संशोधन दिये हैं। हमें आशा है कि मंत्री महोदय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे संशोधन स्वीकार करेंगे।

Shri Ugrasen (Deoria): I congratulate the Minister for introducing this Bill. Bonus is not a tip. It does not depend on the mood of the owners. It is our right. Nothing was done by the oppositions to protest against the willifying of Bonus Act during emergency. We were in jails at that time

but our colleagues outside raised this issue in almost every factory. I have also submitted an amendment demanding ten percent bonus and has requested that this Act should be applied to all establishments. The owners distribute the profits amongst themselves in the name of development and show loss in their establishments and in this way they refuse to pay anything to the workers. This tendency should be stopped.

It should not be for one year only. Some improvement should be made in it and it should be implemented for ever. There should be a provision for right of employment. This is our right and it should be added in section 19 in Fundamental Rights. In case Government is not in a positions to provide employment it should give employment allowance. There should also be a provision to right to recall. In case the members of Parliament and Assemblies do some wrong the people should have the right to recall them back. In case the negotiations between the workers and the owners fail the workers should have the right to strike. I requests the hon. Minister that our sentiments should be taken into consideration while giving a reply. I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill.

श्री सी० एम० स्टीफन (इडुक्की) : मंत्री महोदय द्वारा पूछे गये प्रमुख प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि यह विधेयक प्रगतिशील है अथवा नहीं। इस बारे में यह बात भी देखनी होगी कि विधेयक बोनस के सिद्धांत को आस्थगित मजूरी स्वीकार करता है अथवा नहीं। दूसरे क्या विधेयक द्वारा आपात् स्थिति से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जायेगा ? क्या विधेयक में जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकारी कर्मचारियों, विभागीय कर्मचारियों और रेलवे और डाकतार कर्मचारियों को दिये गये आश्वासन शामिल किये जायेंगे ?

सभा को पता है कि अनिवार्य जमा योजना का क्या बना। सरकार ने अनिवार्य जमा राशि को भविष्य निधि में जमा करने का प्रयास किया इस बारे में विरोध किया गया। जनता पार्टी ने विधेयक को पारित किया। लेकिन राज्य सभा में विपक्ष द्वारा विरोध किये जाने पर सरकार ने इस पर जोर नहीं दिया। आस्थगित मजूरी प्रणाली केवल वर्ष 1955 में आरम्भ नहीं की गई थी। यह बहुत पहले आरम्भ की गई थी। एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि चाहे लाभ हो अथवा न हो प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान को चाहे उनमें कर्मचारियों की संख्या कितनी ही हो 4 प्रतिशत बोनस आस्थगित मजूरी के रूप में दिया जाना चाहिये। वर्ष 1965 में बोनस अध्यादेश लाया गया जिसमें न्यूनतम 4 प्रतिशत बोनस देने की व्यवस्था थी।

श्रम मंत्रियों के दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में यह मांग उठाई गई कि बोनस को बढ़ाकर 4 प्रतिशत के स्थान पर 8.33 प्रतिशत किया जाना चाहिये। अन्त में 8.33 प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया। लेकिन कर्मचारियों ने इसे स्वीकार करने से इंकार किया। इसके बाद बोनस आयोग की नियुक्ति की गई। बोनस आयोग के अपने अन्तरिम प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम अध्यादेश जारी किया गया जिसमें एक वर्ष तक 8.33 प्रतिशत बोनस देने की व्यवस्था की गई। इनके पश्चात् प्रतिवर्ष इस बारे में अध्यादेश जारी किये गये। उक्त सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन सरकार ने इस बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया है कि इसे स्थायी बनाया जाये अथवा नहीं।

[श्री सी० एम० स्टीफन]

हमारा यह दृष्टिकोण और मांग है कि 8.$\frac{1}{3}$ प्रतिशत बोनस देने की व्यवस्था को स्थायी किया जाना चाहिये। लेकिन इस बारे में प्रतिवर्ष अध्यादेश लाया जाता है। ऐसा वर्ष 1974 तक चला। वर्ष 1975 में अध्यादेश इस लिये जारी नहीं किया गया क्योंकि उस समय आपात् स्थिति लागू हो गई थी।

कार्यकारी समिति और प्रत्येक कार्मिक संघ ने अध्यादेश जारी करने की मांग की। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वर्ष 1976 में यह अध्यादेश जारी किया गया कि फालतू लाभ होने पर ही बोनस दिया जायेगा। हमने इसमें कुछ संशोधन करने की व्यवस्था करवा दी और वह यह कि उक्त उपबन्ध को उन औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जायेगा जिन्हें न्यूनतम मजूरी मिल रही है। पहले यह सब न्यूनतम मजूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता था।

वर्ष 1976 के अन्त में यह अधिसूचना जारी की गई कि चाहे लाभ हो अथवा न हो और चाहे एक पैसे का ही लाभ हो 100 रुपये न्यूनतम बोनस दिया जाये।

इस सम्बन्ध में मुख्य परिवर्तन यह है कि कर्मचारियों को खातों की जांच का अधिकार होगा चाहें वे लेखा परीक्षित खाते ही क्यों न हों। यह भी कहा गया है कि न्यायाधिकरण को लेखा परीक्षित खातों को भी पुनः खोलने का अधिकार होगा। न्यायाधिकरण को खातों में किये गये व्यय पर आपत्ति करने और उन खातों की जांच के लिये नये लेखापरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा जिनके बारे में कर्मचारियों ने आपत्ति की है। जहां तक उत्पादित बोनस का प्रश्न है इस बात पर सहमति हुई की इसकी सीमा समाप्त कर दी जायेगी। यह स्थिति तब थी जब देश में निर्वाचन हुए। अब मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कर्मचारियों को पहले के समान खातों की जांच की अनुमति दी जायेगी। श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने कहा कि 8$\frac{1}{3}$ प्रतिशत बोनस बहाल कर दिया गया है। ऐसा नहीं हुआ है। यह केवल एक वर्ष के लिये बहाल किया गया है। यह स्थायी कानून नहीं है। आगे के लिये कुछ नहीं किया गया है।

रेलवे कर्मचारियों, डाक-तार कर्मचारियों, विभागीय कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस अवश्य दिया जाना चाहिए।

सरकार ने यह कार्य पूरे दिल से नहीं किया है अतः मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद नहीं दे सकता

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : मैं कुछ शर्तों के साथ विधेयक का समथन करता हूं। यह कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य कांग्रेस सरकार द्वारा आपात् स्थिति के दौरान की गई शरारत को दूर करना है। लेकिन इससे कर्मचारी वर्ग के उत्थान में कोई सहायता नहीं मिली है। यह तो पुरानी शराब को नई बोतल में रख देने के समान है (**अन्तर्बाधाएं**) सरकार ने इस विधेयक में कर्मचारियों के उत्थान और कल्याण के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की है। यदि सरकार वास्तव में कर्मचारी वर्ग का उत्थान और कल्याण चाहती है तो इन उपबान्ध को भूतलक्षी प्रभावी होना चाहिये था। बोनस को समाप्त करने के कारण कर्मचारी वर्ग की हुई भारी हानि का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

बोनस के सम्बन्ध में 20 अथवा 25 प्रतिशत की कोई सीमा लागू नहीं होनी चाहिये। इससे कर्मचारी वर्ग को काम के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। कर्मचारी वर्ग को उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में बोनस प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। अत: 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को समाप्त कर कर्मचारियों को उत्पादन में हुई वृद्धि के अनुपात में बोनस दिया जाना चाहिये।

जब सरकार विपक्ष में थी तो रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने की मांग की जाती रही थी। अब वह सत्ता में आ गई है तो उसने अपनी सब मांगें समाप्त कर दी है। इस बारे में कोई दुहरी नीति नहीं होनी चाहिये। अत: मैं यह अनुरोध करूंगा कि बोनस की 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा समाप्त की जानी चाहिये। अत: इन शर्तों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट): मैं अपनी कुछ टिप्पणियों के साथ विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि यह केवल एक वर्ष के लिये है। जीवन बीमा निगम के मामले में इसने संसद् के अधिनियम का निरसन नहीं किया है। सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया है कि बोनस भूतलक्षी प्रभाव से दिया जाये। सरकार ने भूतलिंगम समिति नियुक्त कर कर्मचारियों के कल्याण के लिये कुछ नहीं किया है। बोनस की मांग को समाप्त करने के लिये ऐसा किया गया है।

Shri Manohar Lal (Kanpur): I whole heartedly support the Bonus Bill presented by the hon. Minister.

The opposition Members have just stated that bonus is the right of the workers and they have given their conditional support to this Bill. I want to know when this Bill was scrapped during emergency why did they not make efforts to restore it?

There might be some defects in it and they should be removed.

There is a great unrest in the Country due to bonus. There should not be any disparity in the matter of bonus. The hon. Minister should consider it and bring parity in this matter. I also want to request you that an early decision should be taken with regard to national wage policy so that the unrest prevailing amongst the workers may be removed.

With these words I support the Bill.

श्री वसन्त साठे (अकोला): क्या मंत्री महोदय को उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि जिन मामलों में संतुलन-पत्रों पर आपत्ति की गई है उन मामलों में न्यायपालिका द्वारा संतुलन-पत्रों की सत्यता की जांच की जा सकती है। धारा 13 के द्वारा सरकार निर्धारित कानून से पीछे हट रही है। क्या सरकार इस बारे में पुन: विचार करेंगी? प्रेसयूनियन ने किसी मालिक से 8.33% से अधिक बोनस देने का करार किया है। धारा 17 के अनुसार इसके लिये भी हमें सरकार की अनुमति लेनी होगी। क्या सरकार इन दोनों बातों के बारे में पुन: विचार करेगी?

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur): I congratulate the hon. Minister of Labour for restoring the pre-emergency position in respect of bonus. Also I would request him to consider sympathetically the case of bonus to railwaymen.

[श्री हरीकेश बहादूर]

Twelve workers including two from mill-owners' side were killed in a clash in Kanpur. Such incidents might occur in future also in case the labour disputes are not looked into and settled without delay.

राज्य मंत्री कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्रीमन्, इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों का आम तौर पर स्वागत हुआ है तथा 8.33 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम बोनस को पुनः बहाल करने का सभी ने स्वागत किया है। आलोचना केवल इस बात को लेकर हुई है कि इस विधेयक में कुछ अन्य बातों का भी समावेश नहीं किया गया है।

मैंने आरंभ में ही सरकार की यह मन्शा स्पष्ट कर दी थी कि वह अध्यादेश जिसको वैध करने हेतु यह विधेयक पेश किया गया है, केवल तात्कालिक स्थिति से निपटने के लिये जारी किया गया था जिस में विलम्ब करना हितकर न होता। सरकार का यह इरादा नहीं था कि हम अवसर पर बोनस संबंधी सभी मामलों के बारे में अपना दृष्टिकोण अन्तिम रूप से स्पष्ट कर दें। विधेयक की आलोचना, इसके विस्तार, इसमें निहित सिद्धान्त, 8.33 प्रतिशत बोनस देने की अवधि और इस प्रतिशत के इलावा कतिपय करारों अथवा सूत्रों पर परस्पर समझौता करने के श्रमिकों के अधिकारों को लेकर की गई है। बोनस की राशि में वृद्धि की मांग भी की गई तथा निवेश भत्ते का भी जिक्र किया गया है।

पिछली सरकार ने तो बोनस अधिनियम का नाम ही बदल दिया था। इस के शीर्षक को "कुछ उपक्रमों में काम करने वाले व्यक्तियों को बोनस की अदायगी तथा तत्संबंधी बातों की व्यवस्था करने वाला अधिनियम" से बदल कर "कुछ उपक्रमों में काम करने वाले व्यक्तियों को लाभ-उत्पादन अथवा उत्पादकता के आधार पर बोनस की अदायगी तथा तत्संबंधी व्यवस्था करने वाला अधिनियम" कर दिया था। ऐसा करना स्पष्टतः बोनस को आस्थगित मजरी के सिद्धान्त से निकालना था। वर्ष 1976 में जब यह विधेयक पहली बार सभा के सम्मुख पेश किया गया था तो माननीय सदस्य श्री सी० एम० स्टीफ़न ने उसका स्वागत किया था। वह अपनी भाष-पटुता से संभव को असंभव तथा तर्कहीन को तर्कसंगत प्रदर्शित कर देने में माहिर हैं। ...(व्यवधान) उन्होंने उसे देश में औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में एक नया अध्याय बताया था।

जनता पार्टी के घोषणा पत्र में केवल यही वाक्य नहीं कहा गया है कि बोनस एक स्थगित वेतन है। उसमें समेकित मजूरी आय-मूल्य नीति की आवश्यकता की बात भी है। तीसरे, उसमें यह भी कहा गया है कि अतिरिक्त उत्पादन किया जाये और कर्मचारियों को बढ़े हुए उत्पादन और उत्पादिकता के लाभ में उचित हिस्सा मिले। अतः सरकार को बोनस संबंधी धारणा को इन तीन मुख्य बातों के संदर्भ में समझना होगा।

जहां तक विधेयक के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है हम उसे बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि जो इसका वास्तविक क्षेत्राधिकार था उसे यथास्थिति ला रहे हैं। अगर आप कहें कि यह क्षेत्र अपर्याप्त है तो फिर यह एक अलग बात है। यह मांग तो हमेशा ही देश में रही है कि रेल तथा डाक कर्मचारियों के बाद के सभी सरकारी कर्मचारियों को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये। इस का अर्थ तो यह होगा कि धारा 32 के अन्तर्गत सभी प्रतिबंध हटा दिये जायें। इस का प्रभाव यह होगा कि उपक्रमों की वह सूची भी समाप्त हो जायेगी जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। भूतपूर्व सरकार ने भी यह शायद इसीलिये नहीं किया था क्योंकि क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का संबंध उपक्रमों की आर्थिक उपयोगिता और देश की आर्थिक प्रगति से है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल फिर जारी रख सकेंगे ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कार्यवाही के बारे में प्रस्ताव

MOTION *RE.* STEPS FOR REMOVAL OF ECONOMIC BACKWARDNESS OF FOUR DISTRICTS OF EASTERN UTTAR PRADESH

श्री यादवेंद्र दत्त (जौनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा खेद व्यक्त करती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों का आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए कार्यवाही करने के बारे में योजना आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1962 में गठित संयुक्त अध्ययन दल (पटेल आयोग) की सिफारिशों को सरकार द्वारा अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ।"

Not only U.P. but parts of several other states are also very backward and voice should be raised from those areas also for the development of these areas. It is true that Patel Commission was constituted in 1962 and it is 1977 now but nothing has been done to implement its recommendations. This is a big blot on the Govt. of India who is responsible for all that. Certainly Janta Govt. is not to blame for this. The responsibiity is of those who are now sitting in the oppositions. They did not fulfil their responsibility and the result is that these areas became further backward. Whereas the per capita national income rose from Rs. 251.54 in 1961 to Rs. 780.97 in 1974; the per capita income in U.P. rose from Rs. 261.54 to only Rs. 268.00 in 1974. Seventy percent of our 600 million people are living below poverty line. Our rupee has suffered a devaluation upto 30 per cent. And thus the average income of the people living below poverty line is only 30 to 35 paise per day. Can these people arrange for their bread, clothes, house and education or medical treatment within this meagre income? No, they cannot.—**(interruptions).**

In my district Jaunpur there are 4,97,005 under matriculates and only 1,19,070 matriculates out of a total of 5,69,050 educated people. There are only four engineers and two medical doctors.

Eastern Uttar Pradesh has always been neglected just because the people of this area never submitted to slavery and always revolted against any repression. Since this area returned a determined oppositions the area was always a victim of neglect. The result is that the inhabitants have been compelled to run away to other places for better livelihood. These people have always been looked down upon just because of their backwardness and pathetic state of living. Their poverty has been of so much magnitude that the Harijans there are often seen picking up grains from dung. In Chaitra we can see an open competition between the birds and poor people for picking grains lying scattered on the ground. As the report of Patel Commission puts it a farmer of eastern U.P. produces only so much as to feed him only for one month. For the rest of 11 months he has to live on debts. This has resulted in more than 200 per cent idebtedness in that area.

Many people have in the House shed tears for the Harijans. May I know how many of them who own plenty of land have given a part thereof to the poor Harijans?

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

The principal source of income for people in eastern U.P. is sugar-cane which is called a cash-crop. The production per hectre is 3,113 kg. whereas it is 8,747 per hectare in Andhra Pradesh *i.e.* three times that of eastern U.P. despite the fact that the land in eastern U.P. is far more fertile than that in other parts of the country what is the reason, then for such a low production? It is all because the area under sugar cane is unirrigated. The more the irrigation facilities the more production of sugar cane as also the more sugar content therein. But because of less sugar content our sugar cane fetches a price of only Rs. 12/- a quintal where the dry wood meant for fuel is sold at the rate of Rs. 20/- per quintal.

The second reason is that in our district Jaunpur—which is one of the biggest district of U.P. there are about 5,00,000 people but only one road—town Sultanpur to Mirzapur via Jaunpur. Also there is one more road for Jaunpur to Sultanpur via Ballapur. There is absolutely no other road. Jaunpur is second to Farukhabad only in respect of potatoes production but for want of transport facilities the cultivators do not get due return and the entire production produces uneconomic. Then for want of irrigation the production too cannot be increased. That is why the economic condition of the people there is deteriorating day by day. Labourers have run away to other cities like Dhanbad, Bombay and Calcutta and from there they send their savings for their families through money orders which amount to about Rs. 6 lakhs a month. In case they don't send this money, the inhabitants of this area are sure to starve.

Such a situation in this area is because of political instability and for want of dynamic leadership. Many projects were prepared but none was executed or implemented.

I, therefore, demand, that first of all a techno-economic survey should be conducted in that area. Secondly, there is a need for preparation of a long-term perspective progress based on local resources endowed in the region and needs of the local people. Let ask for Trade, and not aid, from foreign countries. Our plans should be based on our local resources and needs. We can certainly develop if we get communication facilities. Then we should get facilities for irrigation and drinking water. Roads and railways should be provided. Madiyahoo and Machhalishahar tehsils of Jaunpur have no roads. There is acute scarcity of drinking water in the hilly areas of Mirzapur.

As regards carpet industry, the Weavers bring their raw-material on cycles from Madiyahoo and Machhlishahar tehsils. One cycle can carry raw-material of only one carpet. So there should be rail-line between Barsathi to Bhadohi.

Then an economic infrastructure should be created for this area, otherwise there can be no industrial development. We need power also for that. Regular supply of electricity is also much needed.

Besides this we should be provided with financial institutions to finance industries and the rules in this respect should also be easy and simple. In the field of education we are in dire need of technical education. Let then centre take this matter in their own hand. The Central Govt. should take up the development of this area through a Development Authority.

Water is the first requirement for our agriculture. We need double and multiple cropping system. We need fertilizers and other agricultural implements. For all these we need money. We should get all these things on subsidised rates and also in plenty.

Sir, the condition of the people of eastern U.P. is very pitiable. The former Government has been playing mischief with us for the last 30 years. Now we need at least Rs. 1200 crores for the development of our 12 districts.

With these words I request the hon. Prime Minister to look into our needs and give necessary assurance for the development of eastern U.P. where as many as 7.50 crores people are leading a life of utter backwardness.

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (चिरबतलापुर) : देश में तथा उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। विभिन्न आयोगों ने इस संबंध में विचार किया है और कुछ योजनाएं भी बनाई हैं लेकिन लगता है कि विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की ओर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में भूमि बहुत उपजाऊ है। इसने हमें प्रधान मंत्री दिए है परन्तु फिर भी यह बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। इस राज्य के लोग भी बहुत गरीब है। देवारिया, बस्ती गोरखपुर तथा उत्तर प्रदेश के कुछ और भाग बहुत ही पिछड़े हुए है। देश के इन भागों के पुनर्गठन की आवश्यकता है हमें वहां अधिक कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए और वहाँ सिंचाई की अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर कुछ लोगों को उस क्षेत्र से हटा कर दूसरे क्षेत्रों में बसाया जाये ताकि भूमि पर बोझा न बढ़े। सरकार को इन लोगों को वहां भेजना चाहिए जहाँ कि बड़ी परियोजनाएं लगाई गई हैं। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है वहीं के कुछ लोगों को अन्य क्षेत्रों में बसाने के संबंध में सरकार को नियोजित कार्यवाही करनी चाहिए अतः सरकार को स्वयं ही योजना तैयार करके कुछ लोगों को वहां काम दे देना चाहिए जहाँ कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। अगर सरकार अधिक घने बसे क्षेत्रों में से जहां कि संसाधन सीमित हैं, बहुत से लोगों को हटाकर उन स्थानों पर भेज दे जहां कि बड़ी परियोजनाएं है और जिन पर इतना अधिक धन व्यय किया गया है तो बेहतर होगा। बहरहाल मैं यह महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur): I am thankful to you that you gave me opportunity to speak on such important matter.

[श्री द्वारकानाथ तिवारी पीठासीन हुए
SHRI D. N. TIWARI *in the Chair*]

The report of the Joint Study Group for districts of Eastern U.P. deals mainly with Ghazipur, Azamgarh, Deoria and Jaunpur districts. But the condition of other districts even of Lucknow and Varanasi Division is not very good, the report says that this area could not be developed because there are no proper roads and effective means of communication. Therefore for the development of that area, roads should be built in the far flung areas. Floods are common in the eastern part of Uttar Pradesh. The agriculturists should be provided with proper irrigation facilities. Bunds should be constructed on rivers prone to floods which cause considerable damage to crops. The construction of bunds on such rivers should be given highest priority.

[श्री हरीकेश बहादुर]

Proper educational facilities are not available to the Children of the villages because there are no schools. At least one Primary School must be opened in every village or in between two or three villages.

The local resources must be harnessed to solve the unemployment problem of that area. Small scale industries should be opened there so that employment apportunities may be available to the local people. I may submit that infrastructure work may be started there to achieve this goal. The means of transport are inadequate in this area. Work of conversion of metre gauge lines into broad gauge lines should be completed without delay, to improve the transport system. The eastern U.P. villages lack in hospitals. One hospital should be opened in every Panchayat area which comprises ten villages.

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad): The aim of the discussion is to draw attention to the economic backwardness of eastern districts of Uttar Pradesh. The Joint Study Group which was constituted to survey the backward districts of eastern Uttar Pradesh had given its report in 1964 and drew a real picture of the backwardness of those areas and gave some suggestions to remove the economic backwardness. The need of the hour is to implement the recommendations of study Group without further delay.

There is a vast scope for the development of eastern districts of Uttar Pradesh but it can be done only if Government changes its attitude towards the people of these areas. The previous Government did not take any step in this direction.

It is said that the people of this areas are not hard workers. But I do not agree with this contention. In the eastern parts of Uttar Pradesh the rivers generally remain in spate. This results in the destruction of agricultural land. Those farmers, whose lands are washed away in the floods should be rehabilitated properly.

It is necessary to encourage small and cottage industries based on agriculture to remove the economic backwardness of this area. The branches of financial institutions should be opened in these areas. Tourists spots can be developed in these areas. Since there is a vast scope of development in this area, a survey may be carried out to find out how economic prosperity can usher in this part of the country by maximum utilisation of resources. A time bound programme should be prepared to implement the recommendations of this survey group.

Shri Ram Sagar (Saidpur): Everyone should support this motion because its aim is to draw the attention of the Government to the economic backwardness of the eastern districts of Uttar Pradesh. The Patel Commission, set up to suggest measures to remove the economic backwardness of eastern Uttar Pradesh, had given its recommendations particularly regarding Ghazipur, Jaunpur, Azamgarh and Deoria. These should be implemented without further delay. Due to this wrong economic policies of the previous Government, three districts are still backward. The density of population in this area has increased and proper attention has not been paid to the development of agricultural land. Measures should be taken to reclaim the barren land. For this, proper facilities of irrigation should be provided. Work on the conversion of metre gauge line into broad gauge line should be completed without further delay.

Encouragement should be given to set up industries. For this purpose the procedure of giving licences and loans should be simplified. The Government should take responsibility for the establishment of industries in eastern districts.

Attention should be given to provide educational facilities to the children or harijans. They should be imparted technical education so that they can be given jobs in industries. This will ease unemployment problem.

Shri Ramdhuri Shastri (Padrauna): I congratulate the mover of the motion that he drew attention of the Government towards the economic backwardness of the Eastern districts of Uttar Pradesh. Although the Joint Study Group, constituted to survey these districts and to recommend measures for their uplift gave its report in 1964 but no action has been taken till now in this direction. The people of Deoria, Azamgarh, Jaunpur and Ghazipur are so poor that they can neither make both ends meet nor afford to wear clothes. Particularly the plight of people belonging to Deoria is very miserable.

The Government should take measures to open hospital in every block of villages and make available medicines in sufficient quantities there. So that medical requirements of the people may be met.

The children of poor villagers do not get any education. Measures should be taken to provide them with educational facilities. In the same way attention should be paid to make available potable water for them. It is my submission to the Government that the recommendations of the Patel Commission should be given due attention and steps should be taken to implement them without delay. A special authority may be constituted which will take up the work of the development of the backward areas of Uttar Pradesh.

Shri Vasant Sathe (Akola): The mover of this motion deserves congratulations as he has drawn the attention of the Government towards economic backwardness of same districts of the country. The elemination of poverty is a vital issue so other questions pertaining to it should be looked into.

It cannot be denied that black money still exists in the country in large quantities. It is estimated that black money worth Rs. 20,000 crores is still in the hands of a few people. Efforts should be made to unearth this black money and invest the same to prepare the infrastructure for economic development. This will change the map of the country. A phased programme may be chalked out. This can include plans for National rivers grid system.

The villages have no purchasing power. Even if small scale industries are located in the villages, they will not find customers. Measures should be taken to increase their purchasing power to enable them to buy their requirements.

The big traders have captured the whole market. A National Marketing Organisation should be set up which may regularise the distribution of goods.

Therefore, it is necessary for the Government to evolve a marketing and distribution system in the rural areas to help the small scale industries in developing in rural areas since small scale industries are unable to compete with the large scale industries.

[Shri Vasant Sathe]

This is not the problem of Uttar Pradesh but it relates to the entire country. It is the duty of the Government to ensure that the economic power of the country is not allowed to be concentrated in the hands of a few capitalists. It is a matter of great concern that the former Government could not succeed in exercising control over these big capitalists and the present Government is also not taking any concrete steps in this direction. If the capitalists are allowed to play with the economy of the country then poverty can never be removed from the country.

Shri Rudra Sen Chaudhury (Kaiserganj): Sir, I represent the District of Bahraich which is on the Nepal Border. The entire area is situated between two rivers that is, Ghaghara and Tapti which cause flood havoc in this area. This is the main cause of the backwardness of this region. Due to the availability of irrigaion facilities now the farmers can grow only sugar-cane and paddy in this area. I know that the Government has undertaken a canal project which, after its completion will provide irrigation facilities for kharif crop only. Sufficient irrigation facilities for both the main crops in this area can be provided only when the proposed projects, that is the Karnali project and Maludang project are completed.

I would like to request the hon. Prime Minister that he should pay special attention to solve the irrigation problem in this area. It is matter of concern that the former Government set up small and marginal former Development Agencies in each of Development Blocks in this Districts of Raibaraily but they provided such facilities in a few development blocks in the Eastern Uttar Pradesh. Thus special resources are to be utilised for this area in order to bring it at par with the rest of the area.

There are so many rivers in this area but due to non-availability of transport facilities people have to face serious difficulties. If irrigation and transport facilities are provided to this area I am confident that the present Government is capable of doing this, there is every likelihood of becoming this area prosperous.

Shri Ugrasen (Deoria): Mr. Chairman, Sir, when the Patel Commission was appointed I was a member of Legislative Assembly and I also worked with the Commission for several months.

The Report of Patel Commission was published in 1964. Then the Central Government gave a sum of Rs. 4.80 crores to the State Government of Uttar Pradesh for the development of eastern districts of the state. But the Congress Government did not spend that money for the purposes for which it was granted by the Central Government. I tabled a question on that issue in the house and I also wrote letter to that effect. But the Government did not pay any heed to them.

In the report of the Patel Commission it has been observed regarding the people of this area that apart from it people have been leading a life under the most deplorable conditions.

This area has a glorious history. It is the land of Mahatma Budha and Swami Mahavir. The people of this area took active part in the freedom struggle in 1857 and 1942. Both the British Government and the Congress Government had done great injustice to the people of this area. But the people of the eastern region whole heartedly supported the movement of Shri Jai Prakash Narain as a result of which we are here to ventilate their grievances. On behalf of the people of eastern Uttar Pradesh I would like to bring to the notice of the House that there is a wide gap between per capita income of their people and their of western Uttar Pradesh. In 1970-71 the annual per capita income of people of eastern U.P. was Rs. 221 while the average income of the people of western U.P. was Rs. 343. Now this gap has further widened.

What kind of socialism is this that we have no land while the big landlords like Surjit Singh Majithia have thousands of acres of land under the Ceiling of Land Act not an inch of land could be taken from such big landlords for distributing the same among the landless persons. All the labourers found in big cities like Bombay, Calcutta belong to eastern U.P. We are Babu Sahab in Calcutta, we are Bhaiya in Bombay and labourers in mines. We live in Palanis and we eat crabs. This is economic condition of our people.

The Patel Commission made certain recommendations regarding reclamation of land in the districts of Azamgarh and setting up of small factories in the districts of Azamgarh and Deoria. But no action had been taken on them. The sugar mills in this area have been exploiting the people. The Government took over 12 sugar mills and paid a heavy sum of Rs. 19 crores to them. It has been reported that a heavy sum has been misappropriated by the officer. The Hon'ble Minister should look into it.

I have been demanding for a long time that a factory to manufacture pickles or cold drink from jack fruit should be set up in this area but nothing has been done so far in this regard. Handloom industry of this area has also failed. Large number of persons belonging to this area were in Indian National Army but they have neither been given any pension nor any employment.

I would like to suggest that the Government should take immediate steps to undertake Karnali project with the help of Nepal Government in order to provide electricity and irrigation facilities to this area. Jalkundi project which is also known as Bhalu dam project should also be taken up immediately. I also suggest that the Central Government should grant enough amount of money to the State Government to implement the recommendations made by the Patel Commission.

There is a wide gap between per capita expenditure of Delhi and the district of Deoria. In reply to a question put by Shri Madhu Limaye it was made clear that during the last 17-18 years the state of Uttar Pradesh was given much less amount in terms of per capita investment for its plans as compared to other states.

I would like to suggest that the river valley project should be given priority in view of the fact that these projects will provide both electricity and irrigation facilities in this area. The Government should also take steps to start small scale industries in this area for the help of 12-13 lakhs of unemployed.

[Shri Ugrasen]

I would also like to suggest that the colleges and universities should be closed for six years and all the leading staff should be deployed on the development schemes as was done in Shanghai. There is no doubt that financial assistance is given to the states for development works but this assistance does not percolate to the persons for whom it is provided. I appeal that the Janata Government should accept the principle of 'special opportunities' for the development of these areas.

According to the figures prepared by the economic department there are 58 backward districts and among them 16 districts are in eastern U.P. I once again request that the Government should implement the recommendations made by the Patel Commission.

Mr. Chairman : The time allotted for this item is over.

Shri O. P. Tyagi : Sir, time should be extended.

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मुझे समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु चर्चा आज समाप्त हो जानी चाहिये ।

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री को छः बजे जाना है अतः मुझे उन्हें पांच पैंतालीस पर बुलाना होगा ।

श्री दीनेश बहादुर : प्रधान मंत्री कल उत्तर दे सकते हैं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यदि इसकी अनुमति हो तो मैं कल उत्तर दूंगा ।

सभापति महोदय : ठीक है प्रधान मंत्री कल उत्तर देंगे तथा इस पर 6-30 तक चर्चा चलेगी ।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौतपुर) : महोदय चर्चा 6-30 के बाद तक चलनी चाहिये ।

सभापति महोदय : क्या सभा इससे सहमत है कि चर्चा 7-00 बजे तक चले ।

श्री वयालार रवि (चिरर्चिकिल) : हम सहमत हैं ।

सभापति महोदय : सभा 7 बजे तक चलेगी ।

श्री के० लक्प्पा (तुमकुर) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । 1962 में योजना आयोग द्वारा एक संयुक्त समिति बनाई गई थी। मेरे पास उसका प्रतिवेदन है। इस समिति को उत्तर प्रदेश के इन चार पिछड़े क्षेत्रों के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था। वास्तव में हमारे देश में क्षेत्रीय विषमता बहुत अधिक है। इस क्षेत्रीय विषमता को अवश्य दूर किया जाना चाहिये चाहे यह विषमता किसी भी भाग में हो ।

पंडित नेहरू ने देश को वैज्ञानिक योजना का सिद्धांत दिया किन्तु उसकी क्रियान्विति नोकर शाही के हाथ में रहने के कारण उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकीं। अतः इस समस्या का अध्ययन विकास की समानता और संसाधनों का समान वितरण के आधार पर होनी चाहिये। पटेल आयोग की रिपोर्ट भी वैज्ञानिक आधारों पर आधारित नहीं है। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि पिछड़ेपन की स्थिति को देश के प्रत्येक भाग से निकाला जाये तथा प्रत्येक क्षेत्र के वासियों को प्रगति करने का अवसर दिया जाये ।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बारे में अलग-अलग विचार व्यक्त किये हैं। स्वयं श्री जयप्रकाश नारायण ने हाल में कहा है कि जितना बड़ा राज्य होगा उसकी उतनी ही अधिक समस्यायें होंगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यद्यपि इस राज्य का देश की राजनीति में महत्वपूर्ण हाथ है यह उतना ही पिछड़ा हुआ है।

हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। किन्तु हम उनका उपयोग करने में समर्थ नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि बड़े राज्यों में ऐसा प्रशासनिक सुधार होना चाहिये जिससे क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न न हो। पिछड़े हुये राज्यों को इस ढंग से सहायता दी जानी चाहिये जिससे वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में समानता से विकास हो। मुझे खेद है कि योजना आयोग तथा वर्तमान सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण न अपना कर विकास के बारे में देश में भ्रांतियां उत्पन्न कर रहे हैं। अंत में मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिय कोई योजना बनाते समय सरकार को समूचे देश को ध्यान में रखकर कोई कदम उठाना चाहिये।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): The issue of backwardness and the regional imbalances in the country has been discussed in this House at various occasions. The mover has also stated that the backward areas are found in all the parts of the country and not only in U.P. There must be four basis to judge the backwardness of a particular area, and those are per capita income, per capita consumption of electricity, quantum of unemployment and fourthly education. I suggest that the Government should undertake a survey of backwardness on the basis of these four basis.

Just like these four districts of Uttar Pradesh there are several districts in Bihar which are backward in all respects. It has been observed that more and more industries and power projects are set up in these states which are already developed while the backward regions are left at the mercy of other regions. The nature has favoured Bihar very much, but as a matter of fact, there is scarcity in plenty. The natural resources are not being exploited properly. The local people are not getting their due share even in employment.

The areas should be marked on following basis: Per capita income, per capita consumption of electricity, Percentage of education and Percentage of employment.

The Planning Commission asks for giving matching grants to the states. The policy of giving matching grants by the centre was not good because the poor states could never raise resources for getting more financial assistance from the Centre. The backward areas should receive special consideration from the Government.

Shri Gauri Shankar Rai (Ghazipur): I do not want to repeat the pitiable condition of this area, which has already been described by my colleagues. A commission was appointed to go into this problem in 1962 and it had also submitted its report. Once the Central Government had also given some funds, but thereafter, it never allocated any funds. It has been stated in the report that while recommending specific schemes/projects of development in different fields, the study team had suggested certain recommendations in the pattern

[श्री गौरीशंकर राय]

and policy of central assistance to the states for development of backward areas, special machinery for implementation, personnel policy, rationalisation of administrative procedure to accelerate the tempo and execution of the development plans in the backward areas. No action was taken by any authority on these suggestions. Unless separate funds are not allotted for the backward areas and special attention is not given towards implementation machinery, the backward areas can not make progress.

The Commission had also suggested that among the Central Project, which could be set up in this area were machine tools, machine tools accessories, tool list units and a small tractor manufacturing unit. It should also be possible to locate one or two ordnance factories in the eastern districts of U.P. The Commission thought that investment of Rs. 15 crores could be envisaged for this purpose. Steps should be taken to implement these suggestions of the Commission

It is really a matter of shame for all of us that despite 30 years of independance and well planned economy, we have not been able to provide drinking water to the people. In Ghazipur district, which I represent in Parliament, about 600 villages were in the grip of water famine every year. Some times one thousand villages have to face the water famine.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[DY. SPEAKER *in the chair*]

If roads are not constructed development cannot take place in the rural areas. The Ghazipur district, which I represent, is divided by rivers in three separate parts. There are no bridges over rivers. The Central Govt. should earmark separate funds for this purpose to the State Governments. These should be a separate machinery for the implementation of the schemes. The credit deposit ratio is the minimum in this area i.e. only 25 per cent. For whole of U.P., it is only 40 per cent, whereas for Kerala and Maharashtra it is 110 per cent and 104 per cent respectively. Provision of drinking water and roads in backward areas should receive top priority.

There was need for providing infrastructure for development of these districts. Minor irrigation facilities should be provided in this area. Even Primary schools are not there and arrangements should be made to open them. Unless basic needs of the area are not fulfilled, the socialism cannot be brought about.

A small tractor factory should be set up in this area so that farming could be mechanised. People in the area could be benefitted if factories for manufacturing small machinery are set up there.

In addition to special aid, incentive schemes should be formulated for this area and special concessions should be given. Marketing facility should be provided, otherewise the industries can not be developed there.

Every year discussions are held for the removal of regional imbalances, but it no attention is paid on these discussion, I do not think there is any necessity of my continuing member of this House,

Shri Ram Naresh Kushwaha (Salempur) : It was a matter of regret that today we were discussing this Report which is fifteen years old. During these fifteen years the world had gone far ahead, but these districts of Eastern U.P. had became even more backward.

Whenever the question of backwardness of Eastern Uttar Pradesh was raised it was immediately said that the people of the eastern districts were lethargic. This is quite wrong. If one goes round the country and see the manual workers in different fields he would find that most of them were from Eastern Uttar Pradesh and Bihar. Therefore it is not proper to say that the people of Eastern Uttar Pradesh were lethargic.

The fact is that if Eastern Uttar Pradesh is backward today, it is because the people of that area are being penalised for their revolutionary character. The names of King Salim, Kunwar Singh, Bhanwar Singh, Gopal Singh and my grandfather Shri Ram Nath Kushwaha would always be remembered by the people for their heroic fight against the tyranny of the then rulers.

Although Eastern Uttar Pradesh had always given a fight to the party in power, but when the question of development came it has always been neglected. It is very unfortunate. It is high time that Government should take some concrete steps for the development of this region as recommended by the Patel Commission.

According to the Commission the first need was of laying broad gauge line there. The construction of a railway bridge at Chhatauni was very necessary. So long a broad gauge line is not provided there, it is not possible to industrialise that region.

During the rainy season, almost whole of Eastern Uttar Pradesh is submerged. It is very necessary that Bhalu, Karnali Kiran and Pancheshwar dam projects were implemented soon as they would not only remove the shortage of water and electricity there, but also provide an adequate source for irrigation of land.

A change in the administrative structure is the need of the hour. The present bureaucracy has not been given the training in development work. There is great need to bring about a radical change in its attitude. So long as this is not done let alone Eastern Uttar Pradesh, the nation as a whole can not make much progress.

In order to develop this region some big factories should be set up there and there should also be some small industries to feed them. Carpet making, handloom and fruit preservation industries should be encouraged there as the carpet making and handloom industries are very old. We want that whatever the Government did there, it should be so planned that people can get employment to earn their livelihood.

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए ।]

[SHRI M. SATYANARAIN RAO, *in the chair.*]

Shri Om Prakash Tyagi (Baharaich) : The report, which we are discussing is thirteen years old. When India became independent, U.P. ranked third among the prosperous states of the country and now it is third from the bottom. The question of backwardness is not confined only to these four districts, but it covered the whole Eastern Uttar Pradesh. It is apparent that the previous regime did nothing for the economic upliftment of Eastern U.P.

The eastern region is very rich in natural resources and the land there is very fertile. But still it could not prosper. People there had no proper source of livelihood. Even drinking water, facilities were lacking in these areas.

In Baharaich, the land is very fertile and gives good agricultural produce. But proper transport facilities do not exist there and due to this, the farmers face great difficulties to bring their produce to different markets and thus they are exploited by the local traders. There are also no adequate irrigation facilities in this area. Government should pay proper attention to these two aspects. Due to inability of the Government the poor people are rushing towards the cities to earn their livelihood.

A great hue and cry is being made by some Members about Harijans and they are criticising the Janta Government on this issue. It may be mentioned here that there are 21 per cent Harijans in the population of these four districts. But the previous Government had done nothing for the betterment of these people. The recommendations made by the Patel Commission were not at all implemented. The present Government should see that the recommendations of this, Commission are now implemented without any delay. These are very good recommendations. Establishment of small scale industries in these areas would go a long way to remove economic backwardness there.

आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

देश में बाढ़ की स्थिति

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : मैं 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 126 के उत्तर के सम्बन्ध में यह चर्चा उठा रहा हूं। बाढ़ और अकाल की स्थिति हमारे देश में स्थायी हो चुकी है। देश में बाढ़ से अत्यधिक हानि होती है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही राहत, बचाव और पुनर्वसन कार्य पर भारी धनराशि खर्च करती है, लेकिन अधिकांशतया बाढ़ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में बाढ़ नियन्त्रण के लिए बहुत कम कार्यवाही की गई है।

बाढ़ से प्रति वर्ष औसतन 124 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। यह तो प्रत्यक्ष नुकसान है। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष नुकसान होता है, वह तो और भी ज्यादा है।

वर्ष 1953 से 1971 तक की अवधि के दौरान कुल 2,360 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। औसत वार्षिक क्षति 55 करोड़ बैठती है। वर्ष 1967–77 की अवधि में औसत वार्षिक क्षति 311 करोड़ रुपये है। यह प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। वर्ष 1977 के दौरान 312.15 करोड़ रुपये की क्षति हो चुकी है।

माननीय मंत्री महोदय ने 6 अगस्त, 1977 को देश की बाढ़ स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा था, उसके अनुसार गुजरात के 1,587 ग्रामों में 9.68 लाख आबादी पर बुरी तरह प्रभावित हुई थी। 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 126 के उत्तर में यह बताया गया है कि गुजरात में 32.97 लाख जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मेरे जिले भावनगर में एक नदी कालूमार है। एक अन्य नदी घेलो है। अगर इन दोनों नदियों को नियन्त्रित कर लिया जाये, तो बाढ़ पीड़ित ग्रामीण जनता का सुरक्षा हो सकेगी और भावनगर पत्तन भी सही हालत में रह सकेगा।

अब राहत कार्यों के लिए धन का व्यवस्था करने का प्रश्न आता है। इस समय छठें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार धन का प्रावधान किया जाता है। छठें वित्त आयोग ने केन्द्रीय और राज्य अंशदानों से एक राष्ट्रीय निधि की स्थापना को व्यवहार्य नहीं माना है। तदर्थ आधार पर राहत कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करने को भी उसने उचित नहीं ठहराया। योजना व्यय के अन्तर्गत ही धन-राशि की व्यवस्था करने की बात छठें वित्त आयोग ने कही है।

अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि छठे वित्त आयोग का फार्मूला पूर्णतः अपर्याप्त है। वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस फार्मूला में संशोधन किये जाने का आवश्यकता है। मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अलावा भी राज्यों को अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करेगी ?

श्री के० मालन्ना (चित्रदुर्ग) : लगभग हर वर्ष बाढ़ों के कारण देश में भारी क्षति होती है। जिन राज्यों से होकर नदियाँ जाती हैं, उन्हीं राज्यों में नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी बाढ़ के कारण क्षति होती है, जैसा कि अभी हाल में आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समुद्री तूफान के कारण हानि हुई है। बाढ़ के कारण हजारों लोगों और जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, मकान और झोंपड़ियां नष्ट हो जाती हैं। राज्य बहुत गरीब हैं और वे बाढ़ के कारण जरूरत पड़ने वाला धन पूरा नहीं कर सकते। मैं महसूस करता हूं कि केन्द्रीय कोष आवश्यक है। क्या मैं जान सकता हूं कि बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष कितनी क्षति होती है और बाढ़ नियन्त्रण उपाय कितने क्षेत्रों में किये जाते हैं। क्या सरकार बाढ़ से सुरक्षा करने की व्यापक योजनाओं पर विचार कर रही है ?

अन्त में, हमारी बाढ़ की चेतावनी देने की व्यवस्था ठीक नहीं है; इसके लिये पर्याप्त और आधुनिकतम उपाय किये जाने चाहिये।

श्री चित्त बसु (बोरसाट) : हमारे देश में कुल 250 लाख हेक्टर बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में से केवल 95 लाख हेक्टर में रक्षात्मक उपाय किये जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शेष 155 लाख हेक्टर के लिये क्या उपाय करने का विचार है ? क्या सरकार इसके लिये द्रुत कार्यक्रम तैयार करेंगी ?

क्या पश्चिम बंगाल में गठित उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं; यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

क्या सरकार बाढ़ नियन्त्रण उपायों की जिम्मेदारी राज्यों पर डालने के बजाय स्वयं बाढ़ नियन्त्रण उपाय करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बर्नाला) : मैं श्री मेहता का आभारी हूं कि उन्होंने यह चर्चा उठाई, यद्यपि यह चर्चा प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न नहीं होती है ।

तथापि यह जानकारी मांगी गयी है कि बाढ़-ग्रस्त राज्यों को कितनी सहायता दी गई है । इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि विभिन्न राज्यों में क्षति का जायजा लेने के लिये केन्द्रीय दल भेजा गया था । ये दल आसाम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अब तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में भेजे जा रहे हैं । एक दल केरल गया है । विभिन्न राज्यों को अग्रिम योजना सहायता की निम्न राशि मंजूर की गई ।

आसाम : 4,98,28,000 रुपये या पांच करोड़ रुपये ।

पश्चिम बंगाल : 441 लाख रुपये ।

गुजरात—10.43 करोड़ रुपये ; हरियाणा—11 करोड़ रुपये, राजस्थान—7.97 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश—3.11 करोड़ रुपये, उड़ीसा—8.52 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश—10 करोड़ रुपये । आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बारे में मैं कल एक लम्बा विवरण दे चुका हूं ।

इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश दिये गये हैं कि राहत के रूप आसाम को 20,000 टन गेहूं और पश्चिम बंगाल को 10,000 टन गेहूं दे । सरकार ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान को 10,000 टन और हिमाचल प्रदेश को 5,000 टन गेहूं वितरण के लिये सप्लाई करने का निर्णय किया है ।

एक माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि कितने क्षेत्र में बाढ़ आई है और कितना नुकसान हुआ है । जैसा कि श्री चित्त बसु ने बताया है, 250 लाख हेक्टर क्षेत्र में बाढ़ आती है और अब तक 95 लाख हेक्टर में रक्षात्मक उपाय किये गये हैं । इस पर 533 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं ।

श्री चित बसु : मैंने पूछा था कि शेष क्षेत्र में आप क्या उपाय करने जा रहे हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बर्नाला : पहले जितना काम किया गया है उससे और अधिक काम किया जा रहा है ।

जहां तक कुल क्षति का प्रश्न है, 1971 में कुल क्षति 631 करोड़ रुपये की हुई थी, 1972 में 158 करोड़ रुपये की, 1973 में 569 करोड़ रुपये की, 1974 में 569 करोड़ रुपये की, 1975 में 471 करोड़ रुपये की और 1976 में 886 करोड़ रुपये की क्षति हुई । इस वर्ष की क्षति का कोई अनुमान नहीं है । अतः हम कुल क्षति का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं हैं ।

गुजरात में पिछले वर्षों में 15.97 करोड़ रुपये का औसत नुकसान होता रहा है । इस वर्ष यह क्षति 53 करोड़ रुपये की हुई है ।

इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रति वर्ष क्षति बढ़ती जाती है । ऐसा कई कारणों से है । मूल्य भी बढ़ते हैं । हम क्षति का अनुमान प्रचलित मूल्यों के हिसाब से लगाते हैं । इन बाढ़ों की रोकथाम के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । इस कार्य के लिये बाढ़ों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है । इस आयोग के सदस्यों ने सभी राज्यों से जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्नावलियां भेजी हैं । परन्तु उन्होंने इसे संतोषजनक ढंग से स्वीकार नहीं किया है । आयोग को अधिकांश राज्यों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

उन्होंने अनेक राज्यों का दौरा भी किया है। उन्होंने उन राज्यों के मंत्रियों के साथ भी विचार-विमर्श किया है परन्तु उनसे उतना उत्तर नहीं मिला जितनी अध्यक्ष को आशा थी।

हम व्यापक योजना बनाने की तथा प्राथमिकताएं निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस क्षेत्र के लिये किस प्रकार का काम आरंभ किया जाये।

इस सम्बन्ध में मुझे सुझाव दिये गये हैं कि ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली सभी नदियों पर बांध बनाये जाने चाहिये। दूसरे देश इस कार्य को करने देने के लिये तैयार नहीं है। बिहार के लिये नेपाल में बांध बनाना पड़ता है। कभी तो नेपाल सहमत हो जाता है और कभी नहीं। आसाम के मामले में भी ऐसा ही है। हमने इन नदियों में आने वाली बाढ़ों का रोकथाम के लिये प्रस्ताव किये हैं और उस पर आगे विचार कर रहे हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : छठे वित्त आयोग के अनुसार राज्य सरकारों को जितना धन पाने का हक है, क्या केन्द्रीय सरकार उससे अधिक वित्तीय सहायता देगी ? क्या सरकार के विचाराधीन राज्यों को दी जाने वाली सहायता का पुनर्विलोकन करने का कोई प्रस्ताव है ?

मैंने अपने जिले को दो नदियों के बारे में जो सुझाव दिया है उसके बारे में क्या विचार है ?

श्री सुरजीत सिंह बर्नाला : गुजरात के लिये दी गई सहायता 4 करोड़ 55 लाख रुपये सोमान्त धन की थी और इस वर्ष 10 करोड़ 43 लाख रुपये दिये गये है।

माननीय सदस्य के दो नदियों के सुझाव के बारे में मैं यह जांच करवाना सुनिश्चित करुंगा कि बाढ़ों को रोकथाम के लिये सहायता दी जाये।

Shri Ugrasen : Will the hon. Minister ask the National Flood Commission to send questionnaires to M. L. As. and M. Ps. also.

श्री सुरजीत सिंह बर्नाला : मैं आयोग से अनुरोध करूंगा कि वह संसद सदस्यों को भी प्रश्नावली भेजे।

श्री चित्त बसु : मेरे प्रश्न जो उत्तर बंगाल बाढ़ आयोग के बारे में है का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री सुरजीत सिंह बर्नाला : मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है। मैं इसका पता करूंगा।

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 9 दिसंबर, 1977/17 अग्रहायण, 1899 (शक) में ग्यारह बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, December 9, 1977/Agrahayana 17, 1899 (Saka)

भा1स0मू0ना0—वि0—5—370 लोक सभा।77—29-3-78—200.